वर्धमान महावीर खुला विश्वविद्यालय
कोटा

एम.जे.एम.सी. - 9
मुद्रण, प्रकाशन एवं जनसंचार प्रबंधन
(Printing, Production & Management)

मुद्रण, प्रकाशन एवं जनसंचार प्रबंधन 3

पत्रकारिता एवं जनसंचार स्नातकोत्तर पाठ्यक्रम
(Master of Journalism & Mass Communication)

मुद्रण, प्रकाशन एवं जनसंचार प्रबंधन 3

पत्रकार संगठन
श्रमजीवी पत्रकार कानून

पत्रकारिता एवं जनसंचार
स्नातकोत्तर पाठ्यक्रम

मुद्रण, प्रकाशन एवं जनसंचार प्रबंधन

पाठ्यक्रम विशेषज्ञ समिति

* **प्रो. जी.एस.एल. देवड़ा**
  कुलपति
  कोटा खुला विश्वविद्यालय, कोटा
  (अध्यक्ष समिति)
* **डॉ. अब्दुल वहीद खान**
  निदेशक (विकास एवं प्रशिक्षण)
  कॉमनवेल्थ सेण्टर ऑफ लर्निंग
  वैंकूवर (कनाडा)
* **राधेश्याम शर्मा**
  पूर्व-महानिदेशक
  माखनलाल चतुर्वेदी राष्ट्रीय पत्रकारिता
  विश्वविद्यालय, भोपाल(म. प्र.)
* **डॉ. ओ.पी. केजरीवाल**
  निदेशक, नेहरू मेमोरियल म्यूजियम एण्ड लाइब्रेरी
  तीन मूर्ति भवन, नई दिल्ली
* **प्रो. ए.के. बनर्जी**
  पूर्व-अध्यक्ष, पत्रकारिता विभाग
  बनारस हिन्दू विश्वविद्यालय
  वाराणसी
* **प्रो. जे.एस. यादव**
  भारतीय जनसंचार संस्थान
  नई दिल्ली
* **डॉ. भंवर सुराणा**
  ब्यूरो चीफ/विशेष संवाददाता
  दैनिक हिंदुस्तान
  जयपुर
* **डॉ. रमेश जैन**
  अध्यक्ष-जनसंचार विभाग
  कोटा खुला विश्वविद्यालय, कोटा
  (सचिव, समिति)

संयोजक

डॉ. रमेश जैन- अध्यक्ष, जनसंचार विभाग
कोटा खुला विश्वविद्यालय, कोटा

पाठ-संपादक एवं भाषा-संपादक

पाठ-संपादक
डॉ. विष्णु पंकज
वरिष्ठ साहित्यकार-पत्रकार
जयपुर

भाषा-संपादक
डॉ. महेन्द्र मधुप
संयुक्त निदेशक, (प्रशिक्षण और प्रचार)
राजस्थान राज्य कृषि विपणन बोर्ड, जयपुर

अकादमिक एवं प्रशासनिक व्यवस्था

* **डॉ. आर.वी. व्यास, कुलपति**
* **डॉ. एच.बी. नन्दवाना, विभागाध्यक्ष**
* **डॉ. पी.के. शर्मा, निदेशक, पा.सा.उ. एवं वि. विभाग**

पाठ्यसामग्री उत्पादन एवं वितरण विभाग

* **योगेन्द्र गोयल**
  सहायक उत्पादन अधिकारी

सर्वाधिकार सुरक्षित ! इस पाठ्यक्रम का कोई भी अंश कोटा खुला विश्वविद्यालय/वर्धमान महावीर खुला विश्वविद्यालय, कोटा की लिखित अनुमति प्राप्त किए बिना या मिम्योग्राफी(चक्रमुद) अथवा किसी अन्य साधन से पुनः प्रस्तुत करना वर्जित है।

वर्धमान महावीर खुला विश्वविद्यालय के पाठ्यक्रमों के विषय में और अधिक जानकारी विश्वविद्यालय के कुलसचिव, वर्धमान महावीर खुला विश्वविद्यालय, रावतभाता रोड, कोटा से प्राप्त की जा सकती हैं।

कुलसचिव, वर्धमान महावीर खुला विश्वविद्यालय, कोटा द्वारा प्रकाशित

पाठ लेखक

1. **जितेन्द्र गुप्त**
वरिष्ठ पत्रकार
नई दिल्ली

2. **श्याम माथुर**
उप संपादक
राजस्थान पत्रिका, जयपुर

3. **रमेश पांडे**
सहायक महाप्रबंधक
राजस्थान परिवहन निगम

4. **शिव प्रसाद भारती**
सहायक निदेशक, सूचना एव्न जनसंपर्क विभाग
गाजियाबाद

5. **महेश्वरदयालु गंगवार**
संयुक्त सचिव, नेशनल यूनियन ऑफ जर्नलिस्ट (इंडिया)
वरिष्ठ पत्रकार
नई दिल्ली

6. **गुलाब बत्रा**
वरिष्ठ संवाददाता
यूनिवार्ता, समाचार समिति, जयपुर

खंड एवं इकाई परिचय

खंड परिचय

'मुद्रण, प्रकाशन एवं प्रबंधन 3' की इस पाठ्य पुस्तिका में चार इकाइयां हैं। ये हैं- 1. विज्ञापन और प्रसार विभाग का संगठन, 2. पत्रकार संगठन, 3. श्रमजीवी पत्रकार कानून और 4 श्रमजीवी पत्रकारों का वेतनमान।

इकाई परिचय

इकाई 9- 'विज्ञापन और प्रसार विभाग का संगठन' में विज्ञापन विभाग का संगठन, विज्ञापन के स्वरूप, प्रसार विभाग, समाचार पत्र का विवरण तथा विज्ञापन विभाग बनाम संपादकीय विभाग आदि के बारे मे विस्तृत जानकारी दी गई है। यह इकाई आपको विज्ञापन और प्रसार विभाग के संगठन के संदर्भ में विस्तृत जानकारी देगी।

इकाई 10- 'पत्रकार संगठन' की है। इस इकाई में इंडियन फेडरेशन ऑफ वर्किंग जर्नलिस्ट्स, नेशनल यूनियन ऑफ जर्नलिस्ट्स, इंडियन जर्नलिस्ट यूनियन तथा अन्य संगठनों के बारे में विस्तार से जानकारी दी गई है। भारत में पत्रकार संगठन के संबंध में इस इकाई से आपको महत्वपूर्ण जानकारी मिलेगी। आप पत्रकार संगठनों के कार्य-कलाप, समस्याएं और चुनौतियों से परिचित हो सकेंगे।

इकाई 11- 'श्रमजीवी पत्रकार कानून' से सम्बद्ध है। इसमे पत्रकार अधिनियम परिभाषाएं, वेज बोर्ड, प्रकीर्ण उपबंध : कार्यान्वयन, कार्यान्वयन में कठिनाईयां आदि के बारे में प्रामाणिक सामग्री दी गयी है। श्रमजीवी पत्रकारों के कानून को आप भली-भांति जान सकेंगे, यही इस इकाई का उद्देश्य है। आप जनसंचार पाठ्यक्रम के के शिक्षार्थी हैं, अतः आपको श्रमजीवी पत्रकार कानून के बारे में जानकारी रखना जरूरी है।

इकाई 12- 'श्रमजीवी पत्रकारों का वेतनमान' है। प्रस्तुत इकाई में श्रमजीवी पत्रकारों के वेतनमान के बारे में विस्तार से बताया गया है। वेज बोर्ड का प्रावधान, पहला वेज बोर्ड और वेज कमेटी, सुप्रीम कोर्ट और वेज बोर्ड, पालेकर वेज बोर्ड, बाछावत वेज बोर्ड, मणिसाना वेज बोर्ड के संबंध में विस्तार से बताया गया है। 'मणिसाना वेज बोर्ड' के अध्ययन हेतु इकाई 13 देखें।

आशा की जाती है की ये चारों इकाईयां आपको महत्वपूर्ण जानकारी देने में सहायक होंगी।

पाठ्यक्रम - नवम
खण्ड - 3

3

इकाई 9	
विज्ञापन और प्रसार विभाग का संगठन	7–14
इकाई 10	
पत्रकार संगठन	15–31
इकाई 11	
श्रमजीवी पत्रकार कानून	32–46
इकाई 12	
श्रमजीवी पत्रकारों का वेतनमान	47–62

इकाई-9 विज्ञापन और प्रसार विभाग का संगठन

इकाई की रूपरेखा

9.0 उद्देश्य
9.1 प्रस्तावना
9.2 विज्ञापन विभाग का संगठन
9.3 विज्ञापन के स्वरूप
9.4 प्रसार विभाग
9.5 समाचारपत्र का वितरण
9.6 ऑडिट ब्यूरो ऑफ सर्कूलेशन
9.7 विज्ञापन विभाग बनाम संपादकीय विभाग
9.8 कुछ उपयोगी पुस्तकें
9.9 निबन्धात्मक प्रश्न

9.0 उद्देश्य

विज्ञापन और प्रसार विभाग के बिना किसी समाचारपत्र की सफलता की आशा नहीं की जा सकती। समाचारपत्र के लिए जितना महत्वपूर्ण उसका संपादकीय विभाग है, उतना ही महत्वपूर्ण प्रसार और विज्ञापन विभाग भी है। यह दोनों विभाग किस प्रकार अपने कार्यों और दायित्वों का निष्पादन करते हैं, यह जानना भी हमारे लिए आवश्यक है। इस इकाई का अध्ययन करने के बाद विद्यार्थी जान पाएंगे कि:-

- प्रसार और विज्ञापन विभाग का एक समाचारपत्र के संगठन में क्या महत्व है?
- दोनों विभाग समाचारपत्र के दिन प्रतिदिन के कामकाज में अपने कार्य-दायत्वों को कैसे पूरा करते हैं?
- प्रसार और विज्ञापन विभाग कैसे किसी प्रकाशन की सफलता को यथार्थ में बदलते हैं?
- और साथ ही यह भी कि प्रकाशन के लिए विज्ञापन और प्रसार विभाग तथा संपादकीय विभाग में कौन-सा सर्वाधिक महत्वपूर्ण है?

9.1 प्रस्तावना

किसी भी समाचारपत्र की सफलता उसकी आर्थिक स्थिति पर निर्भर होती है। अगर समाचारपत्र आर्थिक रूप से आत्म-निर्भर है तो वह प्रतिस्पर्धी युग में भी अपना अस्तित्व बनाए रख सकता है। अखबार को आर्थिक रूप से आत्म-निर्भर बनाने में विज्ञापन विभाग की सर्वाधिक महत्वपूर्ण भूमिका होती है। समाचारपत्र के राजस्व का अधिकांश भाग विज्ञापनों द्वारा ही एकत्र होता है। विज्ञापनों को मोटे तौर पर हम तीन भागों में विभक्त कर सकते हैं -

1. वर्गीकृत (क्लॉसीफाइड), 2. सजावटी (डिस्प्ले) और 3. सार्वजनिक सूचनाएँ (पब्लिक नोटिस)।

वर्गीकृत विज्ञापनों की श्रेणी में आम तौर पर दैनन्दिन आवश्यकताओं से संबंधित छोटे विज्ञापनों को शामिल किया जाता है, जैसे- किराए के लिए, बिकाऊ, वाहन उपलब्ध, स्थान खाली है, खोया-पाया और वैवाहिक इत्यादि।

सजावटी (डिस्प्ले) विज्ञापनों की श्रेणी में वे सभी विज्ञापन शामिल किए जाते हैं, जो वर्गीकृत विज्ञापनों की सूची में नहीं आते। कम्पनियों, फर्मों और प्रतिष्ठानों के प्रचारमूलक विज्ञापन सजावटी विज्ञापनों की श्रेणी में आते हैं। कई अवसरों पर केन्द्र और राज्य सरकारें भी सजावटी विज्ञापन जारी करती हैं।

सार्वजनिक सूचनाओं से संबंधित विज्ञापनों की सूची में सरकारों के टेण्डर नोटिस तथा अदालतों के संमन इत्यादि आते हैं। कई बार कुछ विशिष्ट सूचनाओं तथा निर्देशों के लिए भी विज्ञापन जारी किए जाते हैं, जिन्हें समाचारपत्र ' पब्लिक नोटिस ' या ' सार्वजनिक सूचना ' के तहत प्रकाशित करते हैं।

इस संदर्भ में सर्वाधिक महत्वपूर्ण बात यह है कि सभी श्रेणी के विज्ञापन प्राप्त करने के लिए प्रत्येक समाचारपत्र में विज्ञापन विभाग कार्यरत होता है। कुछेक मामलों में विज्ञापन सीधे समाचारपत्र कार्यालय में आ सकते हैं मगर अधिकांश विज्ञापनों के मामले में रणनीति बना कर काम करना पड़ता है। सभी जानते हैं कि विज्ञापन किसी भी प्रकाशन के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण है, क्योंकि विज्ञापन से प्राप्त आय ही समाचारपत्र को संचालित करने में सहायक होती है। मध्यम और छोटे समाचारपत्रों को विज्ञापन जुटाने के लिए काफी भागदौड़ करनी पड़ती है।

9.2 विज्ञापन विभाग का संगठन

लगभग सभी समाचारपत्रों में विज्ञापन-प्रबंधक का पद होता है। विज्ञापन-प्रबंधक की देख-रेख में कुछ कर्मचारी भी काम करते हैं। कर्मचारियों की संख्या समाचारपत्र की स्थिति और सामर्थ्य पर निर्भर करती है। मध्यम समाचारपत्रों में इनकी संख्या दस से लेकर पच्चीस तक हो सकती है लेकिन बड़े समाचारपत्रों में यह संख्या दो सौ के आसपास होती है। छोटे समाचारपत्रों में प्राय: एक-दो जने ही इस कार्य को देखते हैं अथवा स्वयं पत्र-स्वामी ही इस काम को भी करता है।

वर्गीकृत, सजावटी और पब्लिक नोटिस जैसे विज्ञापनों के लिए अलग-अलग विभाग होते हैं। सर्वाधिक विज्ञापन वर्गीकृत श्रेणी के लिए आते हैं। इसलिए इसमें अधिक कर्मचारी नियुक्त किए जाते हैं। यह कर्मचारी विज्ञापनदाता को यह सलाह भी देते हैं कि कम शब्दों में अधिक प्रभावी विज्ञापन कैसे तैयार किया जाए। इसी तरह सजावटी विज्ञापनों के लिए भी अलग से प्रकोष्ठ काम करता है। इस विभाग के कर्मचारी विज्ञापन एजेंसियों के लगातार संपर्क में रहते हैं। सजावटी विज्ञापनों का स्थान तथा पृष्ठ प्राय: पूर्व-निर्धारित होता है।

विज्ञापनों का वर्गीकरण

वर्गीकृत	सजावटी	सार्वजनिक सूचनाएं
1. वैवाहिक	1. उपलब्धियां	1. अदालती नोटिस
2. खोया-पाया	2. कंपनी/फर्म	2. कंपनी नोटिस
3. बिक्री/खरीद	3. आवश्यकता	3. सरकारी सूचनाएं
4. उपलब्ध	4. नई वस्तुएं	4. टेंडर नोटिस
5. किराया/बिक्री	5. नए शोरूम	5. सरकारी निर्देश
6. वाहन/मकान	6. सूचनाएं	
7. सूचना	7. उद्देश्यपरक	
	8. कंपनी बैठक	

यूं तो समाचारपत्र प्रबंधन ही यह तय करता है कि उसके प्रकाशन में छपने वाले विज्ञापनों के लिए शुल्क किस दर से वसूल किया जाएगा। मगर सरकारी विज्ञापनों के संदर्भ में यह बात लागू नहीं होती। सभी प्रकार के सरकारी विज्ञापनों का भुगतान एक तयशुदा शुल्क (दर) के मुताबिक ही किया जाता है। यह शुल्क प्रत्येक समाचारपत्र के मामले में अलग-अलग होता है। राष्ट्रीय स्तर पर श्रव्य-दृश्य प्रचार निदेशालय (डाइरेक्टोरेट ऑफ ऑडियो-विजुअल पब्लिसिटी-डीएवीपी) यह दर तय करता है, जबकि राज्यों में सूचना और जनसंपर्क निदेशालय (डाइरेक्टोरेट ऑफ इन्फोर्मेशन एण्ड पब्लिक रिलेशस-डीआईपीआर) यह काम करता है। किसी भी समाचारपत्र संगठन के लिए विज्ञापन शुल्क तय करने से पहले डीएवीपी और डीआईपीआर द्वारा समाचारपत्र के प्रसार से संबंधित प्रमाणपत्र मांगा जाता है। प्रसार संख्या के मुताबिक ही उस प्रकाशन के लिए विज्ञापन-दर का निर्धारण किया जाता है।

व्यावसायिक विज्ञापनों के मामले में विज्ञापनदाता वही शुल्क अदा करने को बाध्य हैं जो समाचारपत्र के प्रबंधन ने तय किया है। आम तौर पर समाचारपत्र अपनी प्रसार संख्या, पाठकों के बीच उसकी साख और विभिन्न आय वर्ग के पाठकों के बीच उसके वितरण जैसे तथ्यों को ध्यान आकर्षित करने वाले स्थान पर कोई विज्ञापन छापने के लिए अतिरिक्त शुल्क लिया जाता है। इसी तरह मुखपृष्ठ और अंतिम पृष्ठ के लिए भी अतिरिक्त शुल्क (प्रीमियम) वसूल किया जाता है।

9.4 प्रसार विभाग

किसी भी समाचारपत्र की सफलता और सार्थकता उसके प्रसार और विज्ञापन के ढांचे पर निर्भर है। समाचारपत्र का संपादकीय विभाग कितना ही कुशल, सक्षम और प्रभावशाली क्यों न हो-यदि प्रसार और विज्ञापन विभाग का संगठन प्रभावी और चुस्त न हुआ तो समाचारपत्र की सफलता संदिग्ध रहती है। वस्तुत: समाचारपत्र की सफलता ही इस तथ्य से आंकी जाती है कि उसका प्रसार कितना है और विज्ञापनदाताओं के बीच उसकी कितनी साख है। समाचारपत्र अगर एक शरीर है और संपादकीय विभाग उसकी आत्मा, तो प्रसार और विज्ञापन विभाग उसके रक्त

और कोशिकाएं हैं। जहाँ प्रसार समाचारपत्र की लोकप्रियता दर्शाता है, वहीं विज्ञापन उसके आत्म-निर्भर और स्वतंत्र होने का परिचय देते हैं। कोई भी प्रकाशन अपने प्रसार और विज्ञापन विभाग की उपेक्षा कर आत्म-निर्भर नहीं बन सकता।

लगभग सभी समाचारपत्रों में एक प्रसार विभाग होता है। यह विभाग इस बात का ध्यान रखता है कि समाचारपत्र नियमित रूप से और निश्चित समय पर उसके पाठकों को मिलता रहे। प्रसार विभाग का मुखिया प्रसार-प्रबंधक (सर्कूलेशन मैनेजर) कहलाता है और उसके अधीन कुछ सहायक प्रबंधक तथा अन्य कर्मचारी कार्य करते हैं। प्रसार-प्रबंधक के मुख्य दायित्व इस प्रकार हैं-

1. पाठकों तक समाचारपत्र समय पर पहुंचाना।
2. वितरण को नियमित बनाए रखना।
3. एजेंटों और पाठकों की शिकायतें दूर करना।
4. एजेंटों और हॉकरों को प्रोत्साहित करना।
5. नए-नए क्षेत्रों में समाचारपत्र का वितरण शुरू करना।
6. समाचारपत्र की प्रसार संख्या को बढ़ाना।
7. वितरण की एवज में एजेटों-हॉकरों से आवश्यक धनराशि वसूल करना।
8. प्रसार विभाग का प्रशासनिक कामकाज देखना।
9. प्रसार के सुनिश्चित आकड़े तैयार करना और उनका विश्लेषण करना तथा
10. ऑडिट ब्यूरो ऑफ सर्कूलेशन (ए.बी.सी.) और अन्य संस्थाओं द्वारा इच्छित जानकारी समय पर उपलब्ध कराना।

कुछ समाचारपत्र पाठकों को आकर्षित और प्रोत्साहित करने के लिए उपहार, पुरस्कार भी देते हैं अथवा उनके लिए अनेक हितकारी योजनाएं संचालित करते हैं।

'भारतीय समाचारपत्रों का संगठन और प्रबंध' शीर्षक पुस्तक में डॉ. सुकुमाल जैन ने समाचारपत्रों के विक्रय के दो प्रमुख तरीके बताए हैं- 1 प्रत्यक्ष विक्रय और 2. अप्रत्यक्ष विक्रय। प्रत्यक्ष विक्रय में प्रकाशक सीधे अपने ग्राहक पाठकों को समाचारपत्र की प्रतियां बेचता है, जबकि अप्रत्यक्ष विक्रय में प्रकाशक किसी मध्यस्थ (एजेंट अथवा हॉकर) के माध्यम से अपने प्रकाशन को बेचता है। दोनों ही स्थितियों में प्रसार विभाग का महत्व बराबर बना रहता है। समाचारपत्र के प्रसार विभाग को समय-समय पर मार्केटिंग सर्वे भी करना पड़ता है और यथासंभव तरीके से प्रकाशन का प्रसार बढ़ाने का कार्य करना होता है। समाचारपत्रों का प्रसार बढ़ाने के लिए आवश्यक है कि इस हेतु पूर्व- तैयारी की जाए। सुनियोजित और व्यवस्थित तरीके से प्रसार बढ़ाने का अभियान चलाया जाना चाहिए। इसके लिए जरूरी है कि प्रसार विभाग की टीम कल्पनाशील, सक्रिय और सुसंगठित हो। तभी वह अपने प्रकाशन को सुनिश्चित समय और स्थान पर पाठकों को उपलब्ध करा पाएगी।

9.5 समाचारपत्र का वितरण

समाचारपत्र की नियमित सप्लाई के लिए भी प्रसार विभाग ही आवश्यक प्रबंध करता है। आम तौर पर सप्लाई के लिए रेल, बस, टैक्सी और विमान सेवाओं का सहारा लिया जाता है। मौजूदा तकनीकी युग में अब समाचारपत्रों के इंटरनेट संस्करण भी निकलने लगे हैं और इस तरह इंटरनेट के जरिए कोई भी समाचारपत्र सीधे आपके कम्प्यूटर के स्कीन पर नजर आ सकता है। न हॉकर का इंतजार, न सप्लाई का झंझट। बस, जब भी जी चाहा, अपने कम्प्यूटर को ऑन कीजिए और अखबार आँखों के सामने। मगर इंटरनेट की सुविधा फिलहाल बहुत महंगी है और आम लोगों के लिए इसे वहन करना संभव नहीं है। इसके अलावा, कुछ बड़े अखबार ही अभी इंटरनेट पर उपलब्ध हैं। इस लिहाज से अखबारों और पाठकों का पुराना रिश्ता अभी कायम है। जब तक यह रिश्ता कायम रहेगा, प्रसार विभाग का महत्व भी बना रहेगा। डॉ. सुकुमाल जैन ने समाचारपत्रों के प्रसार विभाग की महत्ता पर प्रकाश डालते हुए लिखा है- "समाचारपत्र एक ऐसा उत्पादन कार्य है जिसके विक्रय में थोड़ी-सी असावधानी प्रकाशन गृह की सारी मेहनत पर पानी फेर सकती है। इसलिए छोटे से छोटे समाचारपत्र में भी विक्रय कार्य (प्रसार) पर बहुत जोर दिया जाता है। विक्रय ही सफलता की निशानी है, विक्रय ही चतुरता की निशानी है और विक्रय ही कुशल व्यवस्था की प्रतीक है।"

समाचारपत्र अपने प्रकाशन स्थल के पाठकों के बीच तो पहुंचता ही है, उसे अन्य शहरों तथा नगरों-कस्बों के पाठकों के मध्य पहुंचाने का जिम्मा भी प्रसार विभाग ही निभाता है। अपने प्रकाशन स्थल पर रहने वाले पाठकों तक अखबार पहुंचाने का कार्य बड़े व्यवस्थित ढंग से किया जाता है। जैसे ही अखबार की छपाई पूरी होती है, टैक्सी अथवा अन्य माध्यम से अखबारों के बंडल एजेंटों और हॉकरों तक पहुंचाए जाते हैं, जो उसे घर-घर जाकर वितरित कर देते हैं। इस कार्य के लिए समाचारपत्र अपने एजेंटों और हॉकरों को कमीशन देते हैं। इस तरह समाचारपत्र की प्रसार संख्या में वृद्धि का लाभ हॉकरों और एजेंटों को भी मिलता है।

नगर में वितरण के बाद समाचारपत्र का अन्य स्थानों पर वितरण का कार्य करना होता है। नगर के बाहर समाचारपत्र के प्रभावी वितरण के लिए आवश्यक है कि पत्र की वितरण व्यवस्था भी प्रभावी हो। बाह्य स्थानों पर समाचारपत्र भेजने के लिए प्राय: रेल, बस, टैक्सी और विमान सेवाओं का उपयोग किया जाता है। प्रसार विभाग को यातायात के इन साधनों के साथ उचित तालमेल रखते हुए समय पर समाचारपत्र के बंडल पहुंचाने होते हैं, ताकि एजेंट को भी उसके निर्धारित स्थल पर समय पर समाचारपत्र मिल जाए।

9.6 ऑडिट ब्यूरो ऑफ सर्कूलेशन

अन्य कार्यों के अलावा प्रसार विभाग को ऑडिट ब्यूरो ऑफ सर्कूलेशन (एबीसी.) तथा रजिस्ट्रॉर ऑफ न्यूज पेपर्स इन इण्डिया (आरएनआई) जैसे महत्वपूर्ण सरकारी कार्यालयों के साथ सामंजस्य स्थापित करते हुए उन्हें महत्वपूर्ण सूचनाएं भी भेजनी होती हैं। एबीसी और आरएनआई को समाचारपत्र के प्रसार से संबंधित नवीनतम सूचनाएं भेजना प्रसार विभाग के प्रमुख दायित्वों में एक है। आरएनआई के लिए यह सूचनाएं अत्यंत आवश्यक है और इन्हीं

सूचनाओं के माध्यम से वह जान पाता है कि समाचारपत्र ने न्यूज़प्रिंट का उचित इस्तेमाल किया है अथवा नहीं, उसे सप्लाई किए गए न्यूज़प्रिंट और दर्शाए गए सर्कूलेशन में युक्तिसंगत तालमेल है अथवा नहीं, और न्यूज़प्रिंट के लिए आवश्यक भुगतान समय पर किया गया है या नहीं।

इसी तरह ऑडिट ब्यूरो ऑफ सर्कूलेशन समाचारपत्र के प्रसार संबंधी आकड़ों पर निगाह रखने के अलावा यह भी देखता है कि-

1. समाचारपत्र के एजेंट ने सप्लाई में फेरबदल करने का अगर कोई आग्रह किया है तो उसे पूरा किया गया है या नहीं?
2. सप्लाई एजेंट के आदेश के मुताबिक हो रही है या नहीं?
3. एजेंट की तरफ से समाचारपत्र के विक्रय के अनुपात में राशि का पूरा भुगतान किया जा रहा है अथवा नहीं?
4. न्यूज़प्रिंट के उपयोग का समाचारपत्र के प्रसार से युक्तिसंगत तालमेल है अथवा नहीं?

मौजूदा दौर में प्रसार विभाग के कामकाज में भी व्यापक बदलाव आया है। पहले जहां अखबारों के दो या तीन संस्करण ही निकलते थे, वहीं आज बड़े समाचारपत्रों में दस-बारह संस्करण आम बात है। बड़े स्थानों और शहरों के लिए अलग संस्करण निकाले जाते हैं। अब यह प्रसार विभाग का काम है कि वह इन संस्करणों को एक निश्चित समय पर संबद्ध पाठकों तक पहुंचाए। यह प्रसार विभाग का ही दायित्य है कि वह रेल, बस, वायुयान अथवा टैक्सी-सभी सम्भव साधनों से गंतव्य स्थानों पर समाचारपत्र पहुंचाए ताकि पाठक उसका उपयोग कर सकें।

9.7 विज्ञापन विभाग बनाम संपादकीय विभाग

आज के दौर में विज्ञापन और प्रसार विभाग संपादकीय विभाग से भी ज्यादा महत्वपूर्ण मान लिए गए हैं और संपादकीय विभाग के बजट में कटौती करते हुए विज्ञापन व प्रसार विभाग को अत्याधुनिक सुविधाओं से लैस किया जा रहा है। इसे लेकर न सिर्फ हमारे यहां बल्कि अमेरिका के समाचार संगठनों में भी एक व्यापक बहस छिड़ी हुई है। मीडिया से जुड़े लोग इस बहस में उलझे हैं कि क्या समाचारपत्र सबसे पहले एक उत्पाद है, जिसे निश्चित रूप से अपने बाजार का ध्यान रखना है और अपने पन्नों में वही देना है जो उसका पाठक और विशेष रूप से विज्ञापनदाता उससे चाहता है। या वह एक प्रकार की जनसेवा है जिसे जनता को वही जानकारी देनी है, जो उसे दी जानी चाहिए ताकि वे अच्छे और विवेकवान नागरिक बन सकें। अखबारों की प्रसार संख्या लगातार गिर रही है, विज्ञापन अब टेलीविजन की तरफ सरक रहे हैं और ई-मेल तथा इंटरनेट जैसी सीधी सूचना-सेवाएं लोगों को उपलब्ध हैं और अखबार हाशिए पर खिसकते जा रहे हैं। इन हालात ने अखबार-प्रबंधकों को मजबूर कर दिया है कि वे बाजार में बढ़ रही प्रतिस्पर्धा का डटकर मुकाबला करें।

हाल के वर्षों में कुछ राष्ट्रीय पत्र प्रकाशनों में इसी दिशा में नए प्रयोग किए गए हैं। 'टाइम्स ऑफ इंडिया' जैसे अखबारों ने संपादकीय कार्यों और व्यापारिक कार्यों के बीच खड़ी विभाजक दीवार को ध्वस्त करने का जोरदार अभियान छेड़ रखा है। अखबार का व्यापारिक पक्ष

देखने वाले प्रबंधकों को संपादकों के साथ नत्थी कर दिया गया और कुछ के कार्यक्षेत्रों में कटौती कर दी। कई ऐसे विभागों को बंद कर दिया गया, जो अखबार के लिहाज से अनुपयोगी थे और कुछ नए विभागों का गठन किया गया, जो मार्केटिंग की रणनीति को सफल बनाने के लिए जरूरी थे। न्यूज रूम के खर्चों में कटौती कर दी गई और विज्ञापन तथा प्रसार विभाग का बजट बढ़ा दिया गया।

इस बदलाव के नतीजे भी सामने आने लगे हैं। एक तरफ जहां अखबार के संपादकीय प्रतिरूप में व्यापक फेरबदल हुआ है, वहीं विज्ञापनों की संख्या में भी उल्लेखनीय वृद्धि हुई है। इस मामले में एक पहलू और है, जिसे हम अनदेखा नहीं कर सकते। पत्रकारिता और व्यापार के बीच की दीवार को ध्वस्त करने के सुनियोजित प्रयासों को उन पत्रकारों के कड़े विरोध का सामना करना पड़ा है, जो संपादकीय स्वतंत्रता के कट्टर समर्थक हैं। कुछ पत्रकारों का मानना है कि विज्ञापनदाताओं के हितों का ध्यान रखने के कारण प्रबंधक अक्सर संपादकीय स्वतंत्रता पर आघात पहुंचाते हैं। प्रबंधकों की नजरें सिर्फ विज्ञापन और उससे हासिल होने वाले मुनाफे पर केन्द्रित होती है। वे समाचारपत्र में ऐसी कोई सामग्री प्रकाशित नहीं होने देना चाहते, जो विज्ञापनदाताओं के हितों के प्रतिकूल हो। इस तरह अखबार की जवाबदेही अब पाठक से खिसक कर विज्ञापनदाता तक सिमट गई है।

इसी तरह का एक प्रयोग 'लॉस एंजिलीस टाइम्स' में भी किया गया। मार्क विलिस नामक नए प्रकाशक ने इस अखबार का जिम्मा संभालते ही संपादकीय कार्यों और व्यापारिक कार्यों के बीच खिंची लक्ष्मण-रेखा को ध्वस्त करने का जोरदार अभियान शुरू कर दिया। 'लॉस एंजिलीस टाइम्स' के हर पन्ने के नफे-नुक्सान का पूरा व्यौरा मंगाया गया और नुक्सान वाले पन्नों के संपादकों को विज्ञापन प्रबंधकों की टीम के साथ जोड़ दिया गया। विलिस ने कई ऐसे विभागों को बंद कर दिया जो विज्ञापन लाने में असमर्थ थे।

इस अभियान के दौरान विलिस को कई लोगों की आलोचना का सामना भी करना पड़ा। पत्रकार-संगठनों का सीधा-सीधा आरोप था कि विलिस संपादकीय गरिमा का हनन तो कर ही रहे हैं, वे पत्रकारों की स्वतंत्रता को भी बाधित कर रहे हैं। जाहिर है कि प्रकाशक की नजर जब सीधे विज्ञापनों और उससे जुड़े मुनाफे पर होती है तो उसके आगे सभी मुद्दे गौण हो जाते हैं। कोई भी अखबार अपने विज्ञापनों की कीमत पर संपादकीय सामग्री के प्रकाशन की इजाजत नहीं दे सकता। मार्क विलिस ने भी यही किया। अलबत्ता इस बात से इंकार नहीं किया जा सकता कि उनके इस प्रयोग से मुनाफे में काफी बढोतरी हुई और घाटे में चलनेवाला 'लॉस एंजिलीस टाइम्स' मुनाफे में आ गया। इससे प्रेरित होकर 'न्यूयार्क टाइम्स' ने भी यही रवैया अपनाया। इसके प्रकाशक ने भी अखबार की संपादकीय रीति-नीति में व्यापक फेरबदल करते हुए विज्ञापनों और उन्हें प्रेरित करनेवाली सामग्री के प्रकाशन को अपना पहला लक्ष्य बताया।

हमारे यहां भी 'टाइम्स ऑफ इंडिया' के अलावा कुछ अन्य भाषाई प्रकाशनों ने स्पष्ट तौर पर संपादकीय विभाग को दरकिनार करते हुए व्यापारिक हितों को तरजीह दी है। बहुराष्ट्रीय कंपनियों के प्रवेश के बाद एकाएक यह प्रवृत्ति बढ़ गई है और आज यह सर्वमान्य तथ्य है कि संपादकीय सामग्री का चयन भी विज्ञापनदाताओं के हितों को ध्यान में रखते हुए किया जाता है।

अखबार के विज्ञापन प्रबंधक सीधे संपादकीय विभाग के काम-काज में भले ही दखल नहीं करें, मगर कई मर्तबा वे उन समाचारों के लिए आग्रह अवश्य करते हैं जो उनके व्यापारिक हितों को साधने में सहायक होते हैं। वे विज्ञापनदाता के पक्ष के समाचार छापना पसंद करते हैं और उनके विरुद्ध छापना नापसंद। कई बार तो उसके गलत कामों को भी दबा दिया जाता है।

'न्यूयार्क टाइम्स' का उदाहरण लोगों के सामने हैं। इस अखबार के प्रकाशकों ने व्यापारिक प्रतिस्पर्धा को देखते हुए अपनी संपादकीय नीति में तो फेरबदल किया ही, बाजार से अधिकाधिक विज्ञापन जुटाने के लिए अखबार के कुछ पन्ने विज्ञापनदाताओं के लिए सुरक्षित कर दिए। प्रकाशकों का तर्क था कि आम पाठकों की दिलचस्पी के विषयों वाले पन्नों को छोड़कर बाकी पृष्ठों में विज्ञापन आधारित सामग्री देने में कोई हर्ज नहीं है।

9.8 कुछ उपयोगी पुस्तकें

1. भारतीय समाचारपत्रों का संगठन और प्रबन्ध- डॉ. सुकुमाल जैन
2. न्यूजपेपर मैनेजमेंट इन इंडिया-गुलाब कोठारी
3. समाचारपत्र का व्यवस्थापन-अनंत गोपाल शेवड़े
4. समाचारपत्र प्रबंधन-गुलाब कोठारी

9.9 निबंधात्मक प्रश्न

1. किसी प्रकाशन के लिए विज्ञापन और प्रसार विभाग की क्या महत्ता है?
2. विज्ञापन और प्रसार विभाग के संगठन को विस्तार से समझाइए।
3. समाचारपत्र का वितरण किस प्रकार होता है? स्पष्ट कीजिए।
4. टिप्पणी लिखिए-
   1. विज्ञापन महत्वपूर्ण है, न कि समाचार
   2. विज्ञापन और प्रसार बढ़ाने के उपाय
   3. विज्ञापन और प्रसार-विभाग के मुकाबले संपादकीय विभाग सिकुड़ता जा रहा है।

इकाई-10 पत्रकार संगठन

इकाई की रूपरेखा

10.0 उद्देश्य

10.1 प्रस्तावना

10.2 स्वाधीनता-पूर्व परिदृश्य

10.3 इंडियन फेडरेशन ऑफ वर्किंग जर्नलिस्ट्स

10.3.1 स्थापना सम्मेलन

10.3.2 राजनैतिक तटस्थता

10.3.3 प्रथम प्रेस आयोग और पत्रकार अधिनियम

10.3.4 प्रेस की स्वाधीनता

10.4 नेशनल यूनियन ऑफ जर्नलिस्ट्रस

10.4.1 पृष्ठभूमि

10.4.2 स्थापना

10.4.3 सदस्यता की जांच

10.4.4 सैंसरशिप का विरोध

10.5 इंडियन जर्नलिस्ट्स यूनियन

10.5.1 मतभेद

10.5.2 स्थापना

10.5.3 प्रगतिशील विचारधारा

10.6 अन्य संगठन

10.6.1 ऑल इंडिया न्यूज़पेपर एडीटर्स कान्फ्रेंस

10.6.2 एडीटर्स गिल्ड

10.6.3 प्रेस ऐसोसिएशन ऑफ इंडिया

10.6.4 मिश्रित यूनियनें (कंपोजिट यूनियन्स)

10.7 समस्याएं और चुनौतियां

10.8 सारांश

10.9 शब्दावली

10.10 संदर्भ-स्रोत

10.11 निबंधात्मक प्रश्न

10.0 उद्देश्य

इस पाठ को पढ़ लेने के बाद आप-

- पत्रकार संगठनों की आवश्यकता समझ सकेंगे।
- पत्रकार संगठनों के विकास-क्रम और महत्व पर प्रकाश डाल सकेंगे।

- पत्रकारों के आर्थिक और अन्य अधिकारों की रक्षा में संगठनों की भूमिका जांच सकेंगे।
- तेजी से बदलती परिस्थितियों में पत्रकार यूनियनों और संगठनों द्वारा नई रणनीति अपनाए जाने की आवश्यकता पर बल दे सकेंगे।

10.1 प्रस्तावना

हर पेश के सदस्य संगठन बनाते हैं। उनका उद्देश्य और स्वरूप सदस्यों की आवश्यकताओं के अनुरूप तय होता है। पेशे की मर्यादा की रक्षा, व्यवहारिक समस्याओं का निराकरण, आर्थिक-सामाजिक या संवैधानिक अधिकारों की चिंता आदि अनेक उद्देश्य इनके हो सकते हैं।

भारत में पत्रकारों के संगठनों का जन्म सरकार की दमनकारी नीतियों के विरोध तथा व्यावसायिक और व्यक्तिगत हितों की रक्षा के लिए हुआ। इससे भी बड़ा सच यह है कि पहले अखबार का प्रकाशन भी तत्कालीन ब्रिटेनी शासकों के भ्रष्ट आचरण का विरोध करने के लिए हुआ था। नाम था बंगाल गजट।

1947 के पूर्व जो संगठन बने उनका मुख्य उद्देश्य अखबारों की स्वाधीनता की रक्षा करना था। कुछ ऐसे संगठन भी बने जो वेतन उदर काम की दशा में सुधार की आवाज उठाते रहे लेकिन उन्हें सफलता नहीं मिली। स्वाधीनता मिलने के बाद पत्रकारों के ट्रेड यूनियन आंदोलन ने जोर पकड़ा। भारत सरकार ने न केवल प्रेस आयोग नियुक्त किया वरन साधारण पत्रकारों के आर्थिक हितों की रक्षा के लिए 1955 में श्रमजीवी पत्रकार (सेवा की शर्तें और प्रकीर्ण उपबंध) अधिनियम बनाया। वेज बोर्ड वेतन निर्धारित करने लगे। इन वेज बोर्डों को न्यायालयों का भी अनुमोदन मिलने लगा।

अंग्रेज सरकार समय-समय पर अखबारों को दबाने और नियंत्रित करने के लिए कानून बनाती थी जिसका विरोध पत्रकार और उनके संगठन करते थे। स्वाधीन भारत की सरकारों को भी समय-समय पर लगा कि संविधान में शामिल किए गए अभिव्यक्ति के अधिकार को सीमित किया जाए। कई कोशिशें हुई और विधेयक बने, मगर पत्रकार संगठनों और जागरूक जनमत के कारण अभिव्यक्ति के मौलिक अधिकार को कानूनी तौर पर सीमित नहीं किया जा सका। पत्रकारों के आर्थिक हितों तथा प्रेस की स्वाधीनता की रक्षा के अलावा पत्रकार संगठनों के उद्देश्यों में पत्रकारिता के स्तर को ऊपर उठाना भी शामिल है।

पत्रकार संगठनों को ट्रेड यूनियन और गैर-ट्रेड यूनियन संगठनों में बांटा जा सकता है। संपादकों के भी संगठन हैं। इस पाठ में हम उसी पत्रकार संगठनों का अध्ययन करेंगे जो पत्रकारिता के पेशे की उन्नति, अभिव्यक्ति की स्वाधीनता और श्रमजीवी पत्रकारों के हितों से संबंधित हैं। हम उन व्यावसायिक प्रवृत्तियों का भी विश्लेषण करेंगे जो समाचारपत्र उद्योग और पत्रकारों को प्रभावित कर रही है।

पिछले 10-15 वर्षों में जितने परिवर्तन हुए हैं उतने पिछले पचास वर्षों में नहीं हुए थे। बदलाव की लहरें पत्रकारों के सामने नई चुनौतियों को जन्म दे रही हैं जिनका सामना सामूहिक शक्ति द्वारा ही किया जा सकता है।

10.2 स्वाधीनता-पूर्व का परिदृश्य

भारत में जो पहला अखबार 1780 में निकला उसकी कई विशेषताएं थीं। वह साप्ताहिक था, उसे एक ब्रितानी नागरिक ने निकाला था, उसका उद्देश्य ही अंग्रेज शासकों की करतूतों और कारनामों को बेनकाब करना था- भ्रष्टाचार का विरोध करना था। उसके संपादक का नाम था जेम्स ऑगस्टस हिकी। साप्ताहिक का नाम था 'बंगाल गजट'। अंग्रेज अधिकारियों को यह नागवार गुजरा और जल्द ही उसे बंद करा दिया गया।

सन् 1820 के आसपास भारतीय भाषाओं के कई अखबार निकले। विदेशी शासन के खिलाफ जनमत पैदा करने की उनकी क्षमता को देखते हुए अंग्रेजों ने 1823 में कानून बनाकर अखबार निकालने के लिए लाइसेंस लेना अनिवार्य कर दिया। अब सरकार जब चाहे किसी भी बहाने अखबार का लाइसेंस रद्द कर सकती थी। इस कानून के खिलाफ राजा राममोहन राय और पांच अन्य संपादकों ने अदालत का दरवाजा खटखटाया। जब अदालत ने सरकार के पक्ष में फैसला सुनाया तो उन लोगों ने प्रिवी काउंसिल से अपील की। अभिव्यक्ति की स्वाधीनता और प्रेस की स्वाधीनता की रक्षा के लिए भारतीय संपादकों का यह पहला सामूहिक प्रयास था।

कोई 50 वर्ष बाद 1878 में भारतीय भाषाओं के पत्रों पर अंकुश लगाने के लिए वर्नाकुलर प्रेस ऐक्ट पारित हुआ। इसकी वापसी के लिए आंदोलन हुआ। आखिरकार 1891 में ऐक्ट वापस ले लिया गया।

उन्नीसवीं सदी के उत्तरार्द्ध में राजनैतिक चेतना तेजी से फैलने लगी थी। भारतीयों को बांटने के लिए बंगाल का विभाजन तो कर दिया गया किंतु इसके विरोध में जो शक्तिशाली लहर उठी उसने अंग्रेजों को अपनी रणनीति बदलने को मजबूर कर दिया। 1910 में प्रेस एक्ट का बनाया जाना और 1911 में बंग-विभाजन का आदेश रद्द किया जाना उसी रणनीति के अंग थे। श्रीमती एनी बेसेंट को उनके 'न्यू इंडिया' और 'कॉमनवील' में लिखे गए लेखों को आपत्तिजनक कह कर गिरफ्तार कर लिया गया। 1915 में प्रेस ऐक्ट की मुखालफत के लिए प्रेस एसोसिएशन ऑफ इंडिया बना। इस पत्रकार संगठन की ओर से पंडित मदनमोहन मालवीय, सी. वाई. चितामणि और बी. जी. होर्नीमैन वायसराय लॉर्ड चेम्सफोर्ड से मिले। परिणामत : श्रीमती बेसेंट को रिहा कर दिया गया। होर्नीमैन को निर्वासित कर दिए जाने के बाद एसोसिएशन निष्क्रिय हो गया।

1918 में पहला विश्वयुद्ध समाप्त होते-होते स्वाधीनता आंदोलन एक निश्चित दिशा ग्रहण कर चुका था। पत्रकार भी अपने को संगठित करने के लिए आगे आने की आवश्यकता महसूस कर रहे थे। अंतत: कलकत्ता में 'संजीवनी' के संपादक कृष्ण कुमार मित्र और 'अमृत बाजार पत्रिका' के संपादक की पहल पर 1922 में 'इंडियन जर्नलिस्ट एसोसिएशन' की स्थापना हुई। यह पहला औपचारिक पत्रकार संगठन था। अगले वर्ष बंबई में एस. एस. ब्रेलवी के नेतृत्व में 'जर्नलिस्ट एसोसिएशन आफ इंडिया' का गठन हुआ जो 24 वर्ष बाद 'बंबई यूनियन आफ जर्नलिस्ट्स' कहलाया।

इसके बाद देश भर के पत्रकारों को एक झंडे के नीचे लाने और संगठित करने के प्रयास आरंभ हो गए। पहला अखिल भारतीय पत्रकार सम्मेलन 1 जनवरी, 1929 को कलकत्ता में हुआ जिसकी अध्यक्षता इंडियन 'डेली मेल' के संपादक नटराजन ने की। इसमें तय हुआ कि पत्रकारों का आखिल भारतीय संगठन बने और श्रमजीवी पत्रकारों की काम की दशा में सुधार की योजना बनाई जाए। इस फैसले पर अमल के लिए एक स्थायी समिति बना दी गई जिसके सचिव थे मृणाल कांति बोस। 1935 तक दो और अखिल भारतीय सम्मेलन आयोजित हुए, मगर कोई सार्वदेशिक संगठन नहीं बन सका।

1939 में दूसरा विश्वयुद्ध आरंभ होते ही तत्कालीन भारत सरकार ने समाचारपत्रों के प्रकाशन पर कई पाबंदियां लगा दीं और अखबारी कागज की आपूर्ति घटा दी। नए प्रकाशनों पर भी रोक लगा दी गई। 1939 से 1945 तक चले विश्वयुद्ध के दौरान में अखबारों के मालिकों, संपादकों और पत्रकारों के अनेक संगठन बने। सबसे पहले 1939 में अखबारों के मालिकों ने स्टेट्समैन के संपादक के नेतृत्व में अपने व्यावसायिक हितों की रक्षा के लिए एक संगठन बनाया। इसका नाम था इंडियन ऐंड ईस्टर्न न्यूज़पेपर्स सोसायटी (आई ई एन एस)। बहुत बाद में उसके नाम में संशोधन कर दिया गया। अब उसका नाम है-इंडियन न्यूज़पेपर्स सोसायटी (आई एन एस)।

आई.ई.एन.एस. के सदस्यों की कोशिश से नवंबर 1940 में 'आल इंडिया न्यूज़पेपर एडीटर्स कान्फरेंस' का गठन हुआ। इस संगठन के रुख से खिन्न होकर हिंदी अखबारों के संपादकों ने 'अखिल भारतीय पत्रकार संघ' की स्थापना कर ली। इसी दौर में कई अन्य पत्रकार संगठनों का जन्म हुआ। जैसे 1942 में यू. पी. जर्नलिस्ट एसोसिएशन बना जो 1947 में ट्रेड यूनियन के रूप में पंजीकृत हुआ। इसी दशक में सदर्न इंडिया जर्नलिस्ट फेडरेशन और अन्य प्रांतीय संगठन बने। यू. पी. जर्नलिस्ट एसोसिएशन के आग्रह पर तत्कालीन प्रांतीय सरकार ने समाचारपत्रों की दशा की जांच के लिए एक समिति गठित कर दी और पत्रकारों की मांगों पर विचार करने के लिए कहा।

आम तौर पर समाचारपत्रों में पत्रकारों के वेतन बहुत कम थे। काम के घंटे, नौकरी की अवधि, छुट्टियां आदि सभी कुछ मालिकों की मर्जी से तय होता था। कोई नियम और कानून लागू नहीं होता था। इसलिए काम की शर्तों में सुधार और न्यूनतम सम्मानजनक वेतन की मांग व्यापक होती जा रही थी। कई संपादक और पत्रकार जो पत्रकारिता को मिशन और विशिष्ट कर्म मानते थे, नहीं चाहते थे कि पत्रकार संगठन यूनियन बनाकर वेतन और सेवा की शर्तों में सुधार के लिए संघर्ष करें।

सन 1944 में जब एस.ए. ब्रेलवी ऑल इंडिया न्यूज़पेपर एडीटर्स कान्फ्रेंस के अध्यक्ष बने तब उन्होंने पत्रकार संगठनों को ट्रेड यूनियन के तौर पर करने की सलाह दी। यही नहीं, उन्होंने पत्रकारों के लिए न्यूनतम वेतन तय करने के लिए एक समिति भी गठित कर दी। अखबार मालिकों को यह फैसला पसंद नहीं आया, लेकिन यह पहल पत्रकारों को राह दिखा गई। यह बात अलग है कि इस समिति के सुझाव पत्रकारो को स्वीकार्य नहीं हुए

पत्रकारों का अखिल भारतीय संगठन बनाने का प्रयास स्वाधीनता मिलने के तीन वर्ष बाद सफल हुआ। उसी के बाद पत्रकारों के वेतन और सेवा की शर्तों में सुधार का सिलसिला आरंभ हुआ।

बोध प्रश्न-1

1. अखबारों की स्वाधीनता की रक्षा के लिए किन लोगों ने प्रिवी काउंसिल से अपील की थी?
2. पत्रकारों के वेतन और काम की दशा में सुधार की मांग राष्ट्रीय स्तर पर कब मुखरित हुई?
3. पत्रकारों के प्रथम औपचारिक संगठन का नाम और स्थापना वर्ष बताइए।

10.3 इंडियन फेडरेशन ऑफ वर्किंग जनर्लिस्ट्स

1947 में स्वाधीनता मिलने के बाद पुनर्गठन और पुनर्निमाण का दौर आरंभ हुआ। पत्रकारों के अखिल भारतीय संगठन की स्थापना की आकांक्षा जोर पकड़ने लगी। अंतत: 1950 में ऐसा संगठन बना जिसने पत्रकारों का आर्थिक दर्जा सुधारने और अखबारों की स्वाधीनता की रक्षा करने में युगांतरकारी भूमिका निभाई।

10.3.1 स्थापना सम्मेलन

28-29 अक्टूबर 1950 को दिल्ली में देश के 23 पत्रकार संगठनों के 83 प्रतिनिधियों का सम्मेलन हुआ। इसमें प्रथम अखिल भारतीय संगठन की नींव रखी गई। नेशनल हेरल्ड के संपादक एम. चेलापति राव इस नए संगठन "इंडियन फेडरेशन आफ वर्किंग जर्नलिस्ट्स" के अध्यक्ष चुने गए। संगठन के नामकरण में काफी कठिनाई आई क्योंकि पत्रकारों का एक वर्ग नहीं चाहता था कि यह संगठन ट्रेड यूनियन की भूमिका निभाए। मगर कुछ प्रमुख सूत्रधारों को किसी तरह 'वर्किंग जर्नलिस्ट' पद को संगठन के नाम का हिस्सा बनाने में सफलता मिल गई।

सम्मेलन में इस मुद्दे पर बहुत बहस हुई कि पत्रकारों के संगठन को ट्रेड यूनियन के तौर पर काम करना चाहिए या नहीं। कई वरिष्ठ पत्रकारों और प्रमुख पत्रकार संगठनों का कहना था कि भारत में पत्रकारिता मिशन रही है, उसने आजादी की लड़ाई में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है, वह नैतिक नेतृत्व देती रही है, इसलिए पत्रकारों का आम श्रमिकों की तरह वेतन और पारिश्रमिक आदि के लिए संघर्ष करना उचित नहीं है। इसके विपरीत अनेक पत्रकारों और पत्रकार संगठनों की राय थी कि अपने पेशे का स्तर उठाने के साथ-साथ हमारा संगठन पत्रकारों के आर्थिक पक्ष की चिंता करे, युक्तिसंगत वेतन और काम की शर्तों की मांग करे, तो क्या हर्ज है। इस वर्ग के लोगों का तर्क था कि अखबार निकालना एक उद्योग बन गया है। उद्यमी मुनाफा कमाने और राजनैतिक प्रभाव बढ़ाने के लिए अखबार निकालते हैं। कई मालिकों को न पत्रकारिता का अनुभव है और न पत्रकारिता की नैतिकता से उनका विशेष सरोकार है। कुछ अखबारों में कुछ लोगों को अच्छा वेतन और सुविधाएं मिलती होंगी, लेकिन आमतौर पर नियुक्ति, बर्खास्तगी, काम के घंटे, छुट्टी आदि सभी मालिक या मैनेजर की मर्जी से तय होते हैं।

मतदान द्वारा फैसला करने का प्रयास किया गया, मगर बात नहीं बनी। 8 संगठन एक ओर, 8 दूसरी ओर और पांच न इधर न उधर। मामले का फैसला अंतत: संविधान समिति में हुआ। संविधान समिति में दोनों पक्षों के प्रतिनिधि थे। जो संविधान अनुमोदित हुआ उसमें उद्देश्यों की सूची में 'पत्रकारों की सेवा शर्तों, विशेषकर वेतन, सेवा अवधि और अन्य शर्तों में सुधार' को भी शामिल कर लिया गया। सूची के आरंभ में परिगणित उद्देश्य थे - पत्रकारों के दर्जे (स्टेटस) में सुधार, श्रमजीवी पत्रकारों में आपसी सहयोग बढ़ाना, वृत्तिगत, आचरण और विश्वसनीयता का स्तर ऊंचा रखना।

10.3.2 राजनैतिक तटस्थता

स्थापना सम्मेलन में इस बात पर विशेष जोर दिया गया कि फेडरेशन गैर-राजनीतिक संगठन के तौर पर काम करेगा-वह किसी राजनैतिक विचारधारा से नहीं जुड़ेगा। राजनैतिक निष्पक्षता का सिद्धांत तय भी महत्वपूर्ण था और आज भी है। फेडरेशन के प्रथम अध्यक्ष एम. चेलापति राव का दृढ मत था कि हमारा संगठन विभिन्न विचारधाराओं के पत्रकारों का संगठन है जो उनके पेशे की और आर्थिक उन्नति की कोशिश करेगा, इसलिए राजनैतिक पक्षधरता का प्रश्न ही नहीं उठना चाहिए। अध्यक्ष को यह सब जोर देकर कहना पड़ा क्योंकि दोनों खेमों के अंतर्राष्ट्रीय संगठनों के शुभकामना संदेश आए थे और सहयोग का आश्वासन भी। एक था इंटरनेशनल आर्गेनाइजेशन आफ जर्नलिस्ट्स (आई. ओ. जे.) जो साम्यवादी खेमे और उसके समर्थकों का संगठन बन गया था। दूसरा था इंटरनेशनल फेडरेशन ऑफ जर्नलिस्ट्स जो पश्चिमी खेमे का प्रतिनिधित्व करता था। अंतर्राष्ट्रीय रंगमंच पर 'शीतयुद्ध' की बिसात बिछ चुकी थी। अतः फेडरेशन ने गुटनिरपेक्षता की नीति अपनाई। फेडरेशन में दोनों खेमों के समर्थक थे जो समय समय पर संगठन को इस या उस संगठन से जुड़ने और आदान-प्रदान के लिए जोर डालते रहे।

10.3.3 प्रथम प्रेस आयोग

फेडरेशन आरंभ से ही मांग करता रहा कि समाचारपत्रों और पत्रकारों की दशा के अध्ययन के ब्रिटेन की तरह भारत में भी प्रेस आयोग बनाया जाए। 16 मई, 1952 को राष्ट्रपति राजेन्द्र प्रसाद ने भारतीय गणराज्य की प्रथम संसद के प्रथम अधिवेशन में सरकार द्वारा प्रेस आयोग के गठन का फैसला सुना दिया।

न्यायमूर्ति जी.एस. राज्याध्यक्ष की अध्यक्षता में प्रेस आयोग गठित हुआ। फेडरेशन ने आयोग के सामने प्रेस जगत के सभी पक्षों का अध्ययन करके साक्ष्य प्रस्तुत करने के लिए एक समिति बनाई। उसने बड़ी तत्परता से अपनी जिम्मेदारी निभाई। 1954 में प्रेस आयोग की रिपोर्ट आ गई। इसमें बहुत-सी सिफारिशें थीं। तात्कालिक स्थिति का ब्यौरेवार लेखा-जोखा भी था। आयोग ने प्रेस काउंसिल के गठन और रजिस्ट्रार ऑफ न्यूजपेपर्स की नियुक्ति की सिफारिश की। पत्रकारों के वेतन और काम की शर्तों के अध्ययन के आधार पर उसका सुझाव था कि सेवा की शर्तों के नियमन के लिए एक कानून बनाया जाए, ग्रेच्युटी का प्रावधान किया जाए, पत्रकारों को औद्योगिक विवाद कानून के दायरे में लाया जाए।

रिपोर्ट आने पर पत्रकारों के फेडरेशन को उसकी सिफारिशों पर अमल के लिए जोर डालना पड़ा। भारत सरकार ने श्रमजीवी पत्रकार (सेवा की शर्तें) एवं प्रकीर्ण विधेयक संसद में पेश किया। मगर इसमें वेतन निर्धारण के लिए वेज बोर्ड के गठन का प्रावधान नहीं था। फेडरेशन के लोगों को सांसदों और मंत्रियों को यह समझाने की कोशिश में जुटना पड़ा कि वेज बोर्ड के गठन का प्रावधान विधेयक में किया जाए। ऐसा हो जाने पर ही पत्रकार हड़ताल और तालाबंदी के झंझट में पड़े बिना काम करते रह सकेंगे। आखिरकार सरकार ने वेज बोर्ड के गठन का प्रावधान विधेयक में शामिल कर लिया।

1955 में अधिनियम बन जाने के बाद पहला वेज बोर्ड बना। न्यायमूर्ति दिवटिया की अध्यक्षता में गठित वेज बोर्ड की सिफारिशें समाचारपत्रों के मालिकों को स्वीकार्य नहीं थीं। तब क्या हु आ? एक दिवंगत ट्रेड यूनियन नेता के शब्दों में - 'जब भारत सरकार ने वेज बोर्ड के निर्णय को स्वीकार करते हु ए आदेश जारी किया तो समाचारपत्र के स्वामी ने आग बबूला हो गए और पत्रकारों के नेताओं को बर्खास्त करके पत्रकार-बिरादरी को भयाक्रांत करने की कोशिश करने लगे। उन्होंने वेज बोर्ड के सदस्य जी.एन. आचार्य, जो 'बांबे क्रानिकल', बांबे के सहायक संपादक थे, 'द हिंदू', मद्रास के आर. नरसिम्हन, उत्तर प्रदेश के एस.बी. टंडन, 'द हिंदू' मद्रास के एम. के. राममूर्ति को बर्खास्त कर दिया। मद्रास के 'स्वदेश मिशन' ने संपादकीय विभाग के आठ सदस्यों को निकाल दिया।.....

'जब सरकार ने मालिकों पर सिफारिशों पर अमल के दबाव डाला तो उनका कहना था कि इससे अखबार उद्योग बैठ जाएगा। अक्टूबर 1997 में आयोजित त्रिपक्षीय सम्मेलन में मालिकों के प्रतिनिधियों ने कहा कि अधिनियम और वेतन आयोग की सिफारिशों को उनके सुझावों के अनुसार संशोधित किया जाना चाहिए।' (मीनाक्षी सुंदरम, इंकवर्ल्ड जुलाई 1973, पृष्ठ 36)

सुप्रीम कोर्ट में न्यायमूर्ति गजेन्द्रगड़कर की अध्यक्षता में गठित संवैधानिक पीठ ने श्रमजीवी पत्रकार अधिनियम को हितकारी कानून बताते हु ए कहा कि वह संविधान सम्मत है। केवल ग्रेच्यूटी संबंधी एकाध उपबंध अमान्य ठहराए। दिवटिया वेज बोर्ड की सिफारिशों के बारे में सुप्रीम कोर्ट का फैसला था कि यदि वेज बोर्ड ने अखबारों की वेतन देने की क्षमता पर विचार किया होता अथवा उन पर मालिकों को अपना पक्ष प्रस्तुत करने का अवसर दिया गया होता तो सिफारिशों को अमान्य घोषित करने की कोई वजह न होती।

पत्रकारों की वर्षों की मेहनत पर पानी फिर गया। वेज बोर्ड की सिफारिशें निरस्त होने पर सरकार ने श्रम सचिव की अध्यक्षता में वेज कमेटी बनाई जिसे सरकार ने लागू कर दिया। ये असंतोषजनक थी 'पर कोई चारा नहीं था सिवाय इसके कि दूसरे वेज बोर्ड के गठन का इंतजार किया जाता।

10.3.4 प्रेस की स्वाधीनता

श्रमजीवी पत्रकारों की आर्थिक स्थिति सुधारने के संघर्ष के साथ-साथ फेडरेशन अखबारों की स्वाधीनता के बारे में कम सजग नहीं रहा। जब भारत सरकार ने 'प्रेस (आपत्तिजनक सामग्री) विधेयक' संसद में रखा तो फेडरेशन ने इसके खिलाफ मुहिम छेड़ी और कहा कि 'इस

कानन के जरिए सरकार अखबारों की स्वाधीनता को सीमित और बाधित करना चाहती है। यह कानून अंग्रेजों के जमाने के कानून का संशोधित संस्करण है अगर कोई पत्र कुछ आपत्तिजनक बात छापता है तो दूसरे कानून के अधीन सरकार कार्रवाई कर सकती है। स्वाधीन भारत में ऐसे कानून को स्थान -नहीं मिलना चाहिए।' फैडरेशन के सार्वदेशिक अभियान के चलते इस कानून की अवधि दो वर्ष रखी गई। प्रेस आयोग ने भी कहा कि प्रेस परिषद के गठन के बाद यह कानून अनावश्यक हो जाएगा। फरवरी, 1956 में दो वर्ष की अवधि पूरी हो जाने के बाद उसे इतिहास का हिस्सा बन जाने दिया गया।

अल्पकाल के दौरान यह कानून निरस्त कर दिया गया था। 1977 में वह फिर पारित हुआ और 1978 में उसे संविधान का अंग (अनुच्छेद 361 ए) बना दिया गया।

1972 में पत्रकारों के खासे बड़े वर्ग ने फेडरेशन छोड़कर एक नया संगठन बना लिया। इससे और 1975 में सेंसरशिप की घोषणा से फेडरेशन को धक्का लगा।

सन् 80 के दशक में और इसके बाद जब भी सरकारों ने प्रेस की स्वाधीनता पर हमला किया फेडरेशन और अन्य पत्रकार संगठनों ने उसका विरोध किया। चाहे बिहार बिल रहा हो या राजीव गांधी का डिफेमेशन बिल, फेडरेशन उनका विरोध करने में आगे रहा।

पंजीकृत कार्यालय : एफ 101, मल्टी स्टोरी अर्पाटमेंट, कस्तूरबा गांधी मार्ग, नई दिल्ली- 110001.

अध्यक्ष : विक्रम राव, **महासचिव :** परमानंद पांडे,

10.4 नेशनल यूनियन ऑफ जर्नलिस्ट्स

10.4.1 पृष्ठ भूमि - 1969 में कांग्रेस का विभाजन देश के राजनैतिक जीवन में उथल पुथल का कारण बना। विभाजन के बाद इंदिरा गांधी ने अल्पमत सरकार चलाने के लिए वामापंथी पार्टियों का सहयोग हासिल किया और बैंक राष्ट्रीयकरण सरीखे कदम उठाकर लोकप्रियता हासिल की। इसी दौर में फेडरेशन की भीतरी कशमकश में वामपंथी विचारधारा के समर्थकों को बढ़त मिल गई। वह वामपंथी दलों का सहचर बन गया।

फेडरेशन के अग्रणी नेताओं की जमात के मीनाक्षी सुंदरम 1962 से 1967 तक संगठन के महासचिव थे। उन्होंने दूसरे वेज बोर्ड में फेडरेशन का प्रतिनिधित्व भी किया था। एन. यू. जे. (आई) के मुखपत्र 'इंकवर्ल्ड' के जुलाई, 1973 के अंक में प्रकाशित उनके लेख के अनुसार '1967 के बाद ही संगठन पर राजनीति का रंग चढ़ने लगा था।' फेडरेशन के कर्मठ कार्यकर्ता एस.सी. काला ने तो 'टाइम्स ऑफ इंडिया' में यहां तक लिख डाला कि संगठन 'पिछलग्गुओं का पिछलग्गू' बन गया है उनका तात्पर्य था कि वामपंथी कांग्रेस के पिछलग्गू बन गए हैं और फेडरेशन वामपंथी दलों का।

फेडरेशन के भीतर कशमकश बढ़ती जा रही थी कि अखबारों के स्वामित्व और नियंत्रण को असम्बद्ध करने के प्रश्न पर विभाजन की नौबत आ गई। यों तो पहले प्रेस आयोग ने भी कहा था कि समाचारपत्रों का प्रकाशन 'जनोपयोगी उद्योग' है। अखबारों पर उद्योगपतियों का नियंत्रण समाचारों की निष्पक्षता के लिए खतरनाक साबित हो सकता है, इसलिए स्वामित्व भले

ही पूंजीपतियों के हाथ में रहे, अखबारों पर नियंत्रण न्यास (ट्रस्ट) के हाथों में रहना चाहिए। कर्मचारी भी शेयर धारक हों और आम जनता भी। कांग्रेस ने अखबारों के स्वामित्व और नियंत्रण के अलगाव के लिए जो योजना बनाई वह प्रथम प्रेस आयोग के उद्देश्य के अनुरूप नहीं थी। इस योजना के विरोधियों का तर्क था कि इससे अखबारों की प्रबंध व्यवस्था में सरकार का दखल हो जाएगा। फेडरेशन इस योजना के पक्ष में था, मगर अनेक पत्रकारों और प्रेस की स्वाधीनता के पक्षधरों को यह व्यवस्था पसंद नहीं आई। अखबारों के मालिकों को तो एकजुट होकर इस प्रस्ताव का विरोध करना ही था।

1972 के आरंभ में फेडरेशन के विभाजन तथा अन्य क्षेत्रों में प्रबल विरोध के कारण सरकार ने अखबारों का स्वामित्व और नियंत्रण की योजना को दफन कर दिया।

10.4.2 स्थापना

23-24 जनवरी 1972 को नई दिल्ली में फेडरेशन की नीतियों से असंतुष्ट पत्रकारों का राष्ट्रीय सम्मेलन हुआ। उत्तर प्रदेश और पश्चिम बंगाल की पत्रकार यूनियनें एक अलग अखिल भारतीय संगठन बनाने पर आमदा थीं। इस सम्मेलन में नए संगठन 'नेशनल यूनियन ऑफ जर्नलिस्ट्स (इंडिया)' की स्थापना हुई। सम्मेलन में कहा गया कि नया संगठन किसी राजनैतिक विचारधारा से नहीं जुड़ेगा, अखबारों की स्वाधीनता तथा श्रमजीवी पत्रकारों के आर्थिक और व्यावसायिक हितों के लिए संघर्ष करता रहेगा। अखबारों को व्यावसायिक, राजनैतिक और मालिकों के दबाव से मुक्त रखने का संकल्प व्यक्त किया गया।

पत्रकार सम्मेलन का उद्घाटन तत्कालीन न्यायाधीश एम. सी. छागला ने किया। उन्होंने तत्कालीन राजनैतिक माहौल में निहित खतरों की ओर संकेत करते हुए कहा-'पहला सबसे बड़ा खतरा है सत्ता का केंद्रीकरण जो लोकतंत्री सिद्धांतों के विरुद्ध है.... आज वे एकाधिकारी प्रेस की रचना कर रहे हैं। सरकार अपने हाथ-पांव अधिक से अधिक पसार कर हर स्वतंत्र संस्था को जकड़ लेना चाहती है और सबसे ताजा और खतरनाक प्रयास है देश में वैचारिक एकरूपता लाने का... जो उसकी राय से सहमत न हो वह बियाबान में धकेल दिया जाए.... प्रेस की स्वाधीनता खतरे में है।'

नए संगठन के प्रथम अध्यक्ष का सेहरा पत्रकार ट्रेड यूनियन आंदोलन के जुझारू सिपाही एल. मीनाक्षी सुंदरम के सिर पर बांधा गया। वह दूसरे वेज बोर्ड के सदस्य और वर्षों तक फेडरेशन के वरिष्ठ पदधिकारी रह चुके थे। महासचिव पद का दायित्व संभाला सर्चलाइट के संपादक एस. के. राउ ने।

फेडरेशन का आरोप था कि नया संगठन दक्षिण पंथी पत्रकारों का संगठन है। फेडरेशन के संस्थापक सदस्य जगदीशप्रसाद चतुर्वेदी ने अपनी एक पुस्तक में लिखा भी है कि, 'अखबारों के मालिकों ने कुछ असंतुष्ट पत्रकारों की मदद करके अलग संगठन बनाने के लिए प्रेरित किया।' जब टूट और विभाजन की नौबत आती है तो आरोप-प्रत्यारोपों का सिलसिला चलता ही है। लेकिन यह भी सच है कि नए संगठन ने अखबारों के स्वामित्व और नियंत्रण के अलगाव के लिए एक वैकल्पिक योजना सुझाई थी जो सरकार को पसंद नहीं आई। सरकार न तब और न

अब ऐसे किसी ऐसे प्रस्ताव पर अमल करने के लिए तैयार थी या है जिसमें उसे कोई फायदा न हो। इसका ज्वलंत उदाहरण है प्रसार भारती द्वारा अधिनियम राष्ट्रपति द्वारा स्वीकृत होने के बावजूद अधिसूचित नहीं किया गया, अत: लागू नहीं हो पाया। सात साल बाद संयुक्त मोर्चा सरकार ने उसे अध्यादेश के द्वारा संशोधित करके लागू किया और वाजपेयी सरकार ने भी उसे लटकाए रखने में अपनी भलाई देखी। 13 महीने में वह तय नहीं कर पाई कि मुख्य कार्यकारी अधिकारी किसे नियुक्त किया जाए।

10.4.3 सदस्यता की जांच

नेशनल यूनियन आफ जर्नलिस्ट्स का गठन तत्कालीन सरकार और विशेषकर श्रममंत्री रघुनाथ रेड्डी को नागवार गुजरा। जब तीसरे वेज बोर्ड के गठन का समय आया तो एन.यू.जे. की उपेक्षा की जाने लगी। एन.यू.जे. ने जब अदालत का दरवाजा खटखटाया तो सदस्यता की जांच कराए जाने की मांग स्वीकार कर ली गई। मोइडू आयोग ने सदस्यता की जांच की और पाया कि उत्तर प्रदेश और पश्चिम बंगाल में एन.यू.जे. की सदस्य संख्या फेडरेशन से अधिक है और अनेक राज्यों में उसकी इकाइयां कार्यरत हैं। सदस्यता की जांच के आधार पर एन.यू.जे. को वेज बोर्ड की दो सीटों में से एक मिल जानी चाहिए थी, लेकिन उसे वंचित रखा गया।

10.4.4 सेंसरशिप का विरोध

राजनैतिक घटनाचक्र कुछ ऐसा घूमा कि 25 जून, 1975 को देश में आपातकाल और 26 जून को सेंसरशिप की घोषणा हो गई। पृथवीश चक्रवर्ती के नेतृत्व में एन.यू.जे. का शिष्टमंडल 5 जुलाई को प्रधानमंत्री से मिला और सेंसरशिप को अलोकतंत्री, गैरजरूरी और नुकसानदेह कदम बताया।

आपातकाल के दौरान फेडरेशन की भूमिका उसकी राजनैतिक प्रतिबद्धता के अनुरूप रही, जिसके असर से उबरने में उसे काफी समय लगा।

1977 में जनता पार्टी की सरकार बनी। एन.यू.जे. ने पालेकर वेज बोर्ड की अंतरिम वेतन की सिफारिश लागू कराने के प्रयास किए और अंशकालिक पत्रकारों की छंटनी पर प्रतिबंध लगाने वाला आदेश जारी करवाया।

1983 में बिहार प्रेस विधेयक और फिर राजीव गांधी के कार्यकाल के दौरान 1988 में मानहानि विधेयक के विरोध में एन.यू.जे. ने अग्रणी भूमिका निभाई। अन्य पत्रकार संगठनों और प्रबुद्ध जनमत के सहयोग से चलाए गए आंदोलनों के कारण सरकार को मौजूदा कानूनों में संशोधन कर अपना इरादा छोड़ देना पड़ा।

पंजीकृत कार्यालय : 7, जंतर-मंतर रोड, दूसरा माला, नई दिल्ली- 110001

अध्यक्ष : श्याम खोसला

महासचिव : पी. के. राय

10.5 इंडियन जर्नलिस्ट यूनियन

पत्रकारों के ट्रेड यूनियन आंदोलन का दुर्भाग्य है कि प्रथम अखिल भारतीय संगठन की स्थापना के चालीस वर्ष बाद इंडियन वर्किंग जर्नलिस्ट फेडरेशन एक बार फिर विभाजित हो गया। दो साल की अशोभन खींचतान के बाद 1990 में फेडरेशन में टूट हुई और पत्रकारों के तीसरे अखिल भारतीय संगठन-'इंडियन जर्नलिस्ट यूनियन' का झंडा लहराने लगा।

10.5.1 मतभेद

1988 में लखनऊ अधिवेशन में अध्यक्ष पर अलोकतंत्री आचरण और धांधलेबाजी का आरोप लगाया गया। अध्यक्ष का चुनाव, जिसे सभी मतदाता करते हैं, हो चुका था और प्रतिनिधि सम्मेलन में कार्यकारिणी के शेष सभी सदस्यों का चुनाव होना था। दो राज्यों के मतदाताओं की शिरकत के बिना कार्यकारिणी के चुनाव करा लिए गए। अलगाव का बिगुल बज गया-लखनऊ में ही सत्ताधारी पक्ष के विरोधियों ने समानांतर सम्मेलन किया और 'लोकतंत्री फेडरेशन' के जन्म की घोषणा हो गई।

10.5.2 स्थापना

अंतत : 1990 में रांची में 'इंडियन जर्नलिस्ट यूनियन' के बैनर के पत्रकारों का अधिवेशन हुआ और संगठन का संविधान अंगीकृत हुआ। अगले वर्ष चुनाव हुए सुरेश अखौरी उसके अध्यक्ष चुने गए।

आई. जे. यू. के अध्यक्ष सुरेश अखौरी के अनुसार फेडरेशन के अध्यक्ष की अलोकतंत्री कार्रवाई और इंटरनेश्नल आर्गनाइजेशन ऑफ जर्नलिस्ट्स से मिले छपाई संयंत्र संबंधी व्यवस्था विभाजन का कारण बनी थी। आई.जे.यू. के संविधान के अनुसार अध्यक्ष और महासचिव का प्रत्यक्ष चुनाव होता है-सभी सदस्य मतदान करते हैं। उपाध्यक्षों, सचिवों, कोषाध्यक्ष और सदस्यों का चुनाव राष्ट्रीय परिषद के सदस्य प्रतिनिधि सम्मेलन के अवसर पर राष्ट्रीय परिषद के सदस्य करते हैं।

10.5.3 प्रगतिशील विचारधारा

संगठन के अध्यक्ष सुरेश अखौरी के शब्दों में 'आई.जे.यू. प्रगतिशील विचारधारा का प्रतिनिधित्व करता है। बहुमत वामपंथी विचारधारा के समर्थकों का है। आई.जे.यू देश का अकेला संगठन है जो इंटरनेशनल फेडरेशन ऑफ जर्नलिस्ट्स (ब्रुसेल्स) और इंटरनेशनल आर्गेनाइजेशन ऑफ जर्नलिस्ट्रस (प्राग) का सदस्य है।'

जब पांचवें वेज बोर्ड का गठन होने लगा तो समस्या उठी कि आई.जे.यू. को कैसे प्रतिनिधित्व मिले क्योंकि श्रमजीवी पत्रकारों के लिए दो ही स्थान थे, जबकि अखिल भारतीय संगठनों की संख्या तीन हो गई है। तत्कालीन सरकार ने श्रमजीवी पत्रकार कानून में संशोधन कर दिया और श्रमजीवी पत्रकारों के लिए तीन स्थानों का प्रावधान हो गया। आई.जे.यू को अपना प्रतिनिधि वेज बोर्ड में भेजने का अवसर ही नहीं मिला, क्योंकि एक-दो अल्पज्ञात संगठन

दावेदार बन कर अदालत में चले गए। अत: संशोधन प्रभावी नहीं हो पाया। टूट कर अलग होने वाले संगठन को ऐसी अड़ंगेबाजी का सामना करना ही पड़ता है।

पता : एफ. 29 शंकर मार्केट, सुपर बाजार के पास, नई दिल्ली- 110001

अध्यक्ष: सुरेश अखौरी

महासचिव : श्रीनिवास रेड्डी

10.6 अन्य संगठन

राज्यों में पत्रकारों की यूनियनों और उनके तीनों अखिल भारतीय संघों के अलावा पेशेवर पत्रकारों के और भी संगठन हैं। ये भी अपने अपने ढंग से पत्रकारों के सरोकारों को आगे बढ़ाने और प्रेस की स्वाधीनता की रक्षा करने में अपनी भूमिका निभाते रहे हैं।

10.6.1 आल इंडिया न्यूज़पेपर एडीटर्स कान्फ्रेंस

प्रस्तावना में हम बता आए हैं कि 1940 में समाचारपत्रों के मालिकों के संगठन आई.ई.एन.एस. की कोशिशों से संपादकों का यह संगठन बना था। कोई भी समाचारपत्र अथवा पत्रिका एडीटर्स कान्फ्रेंस की सदस्यता ले सकती है लेकिन कोई भी संपादक नहीं। इस प्रकार से यह सीमित सदस्यता वाला मुख्यत: प्रकाशकों का संगठन है। इसी आधार पर इंडियन फेडरेशन ऑफ वर्किंग जर्नलिस्ट्स ने सन् 50 के दशक में कान्फ्रेंस के सदस्यों को फेडरेशन की सदस्यता से त्यागपत्र देने के लिए कहा। दोहरी सदस्यता के मुद्दे पर डी.आर. मनकेकर को दिल्ली जर्नलिस्ट यूनियन से निकाल दिया गया था।

10.6.2 एडीटर्स गिल्ड

ऑल इंडिया न्यूज़पेपर एडीटर्स कान्फ्रेंस के रवैये से असंतुष्ट संपादकों ने एक अलग संगठन 'एडीटर्स गिल्ड ऑफ इंडिया' बना लिया। राजेन्द्र माथुर, बी जी. वर्गीज, निखिल चक्रवर्ती सरीखे मूर्धन्य संपादक इसके सदस्य और पदाधिकारी रहे। 1998 में जब प्रेस परिषद ने केवल पंजीकृत पत्रकार संगठनों को मान्यता देने का फैसला किया तो गिल्ड पंजीकृत संस्था नहीं होने के कारण उसके प्रतिनिधि प्रेस परिषद में नहीं पहुंच पाए।

10.6.3 प्रेस एसोसिएशन ऑफ इंडिया

दिल्ली स्थित और भारत सरकार द्वारा मान्यता प्राप्त संवाददाताओं का भी एक संगठन है। इसका नाम है 'प्रेस एसोसिएशन ऑफ इंडिया'। चूंकि यह देश भर के दिल्ली स्थित संवाददाताओं का संगठन है इसलिए उसे अखिल भारतीय संगठन का दर्जा प्राप्त है। इस नाते भारतीय प्रेस परिषद (प्रेस काउंसिल) इस संगठन से भी सदस्यों के चयन के लिए नाम मंगवाती है। केंद्र में मान्यता समिति में उसके प्रतिनिधि होते ही हैं।

10.6.4 मिश्रित यूनियनें (कंपोजिट यूनियनें)

1947 के पहले कई समाचारपत्र प्रतिष्ठानों में यूनियन बनी थीं। पत्रकार और गैर-पत्रकार कर्मचारी दोनों इसके सदस्य होते थे और आज भी हैं। इन यूनियनों को प्लांट यूनियन

या कंपोजिट यूनियन का जाता है। आरंभ में फेडरेशन के कई सम्मेलनों में मिश्रित यूनियनों के प्रति अविश्वास के कारण दोहरी सदस्यता का विरोध किया जाता रहा, किंतु जल्द ही उनकी उपयोगिता स्वीकार कर ली गई।

इन यूनियनों में गैर-पत्रकारों की संख्या अधिक होने के कारण वे वेज बोर्ड में गैर-पत्रकारों के हितों का प्रतिनिधित्व करती हैं। वे पत्रकारों के हितों के लिए भी संघर्ष करती रही हैं, मगर दोहरी जिम्मेदारी और वर्ग भेद की फांस करकती रहती है।

इन यूनियनों के आग्रह और हड़ताल के ही कारण सरकार को श्रमजीवी पत्रकार अधिनियम में संशोधन करके गैर पत्रकार कर्मचारियों के लिए भी विधिसम्मत वेज बोर्ड के गठन की व्यवस्था करनी पड़ी।

प्रेस की स्वाधीनता की रक्षा के लिए जो भी आंदोलन हुए उनमें मिश्रित यूनियनों का पूरा सहयोग रहा। आज जब अन्य अखिल भारतीय पत्रकार यूनियनों ओर संगठनों का दबदबा घट गया है तब मिश्रित यूनियनों के हार्दिक सहयोग के बिना सांकेतिक हड़ताल भी संभव नहीं है। अधिकतर मिश्रित यूनियनें ऑल इंडिया न्यूजपेपर एम्पलाईज फेडरेशन से संबद्ध हैं।

10.7 समस्याएं और चुनौतियां

स्वाधीनता मिलने के बाद पत्रकारों की अखिल भारतीय यूनियनों की कोशिशों से समाचारपत्र जगत के नियमन और पत्रकारों की आर्थिक स्थिति में सुधार की जो लहर उठी थी वह थम चुकी है। राजनैतिक, सामाजिक और व्यावसायिक प्रवृत्तियां प्रेस जगत पर इस कदर हावी हो चली हैं कि अखबारों में संपादक, संपादकीय विभाग और पत्रकार संगठनों की हैसियत और भूमिका घट गयी हैं। वे सूचना उद्योग के हाशिए पर खड़े नजर आ रहे हैं। जब समाज और राजनीति में सिद्धांत और नैतिकता को नए सिरे से परिभाषित होना पड़ रहा हो तो पत्रकारिता कैसे अछूती रह सकती है।

20 वर्ष पूर्व तक देश के अनेक बड़े समाचारपत्र समूहों में पेशेवर संपादक अखबार की नीति के अनुसार पत्रों का संपादन करते थे। उनके रोजमर्रा के काम में मालिक और मैनेजर दखल नहीं देते थे। लेकिन सन् सत्तर और अस्सी के दशक में परिस्थितियां तेजी से बदलीं। इन अखबारों के संचालन में मालिकों के उच्च शिक्षा प्राप्त बेटे-बेटियों का दखल बढ़ने लगा और इसलिए उनके मैनेजरों का भी। संपादकों और पत्रकारों को सरकार और समाज में उनसे अधिक सम्मान मिले, यह उन्हें गवारा नहीं हो रहा था। दूसरे, राजनैतिक अनुकूलता के मोह और संकुचित व्यावसायिक हितों का भी तकाजा था कि पत्रकारिता के आदर्शों और नैतिकता के सवाल कम से कम उठें या बिलकुल न उठें। इन मालिकों के सामने उन अखबारों के मालिकों का उदाहरण भी सामने था जो आरंभ से ही मालिक होने के साथ संपादन की जिम्मेदारी भी उठा रहे थे और अच्छे अखबार निकाल रहे थे। जैसे अमृत बाजार पत्रिका (बंगला), मलयाला मनोरमा (मलयालम), हिन्दू (अंग्रेजी)। इस वर्ग के प्रतिष्ठित अखबारों में मालिक और पत्रकार के रिश्ते लगभग पूर्ववत रहे-अलग-अलग प्रतिष्ठानों में अलग-अलग प्रकार के किंतु काफी हद तक सौहार्दपूर्ण। देश के सबसे बड़े समाचारपत्र प्रतिष्ठानों में टाइम्स ऑफ इंडिया, हिंदुस्तान टाइम्स, स्टेट्समैन और इंडियन एक्सप्रेस में संपादकों और संपादकीय विभाग की भूमिका और कद छोटा

करने और उन्हें रखने या निकालने का अनियंत्रित अधिकार पाने की गरज से पत्रकारों की नियुक्ति अल्पकालिक करार पर की जाने लगी। करार में विश्वास खोने पर सेवा-मुक्ति की शर्त खास तौर पर होती है। ऐसी सूरत में पत्रकार को कभी भी निकाला जा सकता है। श्रमजीवी पत्रकार अधिनियम और उसके अधीन बने नियमों के तहत कानूनी प्रक्रिया पूरी किए बिना या पर्याप्त कारण बताए बिना किसी को सेवा मुक्त नहीं किया जा सकता।

करार प्रथा मालिकों को विशेष रूप से पसंद है क्योंकि पत्रकार की जुबान और कलम को मालिक और मैनेजर की इच्छानुसार हांका जा सकता है, यूनियन का सदस्य बनने से रोका जा सकता है। उसकी हालत सफेदपोश दिहाड़ी मजदूर जैसी हो जाती है। कुछ प्रतिष्ठान वरिष्ठ पत्रकारों को वेज बोर्ड से अधिक वेतन और भत्ते देकर करार के अधीन उसके लगभग सभी कानूनी अधिकार छीन लेते हैं। छोटे और संकुचित मनोवृत्ति वाले समाचारपत्र प्रतिष्ठान वेतन भी कम देते हैं। ऐसे प्रतिष्ठान भी हैं जो अवैतनिक संवाददाता नियुक्त करते हैं-उन्हें विज्ञापन लाने पर कमीशन दिया जाता है और समाचार लाने पर कुछ पारिश्रमिक भी। अंशकालिक पत्रकारों की हालत और भी खस्ता है। जिनका मुख्य धंधा पत्रकारिता है प्राय: उनको भी इस शर्त पर रखा जाता है कि वे अपने गैरपत्रकार घोषित करें ताकि उन्हें वेज बोर्ड द्वारा निर्धारित वेतन न देना पड़े। बेरोजगारी के कारण या पत्रकार के नाते सामाजिक प्रतिष्ठा पाने के लिए तमाम नौजवान अवैतनिक या नाम मात्र के वेतन पर अंशकालिक पत्रकार बनना स्वीकार कर लेते हैं। ऐसे पत्रकारों की संख्या नियमित या पूर्णकालिक पत्रकारों से कहीं अधिक है।

जब पत्रकार की नियुक्ति नियमानुसार नहीं होती, वह निश्चित अवधि के करार पर काम करता है तो उसे यह पाबंदी भी स्वीकार करनी पड़ती है कि वह यूनियन का सदस्य न बने और उसकी गतिविधि में हिस्सा न ले।

मालिकों और राजनीतिज्ञों के बीच एक नया रिश्ता विकसित हुआ है। राजीव गांधी के समय में मानहानि संबंधी कानून में परिवर्तन की कोशिश विफल होने के बाद प्रेस को मर्यादित करने का कोई प्रयास नहीं किया गया। अब राजनेता मालिकों और अखबारों के चुने हुए पत्रकारों को उपकृत करके अपने अनुकूल करने का प्रयास करता है। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री ने करोड़ों रुपये पत्रकारों को चेक के जरिए बांटे। कई राज्यों में खासकर मध्यप्रदेश में रियायती दर पर पत्रकार कॉलोनियों में पत्रकारों को आवास या जमीनें दी गई हैं। मालिकों को रियायती दर पर जमीन और विज्ञापन के अलावा अन्य सुविधाएं मिल जाती हैं। इस रवैये के कारण न केवल पत्रकारिता की मर्यादा पर प्रश्न-चिन्ह लगा है वरन् मालिकों को कानून, खुला उल्लंघन करने की शह भी मिली है। राज्य सरकारों के श्रम विभागों को वेज बोर्ड द्वारा निर्धारित वेतन दिलवाने के लिए कार्रवाई करने का अधिकार है लेकिन उसका इस्तेमाल नहीं हो पाता। कई राज्यों में पत्रकारों के वेतन तथा अन्य समस्याओं के समाधान के लिए त्रिपक्षीय समितियां बनी हैं, मगर वे प्रभावी नहीं हो पातीं।

पिछले दो दशकों में रंगीन टेलीविजन आने के बाद व्यावसायिकता का तकाजा बड़ा है। इसी के साथ जैसे-जैसे समाचारपत्रों के साम्राज्य बड़े उनमें आपसी प्रतियोगिता भी बढ़ी। दूसरा ओर टेलीविजन के चैनल भी विज्ञापन खींचने लगे। विज्ञापनों पर खर्च होने वाली राशि बढ़ती जा रही है, मगर उसमें टेलीविजन की हिस्सेदारी भी बड़ी है। इसलिए विज्ञापन प्राप्त करने की होड़

में -खर्चा पूरा करने के लिए ही नहीं, साम्राज्य विस्तार के लिए भी-समाचारपत्र अपनी संपादकीय स्वाधीनता को गिरवी रखने में नहीं हिचक रहे। बड़ी विज्ञापनदाता कंपनी के खिलाफ तब तक आसानी से कोई समाचार नहीं छप सकता जब तक किसी कारण मामला सार्वजनिक न हो जाए। ये सब बाहरी प्रवृत्तियां और कारण हैं जिनकी वजह से पत्रकारों और उनके संगठनों का महत्व और प्रभाव घटा है। सामाजिक कारणों में व्यक्तिवाद और उपभोक्तावाद का उत्थान भी एक बड़ा कारण है जो समाज पर हावी होता जा रहा है।

पत्रकारों के संगठनों की भी कुछ खामियां हैं। 1950 में एक अखिल भारतीय यूनियन थी- भारतीय श्रमजीवी पत्रकार संघ। प्रतिबद्ध और निष्ठावान पत्रकार उसके सदस्य हुआ करते थे। अब तीन अखिल भारतीय यूनियनें हैं जो राजनैतिक दलों की तरह अपने को सर्वश्रेष्ठ सिद्ध करने में काफी शक्ति खर्च करती है। कभी-कभी मजबूरी में-जैसे वेज बोर्ड में-हाथ मिला लेती हैं। ऐसा कभी नहीं होता कि वे मिलकर साझी मांगें रखें। एक दूसरे से बढ़-चढ़कर वेतनमान और भत्ते मांगे जायेंगे। अंतिम चरण में परस्पर सहयोग की सोची जाएगी। साझी रणनीति और एकता के अभाव के अलावा इन यूनियनों का स्वतंत्र आर्थिक आधार नहीं है। स्मारिका या अन्य स्रोतों से जैसे-तैसे गुजारा करने लायक धनराशि इकट्ठी की जाती है जबकि यूनियनों को वित्तीय दृष्टि से आत्मनिर्भर होना चाहिए। मुसीबतजदा सदस्यों की आर्थिक सहायता करने में समर्थ होना चाहिए। कुछ राज्यों में कुछ इकाइयों ने सामूहिक बीमा और पेंशन योजनाएं आरंभ की है या कराई हैं पर यह काफी नहीं हैं।

कुल मिलाकर स्थिति है कि सभी पत्रकार संगठनों में पत्रकारों की दिलचस्पी घटती जा रही है। पत्रकारों की यूनियनों में नई पीढ़ी के पत्रकार शामिल नहीं हो रहे, होते भी हैं तो संगठन के काम-काज में अधिक रुचि नहीं लेते। नियुक्ति, वेतन, तरक्की, प्रबंधकों की गैरकानूनी कार्रवाई से रक्षा-इन मामलों में जब पत्रकार संगठन पत्रकार की मदद करने में असमर्थ होते जा रहे हैं तो उनकी पूछ, सार्थकता आदि को ग्रहण लगने लगे तो आश्चर्य नहीं होना चाहिए।

समाधान की दिशा

(1) तीनों अखिल भारतीय यूनियनों को वेतन और काम की शर्तों के बारे में साझी रणनीति बनानी चाहिए। एक स्थायी संयुक्त समिति बनाई जाए अथवा किसी अन्य विधि से पत्रकारों के समान हितों के बारे में परस्पर पूरक रवैया अपनाया जाए। पत्रकारों के ट्रेड यूनियन आंदोलन को पुनर्जीवित करने का और कोई रास्ता नहीं है।

(2) करार प्रथा समाप्त कराने की मुहिम छेड़ी जाए। इस गैरकानूनी प्रथा को अदालत में चुनौती दी जा सकती है बशर्ते कि पत्रकार समाज में एकता हो या कम से कम तीनों यूनियनें मिल कर काम करें। केवल वेज बोर्ड के सामने मामला उठाने से काम नहीं चलेगा क्योंकि वेज बोर्ड केवल वेतन और भत्तों का निर्धारण कर सकता है।

(3) बछावत वेज बोर्ड ने समाचारपत्र कर्मचारियों के वेतन निर्धारण के लिए स्थायी मशीनरी बनाने का सुझाव दिया था। सरकार पर दबाव डालकर ऐसी व्यवस्था कराई जाए कि वेतन निर्धारण के लिए आधारभूत जानकारी संचित करने के लिए एक प्रकोष्ठ बने। मनिसाना वेज बोर्ड पचास-साठ समाचारपत्र प्रतिष्ठानों के बारे में भी संपूर्ण जानकारी नहीं इकट्ठा कर पाया।

अब समय आ गया कि पत्रकार यूनियनें श्रमजीवी पत्रकार कानून के उपबंधों का पालन कराने के लिए सरकार पर दबाव डालें या फिर कोई निश्चित वैकल्पिक व्यवस्था करें।

(4) पत्रकार संगठन पत्रकारों में आपसी मेलजोल बढ़ाने, पेशे का स्तर उठाने वाले कार्यक्रमों, प्रशिक्षण आदि की व्यवस्था नियमित रूप से करें। पिछले दशक में पत्रकारिता का तेजी से विस्तार हुआ है, किताबी शिक्षण के भी केंद्रों की संख्या बढ़ी है, मगर व्यावहारिक प्रशिक्षण की नहीं। विचारगोष्ठी, वर्कशाप, भाषण आदि गतिविधियों पर बल देना चाहिए।

(5) वस्तुत: सभी पत्रकारों, उनकी यूनियनों और संगठनों को नई चुनौतियों के बारे में तथा उनसे निपटने के तरीकों के बारे में नए सिरे से विचार करना चाहिए। पिछले बीस वर्षों में जो परिवर्तन हुए हैं और तकनीकी प्रगति के कारण भविष्य में होने वाले हैं उनके संदर्भ में सोचना होगा। उनके अनुकूल कार्यविधि और कार्यक्रम बनाए जाने चाहिए। अगर पत्रकार संगठन स्वयं यह काम नहीं कर सकते तो तीसरे प्रेस आयोग के गठन की मांग की जानी चाहिए। 1980 में गठित दूसरे प्रेस आयोग की रिपोर्ट आने के बाद परिस्थितियां बहुत तेजी से बदली है।

10.8 सारांश

स्वाधीनता मिलने के तीन वर्ष बाद 195० में पत्रकारों का पहला अखिल भारतीय संगठन बना जिसने पत्रकारों की अर्थिक स्थिति में और काम की शर्तों के अलावा प्रेस की स्वाधीनता की रक्षा का बीड़ा उठाया इस शक्तिशाली संगठन के आग्रह पर 1952 में पहला प्रेस आयोग बैठा जिसने पत्रकारों और अखबारों की दशा का अध्ययन करके कई महत्वपूर्ण सुझाव दिए परिणामस्वरूप श्रमजीवी पत्रकार अधिनियम, भारतीय प्रेस परिषद् , रजिस्ट्रॉर ऑफ न्यूजपेपर्स सूचना एवं जनसंपर्क निदेशालय अस्तित्व में आए पत्रकारों के वेतन निर्धारण के लिए वेज बोर्ड गठित होने लगे।

पिछले पचास वर्षों में पत्रकारों और उनके संगठनों की संख्या में वृद्धि हुई है और समाचारपत्रो की संख्या और उनका परिचलन बेतहासा बढ़ गया है। पत्रकारों की पुरानी समस्याएं सुलझी हैं लेकिन व्यावसायिक प्रवृत्तियों और प्रौद्योगिक उन्नति के कारण नई विसंगतियां समस्याएं और चुनौतियां भी उभरी हैं पत्रकार संगठनों को अपनी खामियां दूर करते हुए इन समस्याओं का समाधान भी खोजना है।

10.9 शब्दावली

ट्रेड यूनियन : श्रमिकों का ट्रेड यूनियन अधिनियम के अधीन पंजीकृत संगठन जो अपने सदस्यों के वेतन और नौकरी से संबंधित मामले उठाता है और उनके लिए संघर्ष करता है।

अखिल भारतीय संघ (फेडरेशन) : स्थानीय और क्षेत्रीय यूनियनों का संघ। ऐसे संघ या संगठन राष्ट्रीय स्तर पर अपनी सदस्य यूनियनों का प्रतिनिधित्व करते है।

प्रेस परिषद : हाईकोर्ट अथवा सुप्रीम कोर्ट के कार्यरत अथवा अवकाश प्राप्त न्यायाधीश की अध्यक्षता में गठित स्वायत्त अनुविहित संगठन जिसमें श्रमजीवी पत्रकारों, संपादकों और छोटे-बड़े समाचारपत्रों तथा संवाददाता समिति के प्रतिनिधियों के अलावा पांच संसद सदस्य (3

लोकसभा, 2 राज्यसभा), बार काउंसिल ऑफ इंडिया, विश्वविद्यालय अनुदान आयोग तथा साहित्य अकादमी का एक-एक प्रतिनिधि होता है। परिषद सरकारी प्रतिष्ठानों के विरुद्ध अखबारों की और अखबारों के खिलाफ दूसरों की शिकायतें सुनकर फैसला देती है। लेकिन उसे दंड देने का अधिकार नहीं है। पत्रकारों और अखबारों के लिए आचरण संहिता विकसित करना उसका उद्देश्य है। इसे अखबार उद्देश्य की नैतिक अदालत कहा जा सकता है।

समाचारपत्रों का रजिस्ट्रार : समाचारपत्रों के नामों का अनुमोदन और उनकी प्रसार संख्या की जांच करने वाला राजकीय संगठन।

अल्पकालिक करार : श्रमजीवी पत्रकार अधिनियम की धारा 16 के अधीन इस अधिनियम की व्यवस्थाएं सर्वोपरि हैं। पत्रकार को करार पर रखा जा सकता है बशर्ते कि अधिनियम के अधीन मिलने वाली सभी सुविधाओं के अलावा उसे अतिरिक्त लाभ हो रहा हो।

10.10 कुछ उपयोगी पुस्तकें

1. प्रथम प्रेस आयोग का प्रतिवेदन
2. भारतीय प्रेस परिषद के वार्षिक प्रतिवेदन
3. इंकवर्ल्ड के अंक

10.11 निबंधात्मक प्रश्न

1. पत्रकार ट्रेड यूनियनों की उपलब्धियों का वर्णन कीजिए।
2. राजनैतिक और व्यावसायिक प्रवृत्तियां पत्रकारों और पत्रकारिता को किस ओर ले जा रही हैं?
3. पत्रकार संगठनों को नई चुनौतियों का सामना करने के लिए क्या करना चाहिए?

इकाई 11 श्रमजीवी पत्रकार कानून

इकाई की रूपरेखा

11.0 उद्देश्य
11.1 प्रस्तावना
11.2 प्रथम प्रेस आयोग
11.2.1 पत्रकार विशिष्ट कर्मचारी है
11.2.2 पत्रकार की स्वतंत्रता
11.3 पत्रकार अधिनियम: परिभाषाएं
11.4 विशेष प्रावधान
11.4.1 औद्योगिक विवाद कानून का' लाभ
11.4.2 ग्रैच्युटी
11.4.3 काम के घंटे
11.4.4 मजदूरी दर निर्धारण
11.5 वेज बोर्ड
11.5.1 वेज बोर्ड का गठन
11.5.2 वेज बोर्ड के अधिकार
11.5.3 केन्द्रीय सरकार का आदेश
11.5.4 अन्य समाचारपत्र कर्मचारी
11.6 स्थायी आदेश और भविष्य निधि
11.6.1 स्थायी आदेश
11.6.2 भविष्य निधि
11.7 प्रकीर्ण उपबंध : कार्यान्वयन
11.7.1 अधिनियम सर्वोपरि है
11.7.2 देय राशि की वसूली
11.7.3 रजिस्टर और अभिलेख का रख-रखाव
11.7.4 नियमावली
11.7.5 श्रमजीवी पत्रकार स्थाई आदेश
11.8 कार्यान्ययन में कठिनाइयां
11.8.1 निर्धारित वेतन क्रम
11.8.2 सेवा संविदा या करार
11.8.3 स्थापनों की अडंगेबाजी
11.9 कुछ सुझाव
11.10 सारांश

11.11 शब्दावली

11.12 कुछ उपयोगी पुस्तकें

11.13 निबन्धात्मक प्रश्न

11.0 उद्देश्य

इस इकाई का अध्ययन करने के बाद आप बता सकेंगे

- श्रमजीवी पत्रकारों की सेवा की शर्तो के निर्धारण के लिए अलग कानून क्यों बनाया गया?
- श्रमजीवी पत्रकार अधिनियम की विशेषताएं क्या हैं?
- अधिनियम में अनेक बार संशोधन करने की नौबत क्यों आई?
- अधिनियम में उपबंधों के परिपालन में व्यावहारिक कठिनाइयां कौन-सी हैं?
- अधिनियम में संशोधन की मांग क्यों की जा रही है?

11.1 प्रस्तावना

पचास वर्ष पूर्व प्रत्येक समाचारपत्र संगठन अपने पत्रकार कर्मचारियों की सेवा की शर्ते स्वयं तय करता था। उसके कार्यकाल, वेतन, काम के घंटों और सेवा का अन्य शर्तो के संबंध में अराजकता व्याप्त थी। सन् 1940 के दशक में पत्रकारों की यह मांग जोर पकड़ने लगी कि उनकी सेवा की शर्तो का नियमन हो और न्यूनतम वेतन तय किया जाए। छिटपुट सरकारी और गैरसरकारी प्रयासों का कोई नतीजा नहीं निकल रहा था। आखिरकार 1950 में पत्रकारों के एक शक्तिशाली संगठन का जन्म हुआ। नाम था अखिल भारतीय श्रमजीवी पत्रकार संघ (इंडियन फेडरेशन ऑफ जर्नलिस्ट्स)। प्रथम अध्यक्ष बने नेशनल हेराल्ड के संपादक एम. चेलापति राव।

पत्रकारों की संगठित शक्ति की उपेक्षा स्वाधीन भारत की सरकार नहीं कर सकी। उसने 1952 में समाचारपत्र जगत की दशा के अध्ययन और पत्रकारों की सेवा की शर्तो को निरूपित करने के लिए प्रेस आयोग का गठन कर दिया। इसके अध्यक्ष थे न्यायमूर्ति जी.एस. राज्याध्यक्ष।

दो वर्ष बाद प्रथम प्रेस आयोग की रिपोर्ट आ गई जिसमें समाचार 'पत्रों की आर्थिक स्थिति का आकलन तो था ही, पत्रकारों की सेवा की शर्तों को नियमित करने के सुझाव भी शामिल थे। आयोग ने दूसरे देशों के कानूनों और प्रचलित परंपरा का हवाला देते हुए पत्रकारों को विशिष्ट कोटि का कर्मचारी माना। इसमें पत्रकारों के लिए न्यूनतम वेतन, काम के घंटे, साप्ताहिक अवकाश, उपार्जित अवकाश, पदोन्नति, अवकाश प्राप्ति की उम्र और ग्रैच्युटी के नियम बनाने की सिफारिश की। इसके अलावा पत्रकारों को भविष्य निधि अधिनियम तथा औधोगिक विवाद अधिनियम के दायरे में लाने का भी सुझाव दिया।

प्रेस आयोग की यह सिफारिश प्रकारों के गले नहीं उतरी कि सबसे निचले सोपान के पत्रकार का न्यूनतम वेतन 125 रुपये हो और वेतनमान का निर्धारण मालिकों और पत्रकारों के बीच सामूहिक सौदेबाजी के आधार पर हो। न्याय निर्णायक (एडजुडिकेटर) द्वारा वेतन निर्धारण की सिफारिश भी उन्हें पसंद नहीं आई।

पत्रकार संगठन के आंदोलन के परिणामस्वरूप जब श्रमजीवी पत्रकार (सेवा की शर्तें) और प्रकीर्ण अधिनियम बना तो उसमें वेतन के निर्धारण के वास्ते वेज बोर्ड के गठन का प्रावधान कर दिया गया। 1955 में पारित इस अधिनियम से पत्रकारों के वेतनमान सुधरते गए हैं किंतु समय-समय पर बाधाएं भी आती रहती हैं। इसके अलावा अधिनियम की व्यवस्थाओं के परिपालन में दिक्कतें बनी रहती हैं। बहुतेरे समाचारपत्र स्थापन अधिनियम का अनुसरण नहीं करते। अमलदारी के लिए जिम्मेदार राज्य सरकारें भी अधिनियम के उपबंधों की अधिक चिंता नहीं करतीं।

11.2 प्रथम प्रेस आयोग

11.2.1 पत्रकार विशिष्ट कर्मचारी हैं

1952 में नियुक्त प्रथम प्रेस आयोग ने समाचारपत्रों के पत्रकारों की काम की परिस्थितियों का विश्लेषण करके उनको विशेष दर्जा दिया है। प्रतिवेदन के पैरा 512 में कहा गया है कि 'पत्रकारिता के लिए सामान्य: उच्च शिक्षा और किसी न किसी प्रकार के विशिष्ट प्रशिक्षण की आवश्यकता होती है। समाचारपत्र लोकमत को शिक्षित करने के विशेष महत्वपूर्ण साधन हैं। उन्हें जनता के अधिकार को संरक्षण देना है और जनमत को न केवल प्रतिबिंबित करना है वरन् उसका मार्गदर्शन भी करना है। वे लोकतंत्र के अनिवार्य अंग हैं। इसलिए पत्रकारिता में ऐसे व्यक्ति होने चाहिए जिनमें उच्च कोटि की बौद्धिक और नैतिक खूबियां हों। पत्रकार एक प्रकार से रचनाशील कलाकार हैं और जनता, सही हो या गलत, उनसे आशा करती है कि वे सब कुछ जानते हैं और वे किसी भी विषय के बारे में राय देने के सक्षम हैं। इसके अलावा जिन परिस्थितियों में उन्हें काम करना पड़ता है वे इस पेशे में पाई जाती हैं, अन्यत्र नहीं। पत्रकारों को भारी दबाव में काम करना होता है क्योंकि, अधिकांश समाचारपत्र. सुबह निकलते हैं इसलिए पत्रकारों को रात में देर तक और चौबीसों घंटे काम करना पड़ता है।.... इसके अलावा कार्यकाल (सेवा अवधि) की अनिश्चितता इस पेशे का असामान्य तत्व है। इसका तात्पर्य यह नहीं है कि दूसरे पेशों में अनिश्चितता नहीं है, लेकिन पत्रकारिता के पेशे में ऐसी परिस्थितियां पैदा हो सकती हैं जो बेरोजगारी का कारण बनें। यह आवश्यक नहीं कि वैसी परिस्थितियां दूसरे पेशे में भी बेरोजगारी का कारण बनें। हमारे सामने ऐसे मामले आए हैं जिनमें समाचारपत्र का स्वामित्व बदलने या संपादकीय नीति में परिवर्तन की दशा में संपादकीय विभाग के कर्मचारियों (पत्रकारों) में उल्लेखनीय बदलाव हो गया। अन्य उधमों में स्वामित्व बदलने पर साधारणत: कर्मचारी बदले नहीं जाते...... कुछ मामलों में संपादकीय विभाग के लगभग सभी कर्मचारी बदल दिए गए। श्रमजीवी पत्रकारों की दशा सुधारने की योजना बनाते समय उन परिस्थितियों का ध्यान रखा जाना चाहिए जो इसी पेशे में पाई जाती हैं।' (अविकल अनुवाद)

11.2.2 पत्रकार की स्वतंत्रता

सरकार ने अधिनियम की रचना के समय आयोग के विश्लेषण और सुझावों का पूरा ध्यान रखा। यहां तक कि पत्रकारों को अंत: करण के आधार पर इस्तीफा देने या इकरारनामों

को तोड़ने का अधिकार भी दिया है। यदि कोई पत्रकार तीन वर्ष हे कर चुकने पर अंत: करण के आधार पर त्यागपत्र देता है तो भी वह ग्रैज्यूटी पाने का अधिकारी होगा। इस उपबंध को सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दी गई, लेकिन वह अस्वीकार कर दी गई।

श्रमजीवी पत्रकारों के पेशे की प्रकृति और तरह-तरह के दबावों को देखते हुए विश्व के अनेक देशों में भी उन्हें कुछ विशेष सुविधाएं या अधिकार दिए गए हैं। प्रेस आयोग ने अंत करण संबंधी धारा के संदर्भ में गहराई से विचार किया है। उसने यूनेस्को द्वारा 1951 में प्रकाशित उग्ध्ययनमाला (लेजिस्लेशन फॉर प्रेस, फिल्म ऐंड रेडियो इन द वर्ल्ड टुडे) का एक अंश पृष्ठ 404 पर उद्धृत किया है।'

'पेशेवर पत्रकार को जो दर्जा मिला है उससे होने वाले फायदों में एक विशेष रूप से उल्लेखनीय है, क्योंकि वह पेशे की तह तक जाता है। इसका संबंध सूचना की स्वाधीनता से है। इसका उद्देश्य है पत्रकार की स्वतंत्रता, वैचारिक स्वतंत्रता और उसका नैतिक अधिकार.। इसे फांस में 'काशंस क्लाज' कहते हैं।'

इसका सार तत्व है कि जब पत्रकार की सत्यनिष्ठा को गंभीर खतरा हो तो वह संबंधित समाचारपत्र से किया गया करार तोड़ सकता है और उसे वे सभी लाभ मिलेंगे जो मालिक द्वारा संबंध विच्छेद किए जाने पर उसे मिलते।.. अंत: करण के आधार पर संबंध-विच्छेद की नौबत तब आती है जब समाचारपत्र या पत्रिका की नीति या चरित्र में उल्लेखनीय परिवर्तन आने से पत्रकार का अपने सम्मान, ख्याति या सामान्यत: उसके नैतिक हित के लिए खतरा पैदा हो। पत्रकार को इस नैतिक अधिकार की तुलना लेखक य कलाकार के अधिकार से की जा सकती है जिसे सबसे पहले 1935 में फ्रांस में कानूनी तौर पर मान्यता दी गई। इसे पोलैंड में तथा अन्य देशों में भी स्वीकार किया गया है। 31 जनवरी, 1938 को पोलैंड में हुए सामूहिक इकरारनामे में दो परिस्थितियों में पत्रकार को नोटिस दिए बिना करार रद्द करने का अधिकार है। ये स्थितियां हैं : (के) जब मालिक अनैतिक कार्य करने के लिए पत्रकार पर दबाव डाले और (ख) जब पत्र-पत्रिका के दृष्टिकोण में मौलिक अंतर आए जिसकी सार्वजनिक रूप से घोषणा की गई हो अथवा अन्य प्रकार से यह परिवर्तन प्रकट हो रहा है।'

(भावानुवाद)

बोध प्रश्न-1

1. पत्रकार की सेवा की शर्ते क्यों तय की गई?
2. पत्रकार को समाचारपत्र में विशेष दर्जा क्या दिया गया?
3. पत्रकार की स्वतंत्रता से क्या तात्पर्य है?

11.3 पत्रकार अधिनियम : परिभाषाएं

बोर्ड : धारा 9 के अधीन श्रमजीवी पत्रकारों के लिए और 13ग के अधीन अन्य समाचारपत्र कर्मचारियों के लिए गठित बोर्ड।

समाचारपत्र : ऐसी कोई छपी हुई नियतकालिक कृति, जिसमें सार्वजनिक समाचार या सार्वजनिक समाचारों पर टीका-टिप्पणी हो केंद्र सरकार को अधिकार है कि वह अन्य नियतकालिक कृतियों को इस वर्ग में शामिल कर सके।

टिप्पणी : अदालतों के फैसले छापने वाली पत्रिका "आल इंडिया रिपोर्टर" के मामले में सुप्रीम कोर्ट का 1988 का फैसला है कि अदालती फैसलें सार्वजनिक समाचार है और यह पत्रिका निर्धारित अंतराल पर प्रकाशित होती है, इसलिए वह समाचारपत्र की श्रेणी में आती

समाचारपत्र कर्मचारी : श्रमजीवी पत्रकार और अन्य व्यक्ति जो किसी समाचारपत्र स्थापन में या उसका काम करने के लिए नियोजित किया गया हो। (धारा 2 ग)

समाचारपत्र स्थापन : एक या अधिक समाचारपत्रों के उत्पादन (प्रोडक्शन) या प्रकाशन के लिए अथवा कोई संवाद समिति या सिंडीकेट चलाने के लिए किसी व्यक्ति अथवा व्यक्तियों के नियंत्रण के अधीन स्थापित निकाय, जो नियमित हो या न हो। उन समाचारपत्र स्थापनों को एक स्थापन माना जाएगा जिनका उल्लेख अनुसूची में किया गया है।

समाचारपत्र स्थापन के विभिन्न विभागों, शाखाओं और केंद्रों को उनका हिस्सा माना जाएगा। यदि किसी छापना का मुख्य व्यवसाय समाचारपत्र छापना है तो उसे भी समाचारपत्र स्थापन माना जाएगा।

टिप्पणी : अधिनियम में संशोधन करके समाचारपत्र स्थापन की परिभाषा की व्याख्या इस प्रकार की गई है कि अखबारों के मालिक अलग-अलग कंपनियों का गठन करके युक्तिसंगत मजदूरी (वेतन) की दरें देने से न बच सकें। यह संशोधन बछापत वेज नोर्ड की सिफारिशों को कानूनी विवादों से बचाने के लिए किया गया।

गैरपत्रकार समाचारपत्र-कर्मचारी : समाचारपत्र में या उसके संबंध में नियुक्त वह व्यक्ति इस श्रेणी में नहीं आता जो श्रमजीवी पत्रकार है या मुख्य रूप से प्रबंधकीय या प्रशासनिक नियोजित हैसियत में नियोजित है। पर्यवेक्षकीय हैसियत में व्यक्ति भी मुख्यत : प्रबंधकीय प्रकृति के काम करता है तो इस श्रेणी में नहीं आता।

टिप्पणी : इस प्रकार समाचारपत्र स्थापनों में तीन श्रेणी के व्यक्ति नियोजित हैं: श्रमजीवी पत्रकार, प्रबधकीय या प्रशासनिक प्रकृति के काम करने वाले और अन्य कर्मचारी।

श्रमजीवी पत्रकार : इसका मुख्य व्यवसाय पत्रकारिता है और वह एक या अधिक समाचारपत्रों में या उसके संबंध में पूर्णकालिक अथवा अंशकालिक रूप से नियोजित है। यथा संपादक, लीड राइटर, समाचार संपादक, उप संपादक, फीचर लेखक, प्रकाशन विवेचक, रिपोर्टर, संवाददाता, व्यंग्य-चित्रकार, समाचार फोटोग्राफर और प्रूफरीडर। किंतु ऐसा व्यक्ति जो प्रबंधकीय या प्रशासनिक हैसियत में नियोजित है अथवा प्रबंधकीय या प्रशासनिक कृत्य करता है वह श्रमजीवी पत्रकार नहीं है।

टिप्पणी : केंद्र सरकार ने वेज बोर्डो के सुझाव पर या अपने विवेक से विभिन्न पद-नाम वाले व्यक्तियों को श्रमजीवी पत्रकार माना है, जैसे कातिब, कैलिग्राफिस्ट आदि।

श्रमजीवी पत्रकार होने की कसौटी है: मुख्य व्यवसाय पत्रकारिता का हो। यानी आय का मुख्य साधन पत्रकारिता हो।

मजदूरी : इससे वे सभी सुविधाएं और अदायगियां शामिल हैं जो सेवा की लिखित या अंतर्निहित शर्ते पूरी होने पर समाचारपत्र के कर्मचारी को नियोजन या नियोजन के दौरान संपन्न कार्य के लिए देय होंगी। मजदूरी में ये सभी शामिल हैं : (1) ऐसे भत्ते (जैसे महंगाई भत्ता) जो समय-समय पर कर्मचारी को मिलने चाहिए, (2) निवास, बिजली, पानी, चिकित्सा संबंधी सुविधाएं और रियायतें (3) यात्रा-सहायता, लेकिन उसमें बोनस, पेंशन फंड अथवा भविष्य में नियोक्ता का अंशदान शामिल नहीं है।

यह भी स्पष्ट कर दिया गया है कि समय-समय पर निर्धारित नए भत्ते भी मजदूरी में शामिल माने जाएंगे।

टिप्पणी : यह परिभाषा 1989 में जोडी गई है।

11.4 विशेष प्रावधान

11.4.1 औधोगिक विवाद अधिनियम 1947 का लाभ

धारा 3 श्रमजीवी पत्रकारों को कर्मकार (वर्कमैन) की परिधि में ले जाती है। लेकिन इस अधिनियम के नोटिस. की अवधि संबंधी उपबंध को संशोधित करके व्यवस्था की गई है कि संपादकों को निकालने के लिए छह माह का और अन्य पत्रकारों के लिए तीन माह का नोटिस अनिवार्य होगा। इस अधिनियम का सबसे बड़ा लाभ यह है कि पत्रकार कर्मकारों की तरह औधोगिक अधिकरण अथवा अदालत की शरण ले सकता है।

11.4.2 ग्रैच्युटी

अधिनियम की धारा 5 में श्रमजीवी पत्रकारों के लिए विशेष रूप से ग्रैच्युटी की व्यवस्था की गई क्योंकि औधोगिक कर्मचारियों के लिए ग्रैच्युटी अधिनियम बहुत बाद में बना। इसकी मुख्य बातें हैं-

(क) तीन वर्ष की लगातार सेवा के बाद अगर किसी श्रमजीवी पत्रकार को अनुशासनात्मक कार्रवाई के तौर पर सेवामुक्त करने के अलावा किसी भी कारण से निकाला जाता है तो वह ग्रैच्युटी का हकदार होगा।

(ख) 10 वर्ष की सेवा के बाद श्रमजीवी पत्रकार यदि किसी भी कारण से स्वेच्छया त्यागपत्र देता है तो वह ग्रैच्युटी का हकदार है।

(ग) अगर श्रमजीवी पत्रकार अंत: करण के आधार पर त्यागपत्र देता है और तीन वर्ष की सेवा पूरी हो चुकी है तो भी उसे ग्रैच्युटी मिलेगी।

(घ) कार्यरत पत्रकार की मृत्यु होने पर उसके वारिसों को ग्रैच्युटी मिलेगी।

लेकिन श्रमजीवी पत्रकारों को अधिक से अधिक साढ़े बारह माह के औसत वेतन से अधिक ग्रैच्युटी नहीं दी जाएगी।

जिस स्थापन में छह से कम श्रमजीवी पत्रकार हों उनके लिए कम ग्रैच्युटी का प्रावधान किया गया है।

11.4.3 काम के घंटे और अवकाश

धारा 6 में श्रमजीवी पत्रकार के काम के घंटे तय कर दिए गए हैं। उससे यह अपेक्षा नहीं की जाती कि वह लगातार चार सप्ताह की किसी कालावधि में 144 घंटे से अधिक समय तक काम करे। सप्ताह में 24 घंटे का अवकाश भी विहित किया गया है।

धारा 7 में आकस्मिक और अन्य छुटिटयों के अलावा श्रमजीवी पत्रकार को कार्यावधि का ग्यारहवां भाग पूरी मजदूरी पर उपार्जित छुट्टी पाने का हक होगा। इसके अलावा चिकित्सक का प्रमाणपत्र देने पर वह सेवाकाल की एक बटा अठारह के बराबर अवधि के लिए आधे वेतन पर छुट्टी ले सकता है।

11.4.4 मजदूरी दर का निर्षारण

अधिनियम की धारा 8 का विशेष महत्व है। यह केंद्र सरकार को श्रमजीवी पत्रकारों के लिए मजदूरी की दरें निर्धारित करने का पूरा अधिकार देती है। इस अधिकार का उपयोग अधिनियम के उपबंधों के निर्धारित विधि से ही किया जा सकता है। समय समय पर कालानुपाती और मात्रानुपाती काम के लिए मजदूरी की दरों का पुनरीक्षण (रिवीजन) कर सकती है। कालानुपाती यानी सेवाकाल और मात्रानुपाती यानी काम की मात्रा (टाइम वर्क और पीस वर्क) के लिए।

केंद्र सरकार मजदूरी की दरें वेज बोर्ड द्वारा की गई सिफारिशों पर विचार के बाद आदेश द्वारा लागू करेगी। वह मेज बोर्ड के द्वारा की सिफारिशों को यथावत मानने के लिए बाध्य नहीं है।

मजदूरी की दरें तय करने की प्रक्रिया पर हम अगले पृष्ठों में विचार करेंगे।

11.5 वेज बोर्ड

11.5.1 बोर्ड का गठन

मजदूरी की दरें निर्धारित करने के प्रयोजन से सरकार को आवश्यकता प्रतीत होने पर एक मजदूरी बोर्ड गठित करने का अधिकार धारा 9 में दिया गया है। इसमें समाचारपत्र स्थापनों के नियोजकों तथा श्रमजीवी पत्रकारों का प्रतिनिधित्व करने वाले प्रतिनिधियों के अलावा तीन स्वतंत्र व्यक्ति होंगे। तीन में से एक किसी उच्च न्यायालय अथवा उच्चतम न्यायालय का मौजूदा या अवकाश प्राप्त न्यायाधीश होगा।

11.5.2 बोर्ड के अधिकार

धारा 10 में बोर्ड की कार्यावधि का उल्लेख है: (1) बोर्ड सभी संबंधित पक्षों से अभ्यावेदन (रिप्रिजेंटेशन) आमंत्रित करेगा जिससे कि मजदूरी की दरें नियत या पुनरीक्षित की जा सकें। (2) अभ्यावेदन लिखित रूप में होंगे, (3) पूर्वोका अभ्यावेदनों और अपने समक्ष रखी गई सामग्री के आधार पर केंद्र सरकार को अपनी सिफारिशें देगा। (4) सिफारिशें करते समय बोर्ड निर्वाह व्यय का, सद्दश नियोजन के लिए मौजूदा दरों का, देश के विभिन्न प्रदेशों के

समाचारपत्र उद्योग से सम्बद्ध परिस्थितियों का और किन्हीं अन्य परिस्थितियों का जो बोर्ड द्वारा सुसंगत प्रतीत हों, ध्यान रखेगा। अभ्यावेदन कर्ताओं से अपेक्षा की गई है कि मजदूरी दर संबंधी सुझाव देते समय स्थापनों की अदायगी क्षमता का ध्यान रखेगे।

इस धारा में यह स्पष्टीकरण भी दिया गया है कि बोर्ड अखिल भारतीय स्तर पर मजदूरी की दरें निर्धारित -कर सकता है।

बोर्ड उन सभी अधिकारों का उपयोग कर सकता है जो औद्योगिक विवाद अधिनियम के अधीन गठित औधोगिक अधिकरण को मिले होते हैं। (धारा 11)

11.5.3 केन्द्रीय सरकार का आदेश

धारा 12 के अधीन केन्द्र सरकार को बोर्ड की सिफारिशों में संशोधन करके अथवा यथावत स्वीकार करके उनको प्रभावी बनाने का आदेश जारी करने का अधिकार है। अगर परिवर्तन या संशोधन सरकार की निगाह में सिफारिशों के स्वरूप में “महत्वपूर्ण परिवर्तन” नहीं करते, तो संशोधित सिफारिशों को लागू करने के लिए आदेश कर सकती है। अगर परिवर्तन महत्वपूर्ण है तो उनसे प्रभावित हो सकने वाले सभी पक्षों से अभ्यावेदन आमंत्रित करेगी अथवा सिफारिशों अथवा उसके किसी एक भाग को पुनर्विचार के लिए बोर्ड के पास भेज सकती है।

धारा 12 के अधीन सरकार द्वारा किया गया प्रत्येक निर्देश शासकीय राजपत्र में प्रकाशित किया जाएगा। यह आदेश प्रकाशन की तिथि से, पिछली तिथि से या भावी तिथि से, जैसा कि आदेश में कहा गया हो, प्रभावी होगा।

धारा 13 में स्पष्ट रूप से कहा गया है कि प्रत्येक श्रमजीवी पत्रकार आदेश में निर्दिष्ट मजदूरी की दर पाने का हकदार होगा-उससे कम राशि उसे नहीं दी जा सकती।

धारा 13 क और 13 क क मजदूरी की अंतिम दरों के बारे में हैं। केंद्र सरकार को बोर्ड से परामर्श के पश्चात् अंतरिम दरें तय करने का अधिकार है। इसी धारा के एक उपबंध के अनुसार अगर बोर्ड किसी कारण प्रभावकारी रूप में कार्य करने में समर्थ नहीं रहा है तो सरकार उसके स्थान पर अधिकरण की नियुक्ति कर सकती है।

11.5.4 अन्य समाचारपत्र कर्मचारी

धारा 6 में पत्रकारों से भिन्न समाचारपत्र कर्मचारियों के लिए वेज बोर्ड के गठन का प्रावधान है। इस बोर्ड का अध्यक्ष वही होता है जो पत्रकार वेज बोर्ड का। यह बोर्ड भी पत्रकार बोर्ड की तरह काम करता है।

बोध प्रश्न-2

1. समाचारपत्र स्थापन की परिभाषा बताइए।
2. क्या केंद्र सरकार बोर्ड की सिफारिशों में संशोधन कर सकती है?
3. मजदूरी को दर में क्या भत्ते भी शामिल होते हैं?

11.6 स्थायी आदेश और भविष्यनिधि

11.6.1 स्थायी आदेश

समाचारपत्र कर्मचारियों को, जिनमें श्रमजीवी पत्रकार भी शामिल हैं, 1947 के औद्योगिक विवाद अधिनियम की परिधि में लाने के बाद यह स्वाभाविक. था कि औद्योगिक स्थापनों पर लागू होने वाले कुछ हितकारी अधिनियमों को समाचारपत्र स्थापनों पर भी लागू किया जाता।

धारा 14 के अनुसार औद्योगिक नियोजन (स्थायी आदेश), अधिनियम, 1946 उन सभी समाचारपत्र स्थापनों पर लागू होगा जिनमें 20 या अधिक कर्मचारी काम करते हों या पिछले बारह महीनों में किसी भी दिन 20 या अधिक या अधिक समाचारपत्र कर्मचारी नियोजित थे. क्योंकि समाचारपत्र कर्मचारी भी पूर्वोक्त अधिनियम के अर्थ में कर्मकार हैं।

11.6.2 भविष्य निधि

कर्मचारी भविष्य निधि (और प्रकीर्ण उपबंध) अधिनियम 1952 भी हर ऐसे समाचारपत्र स्थापन पर लागू होगा जिसमें किसी भी दिन 20 या अधिक व्यक्ति कार्यरत हैं। समाचारपत्र स्थापनों को भी कारखाने का दर्जा दिया गया है।

11.7 प्रकीर्ण उपबंध : कार्यान्वयन

अधिनियम का बनना जितना महत्वपूर्ण है उतना ही बल्कि उससे कहीं अधिक महत्वपूर्ण है अधिनियमों के उपबंधों का पालन कराने की व्यवस्था क्योंकि यह आवश्यक नहीं कि कानून बन जाने पर सभी संबंधित पक्ष उसके अनुसार काम करें। श्रमजीवी पत्रकार अधिनियम में श्रमजीवी पत्रकारों और अन्य समाचारपत्र कर्मचारियों को जो अधिकार दिए गए हैं उन्हें सुनिश्चित करने के लिए अधिनियम में कई उपबंध हैं। अधिनियम के चौथे अध्याय में प्रकीर्ण उपबंधों की रचना इसी उद्देश्य से की गई है।

11.7.1 अधिनियम सर्वोपरि है

धारा 16 में श्रमजीवी पत्रकार अधिनियम को सर्वोपरि घोषित करते हुए कहा गया है कि इसके उपबंध हर सूरत में लागू होंगे। कोई दूसरा कानून, अधिनिर्णय (अवार्ड), करार या सेवा संविदा जिसमें कोई बात इस अधिनियम के अनुरूप नहीं है तो भी अधिनियम के उपबंध ही प्रभावी होंगे। इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि कोई कानून अधिनिर्णय, करार या सेवा संविदा इस अधिनियम के प्रभावी होने के बाद बना है या पहले बना था।

इस उपबंध के एक अपवाद भी रखा गया है। समाचारपत्र कर्मचारी को इस अधिनियम के अधीन मिलने वाले सभी लाभों के अलावा अगर किसी मामले में अधिनियम की तुलना में अधिक लाभ मिल रहा है तो वह ऐसा करार या सेवा संविदा करने के लिए स्वतंत्र हैं।

विधायिका की स्पष्ट मंशा है कि इस अधिनियम के अधीन मिलने वाले सभी लाभ कर्मचारी को मिले। यह अतिरिक्त लाभ या सुविधाएं प्राप्त करें, मगर अधिनियम प्रदत्त

अधिकारों से समझौता करके नहीं। इसी धारा के अगले उपबंध में कहा गया है कि सरकारी आदेश द्वारा निर्धारित मजदूरी अदा करने की जिम्मेदारी से बचने के लिए किसी समाचारपत्र कर्मचारी को पदच्युत या सेवामुक्त नहीं करेगा या उसकी छंटनी नहीं करेगा।

11.7.2 देय राशि की वसूली

समाचारपत्र कर्मचारी को अगर इस अधिनियम के अधीन स्थापन से जो राशि मिलनी चाहिए, लेकिन नहीं मिल रही अथवा देय शशि संबंधी विवाद खड़ा किया जा रहा है तो विवाद के समाधान और वसूली के लिए धारा 17 में समुचित व्यवस्था की गई है। समाचारपत्र कर्मचारी, उसके द्वारा अधिकृत व्यक्त अथवा कर्मचारी की मृत्यु हो जाने पर उसका वारिस देय राशि की वसूली के लिए राज्य सरकार को आवेदन कर सकेगा। यदि राज्य सरकार अथवा इस काम के लिए निर्दिष्ट अधिकारी को समाधान हो जाता है कि यह राशि उसे मिलनी चाहिए तो वह एक प्रमाणपत्र कलेक्टर को भेजेगा, जो उसी रीति से वसूली की कार्रवाई करेगा, जिस रीति से भू-सवस्थ की बकाया रकम वसूल की जाती है।

देय राशि के संबंध में विवाद हो तो राज्य सरकार मामला श्रम अदालत को सौंपेगी। श्रम अदालत. द्वारा देय राशि की वसूली के लिए कार्रवाई की जाएगी।

11.7.3 रजिस्टर और अभिलेख का रखरखाव

अधिनियम की धारा17 के अधीन ताकीद की गई है कि समाचारपत्र स्थापन विहित विधि से रजिस्टर, अभिलेख और मस्टर रोल तैयार करेगा और बनाए रखेगा। राज्य सरकार यह जांचने के लिए शासकीय राजपत्र में अधिसूचना जारी करके निरीक्षक नियुक्त कर सकेगी कि स्थापना इस अधिनियम के उपबंधों का पालन कर रहा है या नहीं। इस निरीक्षक को आवश्यक जानकारी प्राप्त करने और स्थापन के परिसर में जाकर लेखाओं और व्यक्तियों के नियोजन या मजदूरी की देनदारी से संबंधित दस्तावेज निरीक्षण के लिए मांग सकता है। धारा 18 के अधीन इस अधिनियम या उसके अंतर्गत बनाए गए नियमों का उल्लंघन करने वाले स्थापनों के अधिकारियों पर जुर्माना किया जा सकता है।

11.7.4 नियमाबली और पत्रकार स्थायी आदेश

केंद्र सरकार को धारा 20 के अधीन इस अधिनियम के उद्देश्यों की पूर्ति के नियम बनाने के अधिकार दिए। ये नियम शासकीय राजपत्र में अधिसूचित होने के बाद प्रभावी हो जाते हैं। इस उपबंध के अनुसार 1957 में श्रमजीवी पत्रकार (सेवा की शर्तें) और प्रकीर्ण उपबंध नियम बनाए गए, जो 27 मई 1957 को शासकीय गजट में प्रकाशित हु ए। इन नियमों को सेवा की शर्तों से संबंधित उपबंधों का विस्तार कहा जा सकता है जिसमें अनेक उपयोगी नियम-उपनियम हैं -

- पत्रकार की मृत्यु हो जाने पर ग्रैच्युटी मनोनीत व्यक्ति या व्यक्तियों को तीन माह के भीतर अदा की जाए। मनोनयन के अभाव में राशि परिवार को अदा की जाए। ग्रैच्युटी की राशि में समाचार स्थापन वह राशि काट सकता है जो पत्रकार को

उधार दी गई हो। जो अतिरिक्त राशि दी गई हो वह भी काटी जा सकती है। (अध्याय-2)

- संवाददाता, रिर्पोटर या समाचार छाया चित्रकार दिन का काम आरंभ करने से लेकर काम पूरा होने तक ड्यूटी पर रहेगा लेकिन उसे दो निर्दिष्ट अपेक्षित कामों के बीच दो घंटे या कुछ कम समय का अंतराल है यह समय ड्यूटी में नहीं गिना जाएगा। इस संबंध में नियोक्ता और कर्मचारी के बीच करार हुआ है तो उसका भी ध्यान रखा जा सकता है। लेकिन किसी भी सप्ताह में 26 घंटे से अधिक समय तक काम नहीं लिया जाएगा। अगर अतिरिक्त समय तक काम लिया जाता है तो उसके एवज में उतना ही समय आराम-विश्राम के लिए दिया जाएगा।
- किसी भी श्रमजीवी पत्रकार को दिन में यदि छह घंटे और रात की पाली में साढ़े पांच घंटे से अधिक काम करना पड़े तो अतिरिक्त समय के बराबर मुआवजे के तौर पर विश्राम या आराम के लिए समय दिया जाए।
- श्रमजीवी पत्रकार एक कैलेंडर वर्ष में दस दिन का अवकाश पाने का हकदार है। अगर उसे अवकाश के दिन काम पर बुलाया जाये तो उसके एवज में उसे तीस दिन के भीतर नियोजक की सहमति से तय किए दिन छुट्टी लेने का अधिकार है। अवकाश के दिनों का वेतन पत्रकार को मिलेगा। साप्ताहिक अवकाश भी सवेतन होगा।
- उपार्जित, अवकाश के लिए एक माह पूर्व आवेदन किया जाए। बीमारी, आकस्मिक काम अथवा अप्रत्याशित परिस्थिति में यह बंधन लागू नहीं होगा। यदि छुट्टी नामंजूर की जाती है तो सक्षम अधिकारी को लिखित रूप से कारण बताना होगा।
- उपार्जित अवकाश 90 दिनों से अधिक जमा नहीं हो सकता। त्यागपत्र अथवा सेवा-मुक्ति के समय जमा उपार्जित अवकाश दिनों का नकद मुआवजा दिया जाएगा।
- महिला पत्रकार को अगर समाचार स्थापन में एक वर्ष पूरा हो चुका है तो कुल तीन माह का और प्रसव के बाद छह सप्ताह का मातृत्व-अवकाश मिलेगा। इसके साथ अन्य प्रकार की छुट्टियां जोड़ी जा सकती हैं। गर्भपात की स्थिति में अधिक से अधिक छह सप्ताह की छुट्टी मंजूर की जाएगी। संक्रामक रोग की स्थिति में 21 दिन या अधिक से अधिक 30 दिन की छुट्टी (क्यारंटाइन लीव) मिल सकती है।
- अध्ययन के लिए समाचारपत्र स्थापन वेतन रहित या वेतन के साथ, जैसा वह तय करे साल भर की छुट्टी दे सकता है।
- कर्मचारियों का रजिस्टर, पत्रकारों का सेवा रजिस्टर, छुट्टी रजिस्टर और मस्टर रोल के रख-रखाव का तौर-तरीका भी निर्धारित कर दिया गया है।

11.7.5श्रमजीवी पत्रकार स्थायी आदेश

1. इन 'आदेशों के अनुसार समाचारपत्र स्थापन में किसी भी समय पत्रकारों के पांच वर्ग हो सकते हैं:

– शिक्षार्थी (अप्रेंटिस) एक वर्ष की अवधि के लिए, चाहे उसे प्रशिक्षण के दौरान कुछ राशि दी जा रही हो या नहीं।

– अंशकालिक पत्रकार

– स्थायी

– प्रोबेश्नर जिसकी प्रोबेश्नर अवधि अभी पूरी नहीं हुई मगर काम संतोषजनक पाए जाने पर इसे स्थायी पद पर रखा जाना है।

– -अस्थायी कार्य के लिए नियुक्त पत्रकार जिसे लिखित रूप से जता दिया गया है कि काम अस्थायी प्रकृति का है जो सीमित समय मे समाप्त हो जाएगा।

2. नियुक्ति के समय हर पत्रकार को नियुक्ति पत्र दिया जाएगा। पदोन्नति की दशा में भी दिए गए पत्र में नए पद आदि का स्पष्ट उल्लेख होगा।

3. सजा के तौर पर किसी भी पंत्रकार का सेवाकाल समाप्त करने के लिए निर्धारित प्रक्रिया का पालन आवश्यक है। प्रमाणित अक्षमता या घोर लापरवाही, हुकुम उदूली, बेईमानी आदि कदाचार के लिए सफाई का मौका देने के बाद पत्रकार के विरुद्ध अनुशासनात्मक कार्रवाई की जा सकती है जो कदाचार के अनुपात में हो। लेकिन सेवा से निकालने के पहले संपादक या विभागीय अध्यक्ष से परामर्श आवश्यक है।

पत्रकार को आरोपपत्र और सफाई का मौका देना आवश्यक है। अनुशासनात्मक कार्रवाई के अनेक रूप हो सकते हैं-चेतावनी, सस्पेंशन (10 दिन से अधिक नहीं), वार्षिक वेतनवृद्धि या पदोन्नति रोकना, पदावनति और बर्खास्तगी।

4. श्रमजीवी पत्रकार को अपने काम की बाबत या वरिष्ठ अधिकारी से शिकायत हो तो वह प्रबंधक या नियोक्ता से लिखित शिकायत कर सकता है।

5. हर श्रमजीवी पत्रकार को नियुक्ति के समय स्थायी आदेश की एक प्रति निःशुल्क दी जाएगी-तत्काल नहीं तो तीन महीनों के भीतर।

बोध प्रश्न -3

1. धारा 16 की वास्तविक मंशा क्या है ?
2. पत्रकार की मृत्यु के बाद ग्रैच्युटी की राशि किसे मिल सकती है?
3. (हर साल एक माह के) उपार्जित अवकाश के बार में क्या प्रावधान किए गए हैं?
4. पत्रकार के खिलाफ अनुशासन की कार्रवाई की प्रक्रिया बताइए।

11.8 कार्यान्वयन में कठिनाइयां

श्रमजीवी पत्रकार अधिनियम को बने चालीस वर्ष से अधिक समय बीत चुका है, मगर उसके अधीन प्राप्त अधिकारों को पाना सभी पत्रकारों के लिए न कभी संभव था और न आज है। फिर भी यह स्वीकार किया जाना चाहिए कि इस अधिनियम की बदौलत पत्रकारों के वेतनक्रम और उनकी सेवा की शर्तो में बहुत सुधार हुआ है। भाषाई समाचारपत्रों में प्रतिभाशाली पत्रकार आए हैं और परिस्थितियां उनके अनुकूल हुई हैं। यह सब उन्हीं स्तरीय समाचारपत्रों के बारे में सच है जो पत्रकारिता की गुणवत्त का ध्यान रखते हैं। अनेक स्थापन तो विधिवत् नियुक्ति पत्र भी नहों देते

11.8.1 निर्धारित वेतनमान

केंद्रीय श्रम मंत्रालय के अनुसार 170 स्थापनों में से केवल 622 ने बछावत वेज बोर्ड द्वारा निर्धारित वेतनमान पत्रकारो को दिए हैं।अधिकतर समाचारपत्र ऐसा नहीं करते क्योंकि रोजगार के अवसरों की कम के कारण शिक्षित नवयुवक किसी भी शर्त पर काम करने का अवसर नहीं चूकना चाहते।

अधिनियम के उपबंधों के कार्यान्ययन का दायित्य राज्य सरकारों अथवा उनके श्रम आयुक्तों का है। समाचारपत्र उद्योग संवदेनशील उद्योग है जिसके कारण स्थापनों के खिलाफ कार्रवाई के लिए आवश्यक राजनैतिक संकल्प की कमी नजर आती है। दूसरी ओर पत्रकार भी मुकदमेबाजी से बचना चाहता है।

11.8.2 सेवा संविदा या करार

अधिनियम की धारा 16 के अनुसार ऐसी हर सेवा संविदा अथवा।' करार गैरकानूनी हैं जिसमें अधिनियम द्वारा विहित सेवा-मुक्ति, नोटिस की अवधि या किसी अन्य हितकारी प्रावधान या लाभ को घटा दिया गया हो, सिर्फ इसलिए कि वेतन की राशि वेज बोर्ड के द्वारा निर्धारित वेतनक्रम से अधिक है। इसके बावजूद प्रतिष्ठित समाचारपत्र स्थापनों में उच्च और मध्य स्तर के पदों पर पत्रकारों को अल्पकारिक करार पर नियुक्त किया जा रहा है। इनमें कोई भी जिम्मेदारी सौंपने और कभी भी सेवा-मुक्त करने की शर्त होती है जबकि किसी को केवल विहित तरीके से ही पदच्युत किया जा सकता है। अल्पकालिक अथवा अस्थायी नियुक्ति केवल उसी दशा में की जा सकती है जब पद अस्थायी हो और उसका उल्लेख नियुक्ति पत्र में किया गया हो। नए महत्वाकांक्षी पत्रकारों को कोई शिकायत नहीं होती क्योंकि उन्हें तात्कालिक लाभ होता है, लेकिन जिन्हें यह व्यवस्था पसंद नहीं वे झगड़ालू कहलाना पसंद नहीं करते। फिर मुकदमेबाजी के लिए समय और साधन दोनों चाहिए।

इस तरह की सेवा-संविदाए गैरकानूनी तो हैं ही, वे पत्रकार को स्वतंत्रता का भी हनन करती हैं। कभी भी सेवा मुक्त किए जाने के भय से वे अपने पेशे के मानदंडों के साथ समझौता करने की बाध्यता अनुभव कर सकते हैं। स्थापनों की मंशा भी यही रहता है कि जो उनकी मर्जी के अनुसार न चले या पेशेवराना नैतिकता दिखाने का प्रयास करे उसे सेवा मुक्त कर दिया जाए। प्रथम प्रेस आयोग ने पत्रकार की स्वतंत्रता की रक्षा के लिए अधिनियम बनाने का सुझाव दिया था। अब उसी पर सीधा हमला हो रहा है।

11.8.3 स्थापनों की अड़ंगेबाजी

समाचारपत्र स्थापन सदैव ही श्रमजीवी पत्रकार अधिनियम और उसके उपबंधों के खिलाफ रहे हें, खासकर वेज बोर्ड के अधिनियम को सुप्रीम कोर्ट में चुनौती 1957 में ही दी गई थी। तब सुप्रीम कोर्ट ने ग्रैच्युटी संबंधी एक उपबंध को छोड़कर समूचे अधिनियम को संविधान सम्मत सिद्ध किया और कहा कि यह श्रमिक हितकारी अधिनियम है। अलबत्ता प्रथम वेज बोर्ड की सिफारिशें रद्द कर दी गई थीं क्योंकि उसने अदायगी क्षमता पर विचार ही नहीं किया गया था।

समाचारपत्र स्थापनों ने पालेकर वेज बोर्ड का बहिष्कार किया तो केंद्र सरकार को उसके स्थान पर अध्यादेश निकाल कर पालेकर अधिकरण की स्थापना करनी पड़ी। फिर अधिनियम में वेज बोर्ड के काम न कर पाने की स्थिति में अधिकरण नियुक्त करने की व्यवस्था की गई (धारा 13 घ)। बछावत बज बोर्ड ने सभी साझा या प्रबंध या नियंत्रण वाले स्थापनों को एक स्थापन मानकर अपनी सिफारिशों का अंतिम रूप दिया। समाचारपत्र स्थापन इसके खिलाफ अदालत में याचिकाएं दायर करके सिफारिशों के लागू होने में बाधा न खड़ी कर सकें, इसलिए अधिनियम में संशोधन करके एक अनुसूची जोड़ दी। इसमें स्थापन की नई परिभाषा दी गई है। न्यायमूर्ति बछावत ने साझा नियंत्रण वाले स्थापनों को एक स्थापन मान कर कोई विलक्षण कार्य नहीं किया था। न्यायमूर्ति पालेकर यह सिद्धांत पहले ही स्थापित कर चुके थे कि उनको एक स्थापन माना जाना चाहिए। कानूनी अलगाव (अलग कंपनियों का अस्तित्व) पर से पर्दा उठाकर वास्तविकता को स्थीकार करना पूर्णत: विधि सम्मत है। फिर भी बछावत ने सिद्धांत को अमली जामा पहनाकर अपना न्यायिक दायित्व निभाया जिसके लिए वह याद किए जाते रहेंगे।

11.9 कुछ सुझाव

1. अधिनियम के उपबंधों की उपेक्षा करने वालों के लिए धारा 18 में 38 वर्ष पूर्व केवल 200 रुपए जुर्माने की व्यवस्था की गई थी। अब यह राशि बढ़ाकर पांच या दस हजार की जानी चाहिए और साथ में जेल की सजा का भी प्रावधान किया जा सकता है।

2. पत्रकारों की स्वतंत्रता और पत्रकारिता के पेशे की गरिमा बनाए रखने के लिए स्थापन के भीतर संपादकीय बोर्ड बनाए जाने की कानून व्यवस्था कि जा सकती है जिससे कि रोजमर्रा के काम में प्रबंधक दखल न दे सकें और मनमाने वंग से छंटनी या सेवा मुक्ति न कर सकें। व्यापक विचार विमर्श के बाद इस सुझाव को निखारा और लागू किया जा सकता है।

11.10 सारांश

प्रथम प्रेस आयोग की सिफारिश पर श्रमजीवी पत्रकारों की स्वतंत्रता को संरक्षण देने के लिए उनके लिए एक विशेष अधिनियम बनाया गया। इसमें काम के घंटों, अवकाश नोटिस की अवधि आदि सेवा की शर्तो का प्रावधान किया गया है उनकी मजदूरी की दरें तय करने के लिए वेज बोर्ड के गठन के निमय बनाए उसकी सिफारिशें को उसी या संशोधित रूप में केंद्र सरकार लागू करती है इस हितकारी कानून को उच्चतम न्यायालय ने विधि सम्मत ठहराया है। इससे पत्रकारों को छत लाभ हु आ हालांकि इसके सभी प्रावधानों को अधिकांश समाचारपत्र लागू नहीं करते। अधिनियम के प्रावधानों के कार्यान्दयन की मुख्य जिम्मेदारी राज्य सरकारों की है जो अपना दायित्व तरह नहीं निभा पातीं अधिनियम की व्यवस्थाओं के कार्यान्वयन में अनेक व्यावहारिक कठिनाइयां आती हैं।

11.11 शब्दावली अधिनियम

अधिनियम	Act
अधिकरण	Tribunal
अत:करण	Conscience

अध्यावेदन	Representation
उपबंध	Provision
कर्मकार	Workman
कर्मचारी	Employee
नियोजक	Employer
नियोजित	Emloyed
पर्यवेक्षकीय	Supevisory
प्रकीर्ण	Miscellaneous
भविष्यनिधि	Providend Fund
मजदूरी की दरें	Rate of wages
मजदूरी की अंतरिम दरें	Intrim rates of wages
मुख्य व्यवसाय	Principal avocation
स्थापन	Establishment
स्थायी आदेश	Standing Orders

11.12 कुछ उपयोगी पुस्तकें

1. श्रमजीवी पत्रकार और अन्य समाचारपत्र कर्मचारी (सेवा की शर्तें) और प्रकीर्ण उपबंध अधिनियम 1995
2. प्रथम प्रेस आयोग का प्रतिवेदन-1954
3. बछावत वेज बोर्ड का प्रतिवेदन
4. औद्योगिक विवाद अधिनियम, 1947
5. औद्योगिक नियोजन (स्थायी आदेश) अधिनियम 1946

11.13 निबन्धात्मक प्रश्न

1. श्रमजीवी पत्रकारों को विशिष्ट वर्ग का कर्मचारी क्यों माना गया है?
2. पत्रकार की स्वतंत्रता से क्या तात्पर्य है? सेवा की शर्तो में सुधार से इस स्वतंत्रता को कहां तक बल मिला है?
3. वेज बोर्ड की सिफारिशें सब स्थापनों में क्यों लागू नहीं हो पातीं?
4. अधिनियम की अवहेलना करने वाला सेवा करार विधि सम्मत नहीं है।' व्याख्या कीजिए।
5. पत्रकारों के वेतन, ग्रैच्युटी, काम के घण्टे तथा व्यवसाय की सुरक्षा के विषय में आप क्या सुझाव देना चाहेंगे?
6. बछावत आयोग के कार्यान्ययन में क्या कठिनाइयां उपस्थित हो रही हैं?

इकाई 12 श्रमजीवी पत्रकारों

इकाई की रूपरेखा

12.0 उद्देश्य

12.1 प्रस्तावना

12.2 वेज बोर्ड का प्रावधान

12.2.1 अधिनियम के उपबंध

12.2.2 केंद्र सरकार का दि

12.2.3 अधिकरण का प्रावधान

12.3 पहला वेज बोर्ड और वेज कमेटी

12.3.1 दिवटिया वेज बोर्ड

12.3.2 पत्रकारों और अखबारों का वर्गीकरण

12.3.3 आरंभिक वेतन

12.3.4 श्रमजीवी पत्रकार वेज कमेटी

12.4 सुप्रीम कोर्ट और वेज बोर्ड

12.5 शिंदे वेज बोर्ड

12.5.1 पत्रकारों का वर्गीकरण

12.5.2 अखबारों के वर्ग

12.6 पालेकर वेज बोर्ड

12.6.1 पालेकर अधिकरण

12.6.2 अधिकरण की विशेषताएं

12.6.3 स्थापनों का वर्गीकरण और वेतन

12.7 बछावत वेज बोर्ड

12.7.1 साझा नियंत्रण वाले स्थापन

12.7.2 स्थापनों का वर्गीकरण

12.7.3 श्रमजीवी पत्रकारों का वर्गीकरण

12.7.4 मूल वेतन और भत्ते

12.7.5 केंद्र सरकार के संशोधन

12.7.6 सुप्रीम कोर्ट में चुनौती

12.8 मनिसाना वेज बोर्ड

12.9 वेतनमानों की उपेक्षा

12.10 सारांश

12.11 शब्दावली

12.12 उपयोगी पुस्तकें

12.13 निबंधात्मक प्रश्न

12.0 उद्देश्य

श्रमजीवी पत्रकारों के पारिश्रमिक निर्धारण की कानूनी व्यवस्था, प्रक्रिया, और कार्यान्व्यन सबंधी जानकारी देना इस इकाई का उद्देश्य है। इसके अध्ययन के पश्चात् आप बता सकेंगे

- श्रमजीवी पत्रकारों के पारिश्रमिक निर्धारण के लिए वेज बोर्ड कैसे छानबीन करके वेतनमान तय करता है?
- केंद्र सरकार वेज बोर्ड की सिफारिशों में संशोधन करके उन्हें लागू कर सकती है।
- सुप्रीम कोर्ट का वेज बोर्ड के बारे में क्या रवैया रहता है?
- विभिन्न वेज बोर्डो की क्या विशेषताएं रहीं हैं?
- वेतनमान लागू -करने के सरकारी आदेश के पालन में कौन-कौन सी कठिनाइयां आती हैं?
- समाचारपत्र के प्रबंधकों का वेज बोर्ड और पत्रकारों के प्रति क्या रवैया रहता है?

12.1 प्रस्तावना

1940 और 1950 के बीच श्रमजीवी पत्रकारों की यह मांग जोर पकड़ने लगी कि उनके लिए न्यूनतम वेतन और काम की शर्तो के बारे में ठाराजकता समाप्त करने की व्यवस्था की जाए। अधिकतर समाचारपत्रों में नियुक्तिपत्र नहीं दिए जाते थे और न काम के घंटे तय थे। ग्रेच्युटी और भविष्य निधि का सवाल ही नहीं पैदा होता था। प्रबंधक जब चाहे उसे नौकरी से निकाल सकता था।

सन् 1950 श्रमजीवी पत्रकारों के लिए विशेष महत्व का सिद्ध हुआ। 23 श्रमजीवी पत्रकार संगठनों के प्रतिनिधियों ने मिलकर एक अखिल भारतीय संगठन बनाया। नाम था: इंडियन फेडरेशन आफ वर्किंग जर्नलिस्ट्स (आई एफ.डब्ल्यू.जे)। इसके प्रथम अध्यक्ष थे 'नेशनल हेराल्ड' के तत्कालीन संपादक चेलापति राव। पत्रकारों की संगठित शक्ति रंग लाई। फेडरेशन के आग्रह पर भारत सरकार ने समाचारपत्र उद्योग और पत्रकारों की दशा तथा अन्य संबंधित मुद्दों के अध्ययन के लिए प्रेस आयोग का गठन करना स्वीकार कर लिया। 1952 में प्रथम प्रेस आयोग बना, जिसके अध्यक्ष थे न्यायमूर्ति जी एस. राज्याध्यक्ष।

आयोग ने व्यापक और गहन अध्ययन के बाद अपना प्रतिवेदन 1954 में केंद्र सरकार को सौंप दिया। उसने श्रमजीवी पत्रकारों के लिए न्यूनतम वेतन, काम के घंटे, साप्ताहिक अवकाश, छुट्टियां, पदोन्नति, भविष्य निधि तथा ग्रेच्युटी की व्यवस्था को आवश्यक ठहराया और सिफारिश की कि उनको औद्योगिक विवाद अधिनियम 1947 के दायरे में लाया जाए।

आयोग ने न्यूनतम वेतन 125 रुपये प्रतिमास का सुझाव देते हुए कहा कि वेतनमान निर्धारित करने के लिए काफी जांच-पड़ताल करनी होगी, इसलिए या तो पत्रकार और मालिक सामूहिक सौदेबाजी के आधार पर वेतनमान तय कर लें या मामला न्याय-निर्णय द्वारा तय

किया जाए। पत्रकारों को यह मंजूर नहीं हुआ। उनका आग्रह था कि जो श्रमजीवी पत्रकार अधिनियम बनने जा रहा है उसी में वेतनमान निर्धारण की व्यवस्था कर दी जाए।

1955 में संसद द्वारा पारित श्रमजीवी पत्रकार (सेवा की शर्तें) और प्रकीर्ण उपबंध अधिनियम में पारिश्रमिक की दरें और वेतनमान निर्धारण के लिए वेज बोर्ड गठित किए जाने की व्यवस्था कर दी गई। इसके अलावा सेवा की शर्तो का भी उसमें उल्लेख है। कानून में सरकार को सेवा की शर्तों और वेज बोर्ड के बारे में नियमावली बनाने का अधिकार भी मिल गया।

12.2 वेज बोर्ड का प्रावधान

12.2.1अधिनियम के उपबंध- श्रमजीवी पत्रकार अधिनियम में 8 से लेकर 13 तक सभी धाराएं वेज बोर्ड के गठन, उसकी कार्य-विधि, उसके अधिकार और बोर्ड की सलाह पर मजदूरी की दरों को लागू करने और अंतरिम मजदूरी दरें निर्धारित किए जाने के बारे में हैं। आरंभ में केवल श्रमजीवी पत्रकारों के लिए वेज बोर्ड गठित करने का प्रावधान था। किंतु 1974 में गैर-पत्रकार कर्मचारियों के लिए भी बोर्ड बनाने के लिए अधिनियम -विधिवत व्यवस्था कर दी गई। अधिनियम के शीर्षक में भी 'अन्य समाचारपत्र कर्मचारी' जोड़ दिया गया। इस अनुविहित बोर्ड की सिफारिशें भी केंद्र सरकार द्वारा अधिसूचित होने पर उसी तरह प्रभावी होती हैं जैसे कि श्रमजीवी पत्रकार बोई का।

जब सरकार समझती है कि समाचारपत्र कर्मचारियों की मजदूरी की दरों पर पुनर्विचार हो ना चाहिए तो वह वेज बोर्ड गठित करती है। जो व्यक्ति पत्रकार वेज बोर्ड का अध्यक्ष होता है वही दूसरे का भी होता है। वेज बोर्ड की अध्यक्षता के लिए उच्च न्यायालय या उच्चतम न्यायालय के कार्यरत या अवकाश-प्राप्त न्यायमूर्ति का चयन किया जाता है। दो अन्य स्वतंत्र व्यक्तियों के अलावा समाचारपत्र स्थापनों के दो- दो और पत्रकारों अथवा कर्मचारियों के दो-दो सदस्य नियुक्त किए जाते हैं (श्रमजीवी पत्रकार अधिनियम, धारा 9)।

वेज बोर्ड अधिसूचना प्रकाशित करके संबद्ध पक्षों से लिखित अभ्यावेदन आमंत्रित करता है। स्पष्टीकरण के लिए मौखिक सुनवाई भी आयोजित करता है। फिर वह अपने समक्ष रखी गयी सामग्री का विश्लेषण करने के बाद :बहुमत से मजदूरी की दरें तय करके केंद्र सरकार को अपनी सिफारिशें सौंपता है। साथ में वह समाचारपत्र उद्योग की आर्थिक स्थिति का भी सम्यक् विश्लेषण करता है। उसे यह निर्दिष्ट करने का भी अधिकार है कि नयी दरें किस तारीख से लागू होंगी। वह प्रतिवेदन देने की तारीख से पहले या बाद की तिथि से नयी दरें लागू करने की सिफारिश कर सकता है।

धारा 10 में बताया गया है कि बोर्ड सिफारिशों को अंतिम रूप देते समय निर्वाह व्यय, सदृश नियोजन के लिए विधमान मजदूरी की दरों, देश के विभिन्न प्रदेशों में समाचारपत्र उद्योग से संबद्ध परिस्थितियों का और अन्य सुसंगत परिस्थितियों का ध्यान रखेगा। अन्य परिस्थितियों में समाचारपत्र स्थापनो की मजदूरी देने की क्षमता (कैपेसिटी टू पे) पर विचार करना आवश्यक है।

धारा 11 के अनुसार बोर्ड उन सभी अधिकारों का इस्तेमाल कर सक(ग़ है –जो औद्योगिक विवाद अधिनियम, 1947 के अधीन औद्योगिक अधिकरण (इंडस्ट्रिलय ट्रिब्यूनल) के होते हैं। उगे अपनी प्रक्रिया स्वयं निर्धारित करने का अधिकार है।

12.2.2 केन्द्र सरकार का दायित्व

धारा 12 के अनुसार केंद्र सरकार की जिम्मेदारी है कि वह वेज बोर्ड की सिफारिशों को यथासंभव जल्द से जल्द स्वीकार करके उनको लागू करने के बारे में आदेश जारी करे। यह आदेश विधिवत् शासकीय राजपत्र में प्रकाशित किया जाता है। केन्द्र सरकार को अधिकार है कि वह बोर्ड की सिफारिशों को उसी रूप में मंजूर करे या उनमें संशोधन करे। अगर सरकार सिफारिशों में ऐसे संशोधन करना चाहती है जो उनके स्वरूप में 'महत्वपूर्ण परिवर्तन' नहीं करते तो वह बिना किसी से पूछे बिना ऐसा कर सकती है। यदि वह समझती है कि संशोधन 'महत्वपूर्ण परिवर्तन' है तो उसके बारे में उसे उन सब व्यक्तियों को, जिन रार उसका प्रभाव पड़ना संभव हो, सूचना दिलवाएंगी और उन अभ्यावेदनों पर विचार करेगी जो लिखित रूप में आएँ। वह चाहें तो सिफारिशों या उसके किसी भाग को वेज बोर्ड को पुनर्विचार के लिए भी सौंप सकती है।

सभी समाचारपत्र स्थापनों पर केंद्र सरकार वा मजदूरी दरों से संबंधित आदेश लागू होगा और हर श्रमजीवी पत्रकार या कर्मचारी निर्दिष्ट दर से मजदूरी पाने का हकदार होगा (धारा 13)।

धारा 13 के एक उपबंध में मजदूरी की अंतरिम दरे तय करने का अंतिम अधिकार केंद्र सरकार को दिया गया है। अंतरिम दरों के बारे में बोर्ड की सिफारिश केवल परामर्श का दर्जा रखती है। बछावत वेज बोर्ड ने सन् 1986 में सिफारिश की थी कि मजदूरी की अंतरिम दर 7.5 फीसदी हो। लेकिन केंद्र सरकार ने अपने विशेषाधिकार का प्रयोग किया और उसे 15% कर दिया। 1995 में भी उसने मनिसाना वेज बोर्ड द्वारा प्रस्तावित 15% अंतरिम दर को बढ़ाकर 2% तो किया ही, ऊपर से 100 रुपये और देने का आदेश निकाला। अंतरिम दर मूल वेतन पर आधारित होती है।

अध्याय 2 में धारा 13 के कई उपखंड हैं जो गैर-पत्रकार कर्मचारियों के लिए वेज बोर्ड के गठन के बारे में है। श्रमजीवी पत्रकार वेज योर्ड और गैर-पत्रकार के वेज बोर्ड के अधिकार और कार्यक्षेत्र एक समान हैं।

अधिनियम की धारा 20 के तहत केंद्र सरकार ने वेज बोर्ड की कार्यप्रणाली के बारे में कुछ नियम बनाए हैं। ये 'श्रमजीवी पत्रकार वेज बोर्ड अधिनियम, 1956' के नाम से जाने जाते हैं। ये नियम 31 जुलाई 1956 को शासकीय राजपत्र में प्रकाशित हुए थे। नियम 8 के अनुसार वेज बोर्ड में सभी मुद्दों पर बहुमत से फैसला किया जाना चाहिए। अगर किसी मुद्दे पर बराबर वोट पड़ें तो अध्यक्ष का वोट निर्णायक माना जायेगा।

12.2.3 अधिकार का प्रावधान

अधिनियम में 1979 में एक महत्वपूर्ण प्रावधान जोड़ा गया कि यदि किसी भी कारण वेज बोर्ड ठीक से काम नहीं कर पा रहा हो तो सरकार बोर्ड की जगह अधिकरण गठित कर

सकती है। यह अधिकरण वेज बोर्ड के काम को आगे बढाएगा और उसकी सिफारिशों का वही दर्जा होगा जो वेज बोर्ड की सिफारिशों का होता है। वेज बोर्ड और अधिकरण में मुख्य अंतर यह है के अधिकरण में अध्यक्ष के अलावा कोई और सदस्य नहीं होता। जब मालिकों के प्रतिनिधि पालेकर वेज बोर्ड से त्यागपत्र देकर अलग हो गए तो वेज बोर्ड का तो काम ठप्प हो गया। कुछ दिन बाद भारत सरकार ने अध्यादेश जारी करके अधिनियम में संशोधन किया और न्यायमूर्ति पालेकर की ही अध्यक्षता में अधिकरण गठित कर दिया।

बोध प्रश्न- 1

1. श्रमजीवी पत्रकार 1955 क्यों बनाया गया था? (उत्तर सीमा 50 शब्द)
2. मजदूरी की अंतरिम दरें तय करने का अधिकार किसे है?
3. वेज बोर्ड से आप क्या समझते हैं?

12.3 वेज बोर्ड और वेज कमेटी

12.3.1 दिवटिया वेज बोर्ड

केंद्र सरकार ने अधिनियम के अधीन 2 मई, 1956 को अधिसूचना जारी करके प्रथम वेज बोर्ड का गठन किया। इसके अध्यक्ष थे न्यायमूर्ति एच.वी. देवटिया, जो बंबई हाईकोर्ट में न्यायमूर्ति रह चुके थे। वह कपड़ा श्रमिक जांच समिति के अध्यक्ष और उसके बहुत पहले 1938 में देश की प्रथम औद्योगिक अदालत के अध्यक्ष नियुक्त किए गए थे। वेज बोर्ड की सिफारिशें 11 मई, 1957 को सरकार द्वारा अधिसूचित कर दी गई।

बोर्ड ने मजदूरी दर निर्धारण के लिए समाचारपत्र स्थापनों को उसकी सभी इकाइयों की सम्मिलित आमदनी के आधार पर पांच वर्गों में बांटा था। साप्ताहिक और अन्य पत्रिकाएं प्रकाशित करने वाले उन स्थापनों को जो दैनिक पत्र नहीं प्रकाशित करते, अलग से वर्गीकृत किया गया था। पत्रकारों में भी चार वर्ग बनाए गए थे।

12.3.2 पत्रकारों का वर्गीकरण

श्रेणी- 1	सम्पादक
श्रेणी- 2	सहायक संपादक, अग्रलेख लेखक, समाचार संपादक, व्यावसायिक संपादक, फीचर संपादक, विशेष संवाददाता, मुख्य संवाददाता, मुख्य उप-संपादक और कार्टूनिस्ट।
श्रेणी-3	उप-संपादक और संवाददाता तथा वे सभी पूर्णकालिक संवाददाता जो श्रेणी दो में शामिल नहीं है। समाचार फोटोकार और वे पत्रकार जो किसी श्रेणी में नहीं हैं।
श्रेणी-4	प्रूफ रीडर

समाचारपत्रों के वर्ग

ए- 25 लाख रुपए से अधिक सकल आय

बी- 12.5 लाख से अधिक और 25 लाख तक

सी- 5 लाख से अधिक और 12.5 लाख तक

डी- 2.5 लाख से अधिक और 5 लाख तक

ई- 2.5 लाख अथवा उससे कम

12.3.3 आरंभिक वेतन

समाचारपत्र वर्ग	ए	बी	सी	डी	ई
संपादक	1000	500	250	200	150
प्रूफ रीडर	125	100	100	100	90

ई वर्ग के समाचार स्थापनों के लिए कोई वेतनमान निर्धारित नहीं किया गया था, केवल आरंभिक वेतन तय किया गया। दो वर्ष पूर्व प्रेस आयोग ने भी न्यूनतम वेतन 125 रुपये सुझाया था।

दिवटिया वेज बोर्ड की सिफारिशें बहुमत से तय हुई थीं, लेकिन समाचारपत्रों के प्रतिनिधियों ने मतदान में भाग नहीं लिया था।

हितकारी श्रमिक कानून और श्रमजीवी पत्रकारों को विशेष दर्जा देने की परंपरा के विरोधी समाचारपत्र स्थापनों ने श्रमजीवी पत्रकार अधिनियम और वेज बोर्ड की सिफारिशों को सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दे दी। सुप्रीम कोर्ट ने वेज बोर्ड की सिफारिशें को इस आधार पर असंवैधानिक ठहराया कि बोर्ड ने समाचारपत्र स्थापनों की मजदूरी अदायगी क्षमता पर विचार नहीं किया था। फैसले पर अगले खंड में विचार किया जाएगा।

12.3.4 श्रमजीवी पत्रकार वेज कमेटी

अदालती फैसले के बाद केंद्र सरकार ने पत्रकारों के लिए मजदूरी की दरें निर्धारित करने के लिए विधि मंत्रालय में सचिव श्री के.वी. भंडारकर की अध्यक्षता में अधिकारियों की एक कमेटी बना दी। इसका गठन 14 जून, 1958 को अध्यादेश के द्वारा किया गया था। उसकी सिफारिशों के आधार पर केंद्र सरकार ने मजदूरी की दरें अधिसूचित कर दीं। ए,बी और सी वर्ग के अखबारों में वे 1 जून 1958 से लागू हुई और अन्य वर्गों में 29 मई,1959 से।

कमेटी की सिफारिशों से पत्रकारों को बड़ी निराशा हुई क्योंकि उसने वेज बोर्ड द्वारा सुझाए गए वेतनमान घटा दिए थे।

12.4 सुप्रीम कोर्ट और वेज बोर्ड

दिवटिया वेज बोर्ड की सिफारिशों को अधिसूचित किए जाने के तुरंत बाद इंडियन एक्सप्रेस न्यूज पेपर्स लि. और कुछ अन्य समाचारपत्र स्थापनों ने सुप्रीम कोर्ट में श्रमजीवी पत्रकार अधिनियम और प्रथम वेज बोर्ड के विरुद्ध याचिकाएं दायर कर दीं। सुप्रीम कोर्ट की पांच सदस्यों की संविधान पीठ ने 19 मार्च, 1958 को 167 पृष्ठों का ऐतिहासिक फैसला सुना दिया। ग्रैच्युटी, संबंधी एक प्रावधान को छोड़कर अधिनियम के सभी प्रावधान संविधान सम्मत ठहराए गए।

दिवटिया वेज बोर्ड की कार्य-विधि और निष्कर्षों से सुप्रीम कोर्ट सहमत था, किंतु एक घातक त्रुटि के कारण उसकी सिफारिशों को रद्द करार दिया। यह खामी थी कि वेज बोर्ड ने समाचारपत्र स्थापनों की वित्तीय क्षमता-वेतनमान का बोझ उठा सकने की क्षमता-पर विचार ही नहीं किया था। न्यायमूर्तियों ने फैसले में स्वीकार किया कि "अगर वेतन संबंधी प्रस्तावों पर समाचारपत्र स्थापनों की राय मांगी गई होती और उनके अभ्यावेदनों पर विचार करके सिफारिशों को अंतिम रूप दिया गया होता तो अदायगी क्षमता को नजरअंदाज करने के प्रतिवादियों के आरोप में विशेष दम नहीं रह जाता। "सुप्रीम कोर्ट के इस फैसले से पत्रकारों को निराशा तो हुई लेकिन वेज वोर्ड द्वारा निर्धारित कार्यप्रणाली पर सुप्रीम कोर्ट की मुहर लग गयी और वह आज तक वेज बोर्डों का मार्गदर्शन करती है। जैसे, सकल आमदनी के आधार पर समाचारपत्र स्थापनों का वर्गीकरण विधि-सम्मत है। इस वर्गीकरण के आधार पर देश भर के समाचारपत्रों और संवाद समितियों के पत्रकारों के लिए मजदूरी की समान दरें निर्धारित की जा सकती हैं। सिफारिशें प्रकाशित होने की तिथि से पहले किसी तिथि से नयी दरें प्रभावी करार दी जा सकती हैं। प्रथम वेज चोर्ड ने अपने गठन के दिन से वेतनमान लागू करने की सिफारिश की थी, जिस पर अदालत को आपत्ति नहीं हुई।

12.5 शिंदे वेज बोर्ड

12.5.1 पत्रकारों का वर्गीकरण

12 नवम्बर, 1963 को न्यायमूर्ति जी. के. शिंदे का अध्यक्षता में नया वेज बोर्ड गठित हुआ। इस बोर्ड ने पत्रकारों का नए सिरे से वर्गीकरण किया जो अधिक व्यावहारिक था-वास्तविकता और पद से जुड़ी जिम्मेदारियों पर आधारित था, जिससे कि कार्य की प्रकृति के अनुसार वेतन मिल सके। प्रथम श्रेणी के पत्रकारों के तीन उप-वर्ग हो गए। यथा I में संपादक, I ए में स्थानीय संपादक, संयुक्त संपादक आदि और I बी में सहायक संपादक, समाचार संपादक, साहित्य संपादक। मुख्य संवाददाता II में और वरिष्ठ उप संपादक, वरिष्ट संवाददाता II ए में रखे गए। उप संपादक और रिपोर्टर श्रेणी III में रहे। मुख्य प्रूफ रीडर को IV ए में रखा गया।

12.5.2 अखबारों के वर्ग

समाचारपत्र स्थापनों का वर्गीकरण बहुत युक्तिसंगत नहीं था। अंग्रेजी अखबार को अलग इकाई माना गया और भारतीय भाषाऔ के अखबारों को अलग। इसी प्रकार उसी स्थापन से प्रकाशित होने वाली प्रत्येक पत्रिका को अलग इकाई माना गया। इस भेदभाव का कोई पुष्ट आधार नहीं था। एक से अधिक केंद्रों से अखबार निकाले जाएं या एक ही स्थान से अंग्रेजी-हिन्दी के अखबार निकलें तो भी एक ही स्थापन उनका प्रबंध करता है। समाचारपत्र के विभिन्न संस्करणों के संपादकीय अथवा समाचार संकलन के स्रोत एक होने या साझा प्रबंध व्यवस्था के बावजूद उन्हें स्वतंत्र इकाई मानना तर्क सम्मत नहीं था। इसके वर्गीकरण से कई विसंगतियां पैदा हुई। एक ही स्थापन में एक-जैसे काम के लिए तीन-तीन वेतनमान-अंग्रेजी वाला, हिंदी वाला और पत्रिकाओं वाला।

दैनिक पत्रों को सात वर्गों में बांटा गया। प्रथम वर्ग में वे अखबार आए जिनकी सकल आय 2 करोड़ रुपये थी। सातवें वर्ग में वे. अखबार आए जिनकी आय 5 लाख रुपए से कम थी। न्यायमूर्ति शिंदे की अध्यक्षता में गैर-पत्रकार कर्मचारियों के लिए भी वेज बोर्ड नियुक्त किया गया था। इसकी व्यवस्था श्रमजीवी पत्रकार अधिनियम में नहीं थी। अत : इस बोर्ड की सिफारिशों की वैधानिकता तथा अन्य विवादों से निपटने के लिए सरकार को एक न्यायाधिकरण गठित करना पड़ा। उसने कुछ संशोधनों के साथ वेज बोर्ड की सिफारिशों की पुष्टि कर दी।

12.6 पालेकर वेज बोर्ड

नवंबर, 1972 के पहले सप्ताह में नेशनल यूनियन ऑफ जर्नलिस्ट्रस ने तीसरे वेज बोर्ड के गठन की मांग की। यह संगठन उसी वर्ष आई.एफ.डब्ल्यू .जे.(इंडियन फेडरेशन ऑफ वर्किंग जर्नलिस्ट्रस) के विभाजन के बाद बना था। दिसंबर 1972 में ही आई एफडब्ल्यू जे. ने भी नए वेज बोर्ड की मांग की। नया वेजबोर्ड बना, लेकिन साढ़े तीन वर्ष बाद 11 जून, 1975 को। इसके अध्यक्ष थे न्यायमूर्ति डी.जी. पालेकर जो सुप्रीम कोर्ट के न्यायमूर्ति रह चुके थे।

वेज बोर्ड की सिफारिश पर मजदूरी की अंतरिम दरों (इंटेरिम रेट्स ऑफ वेजेज) की सिफारिश किए जाने के बाद अखबार- मालिकों के संगठन इंडियन ऐंड ईस्टर्न न्यूजपेपर सोसायटी (आई.ई.एन.एस.) ने अंतरिम दरों पर बहुमत निर्णय की आलोचना करते हुए अपने प्रतिनिधि वेज बोर्डों को वापस बुला लिए और सितंबर में वेज बोर्ड का काम रोकने के लिए बंबई हाईकोर्ट से स्टे आर्डर भी ले लिया। बोर्ड का काम ठप्प हो गया।

12.6.1 पालेकर अधिकरण

समाचारपत्र मालिकों के असहयोग के कारण उत्पन्न गतिरोध समाप्त करने के लिए भारत सरकार ने 31 जनवरी, 1979 को अध्यादेश के जरिए श्रमजीवी पत्रकार अधिनियम में संशोधन करके वेज बोर्ड की जगह न्यायमूर्ति पालेकर की अध्यक्षता में अधिकरण (ट्रिब्यूनल) गठित कर दिया। उसने सुनवाई जारी रखी और 15 फरवरी, 198० को अस्थायी प्रस्ताव प्रकाशित कर दिए। इन पर सभी पक्षों की लिखित राय आ जाने पर अधिकरण ने अपनी सिफारिशें सरकार को सौंप दी। पहले (1बी) से लेकर छठवें वर्ग तक के समाचारपत्रों पर 1 अक्टूबर,1979 ‘से और अन्य श्रेणियों के समाचारपत्रों पर 1 अक्टूबर, 1980 से नए वेतनमान और भत्ते लागू किए गए।

12.6.2 अधिकरण की विशेषताएं

पालेकर अधिकरण की सिफारिशें आने तक समाचारपत्र जगत का नक्शा बदल चुका था। पहले वेज बोर्ड के समय अखबारों की संख्या जो सैकड़ों में थी, पालकर के समय हजारों में हो गई थी। पालेकर अधिकरण की सिफारिशें अपनी कुछ विशेषताओं के कारण याद रखी जाएंगी। ये विशेषताएं हैं:

1. पहली मर्तबा मकान किराया भत्ता दिया गया, हालांकि वह बहुत कम था (अधिक से अधिक 128 रुपये-महानगरों में सर्वोच्च श्रेणी के अखबार में 16०० रुपए मूल वेतन तक, 8 प्रतिशत के हिसाब से।)

2. समाचारपत्र -स्थापनों का वर्गीकरण सकल आय के आधार पर किया गया-समूह (ग्रूप), श्रृंखला (चेन-अनेक केंद्रों से प्रकाशित समाचारपत्र) या भाषा अथवा नियतकालिकता (दैनिक, साप्ताहिक आदि) के आधर पर नहीं। ऐसा वर्गीकरण करके ही समान काम के लिए समान वेतन का सिद्धांत लागू किया जा सकता था।

12.6.3 स्थापनों का वर्गीकरण और वेतन

पालेकर अधिकरण ने समाचार स्थापनों को सात वर्गों में बांटा था:-

Iबी 25 करोड़ रुपये अथवा अधिक

IIए 10 करोड़ रुपये या अधिक लेकिन 25 करोड़ से कम

I 4 करोड़ रुपये या उससे अधिक लेकिर 1० करोड़ से कम

II 2 करोड़ रुपये या अधिक लेकिन 4 करोड़ रुपये से कम

III 1 करोड़ रुपये या अधिक लेकिन 2 करोड़ से कम

IV 50 लाख रुपये या अधिक लेकिन 1 करोड़ रुपये से कम

V 25 लाख रुपये या अधिक लेकिन 25 लाख रुपये से कम

IV 10 लाख रुपये या अधिक

VII 10 लाख रुपये से कम

पत्रकारों का वेतन- पालेकर अधिकरण ने श्रमजीवी पत्रकारों को विभिन्न श्रेणियों में रखा और उनके वेतनमान तय किए। संपादकों को प्रथम श्रेणी में ही रखा गया है, किंतु समाचारपत्र स्थापनों के प्रथम तीन वर्गों के संपादकों के लिए कोई वेतनमान निर्धारित नहीं किया गया द्वितीय वर्ग के स्थापनों के संपादक का वेतन "कम से कम 2700 रुपये' 'तय हुआ। सातवें वर्ग के संपादक के लिए यह राशि "1150 रुपये से कम नहीं" रखी गई।

I बी यानी सर्वोच्च वर्ग के स्थापन में प्रूफ रीडर का वेतनमान 800- 1705 रुपये रखा गया और सबसे निचले वर्ग के स्थापन में उसके लिए 4००- 795 रुपये का वेतनमान निर्धारित हुआ।

समाचार एजेंसियां- समाचार एजेंसियों को सकल आय के आधार पर चार वर्गों में रखा गया। प्रथम वर्ग में 2 करोड़ या इससे अधिक आय वाली एजेंसी रखी गई। चौथे वर्ग की एजेंसियों की आय 50 लाख रुपये से कम थी। विदेशी एजेंसियों को प्रथम वर्ग में रखा गया।

बोध प्रश्न-2

1. प्रथम वेज बोर्ड की सिफारिशें क्यों रद्द कर दी गई? 30 शब्दों में बताइए।
2. शिंदे वेज बोर्ड द्वारा पत्रकारों और समाचारपत्रों के वर्गीकरण की एक-एक विशेषता बताए। (60शब्द)

3. पालेकर अधिकरण की सिफारिशें क्यों याद की जाती रहेंगी। (60 शब्द)

12.7 बछावत वेज बोर्ड

पहले वेज बोर्ड के गठन के 29 वर्ष बाद न्यायमूर्ति बछावत की अध्यक्षता में 11 जुलाई, 1985 को चौथे वेज बोर्ड का गठन हुआ। इस वीच समाचारपत्र जगत का नव्यय बदल चुका था। समाचारपत्रों की संख्या, उनकी प्रसार संख्या और विज्ञापन आय में जमीन-आसमान का अंतर आ गया था। वेज बोर्डो के कारण श्रमजीवी पत्रकारों को सम्मानजनक वेतन मिलने लगा थो और भाषाई अखबारों में प्रतिभाशाली व्यक्ति आकर्षित होने लगे थे।

न्यायमूर्ति बछावत ने मजदूरी-दर निर्धारण प्रक्रिया को और अधिक तर्क संगत बनाया केंद्र सरकार ने भी वेज बोर्ड की भत्ते संबंधी सिफारिशों को संशोधित करके दो भत्तों की राशि बढ़ा दी और कुछ अन्य मामूली परिवर्तन भी किए।

12.7.1 साझा नियंत्रण वाले स्थापन

बछावत वेज बोर्ड ने समाचार स्थापनों के वर्गीकरण के लिए पालेकर अधिकरण द्वारा स्थापित सिद्धांत को व्यावहारिक रूप देने का फैसला किया। बोर्ड के प्रतिवेदन की धारा 6 में कहा गया कि समाचारपत्र स्थापन के विभिन्न विभागों, शाखाओं और केंद्रों को एक ही स्थापन का हिस्सा माना जाएगा। दो या अधिक स्थापन जिसमें उसके विभाग, शाखाएं और केंद्र यदि वे एक ही व्यक्ति या व्यक्तियों के समूह के सम्मिलित (शामिलात) नियंत्रण में हैं तो उनको एक स्थापन माना जाएगा और उन सब की आमदनियों को जोड़कर समाचारपत्र स्थापन का वर्गीकरण किया जाएगा।

जिस छापेखाने का मुख्य व्यवसाय अखबार छापना है वह भी समाचारपत्र स्थापन माना जाएगा। जो स्थापन अपनी आय के आधार पर वर्ग 6 से लेकर वर्ग 9 में आते हैं उन्हें विभिन्न इकाइयों की आय सम्मिलित किए जाने पर जिस वर्ग में रखा जाना चाहिए, उसमें न रख कर मौजूदा आय वर्ग से केवल दो सोपान ऊपर रखा जाएगा। इंडियन एक्सप्रेस ने इस प्रावधान को चुनौती दी। सुप्रीम कोर्ट ने माना कि इस प्रकार का वर्गीकरण वैधानिक नहीं है, क्योंकि इस भेदभाव का औचित्य नहीं बताया गया है।

समाचारपत्र स्थापन के साझा नियंत्रण के लिए वेज बोर्ड के अनुसार निम्नलिखित स्थितियां होनी चाहिए-

जहां समाचारपत्र स्थापन एक व्यक्ति अथवा व्यक्ति-समूह के नियंत्रण में हैं, जहां स्थापनों का स्वामित्व उन फर्मो के पास है जिनके साझीदार यथेष्ट संख्या में समान हैं। इसी प्रकार अधीनस्थ कंपनी और होल्डिंग कंपनी के शेयर धारकों में घनिष्ठ संबंध होने पर भी वे एक ही स्थापन माने जाएंगे। यह भी कहा गया कि यदि कार्यात्मक संघटन या एकता (फंक्शनल इंटीग्रैलिटी) है तो भी उन्हें एक ही समाचारपत्र स्थापन माना जाएगा।

यह भी स्पष्ट किया गया है कि जब तक अन्यथा सिद्ध न हो जाये तब तक उसी या उसी तरह के नाम से और उसी भाषा में भारत में कहीं भी अखबार निकालने अथवा किसी

राज्य में उसी नाम से लेकिन अलग भाषा में अखबार निकालने वाले स्थापनों को साझा नियंत्रण के अधीन माना जायेगा और उनकी सम्मिलित आय के आधार पर वर्गीकरण किया जाएगा।

यदि वर्गीकृत स्थापन नए अखबार निकालते हैं तो उनको आरंभिक वर्षो में कुछ रियायतें मिलेंगी। अगर पुराना स्थापन किसी ऐसे केंद्र से पुराने नाम से अखबार निकालता है जहां पहले से उसका दूसरा अखबार नहीं निकल रहा तो दो लेखा वर्षो तक नया प्रकाशन केंद्र एक वर्ग नीचे रखा जायेगा। यदि वर्गीकृत स्थापन नये प्रकाशन केंद्र से नया अखबार निकालता है तो उसे तीन लेखा वर्षों तक एक वर्ग नीचे माना जायेगा। लेकिन किसी भी सूरत में नया केंद्र वर्ग 9 से नीचे नहीं माना जा सकेगा।

12.7.2 समाचारपत्र स्थापनों का वर्गीकरण

बछावत बोर्ड ने समाचारपत्र स्थापनों का वर्गीकरण इस प्रकार किया -

1ए	100 करोड़ रुपये या अधिक
1	50 करोड़ रुपये या अधिक, लेकिन 1०० करोड़ रुपये से कम
2	20 करोड़ रुपये या अधिक, लेकिन 50 करोड़ रुपये से कम
3	10 करोड़ रुपये या अधिक, लेकिन 20 करोड़ रुपये से कम
4	5 करोड़ रुपये या अधिक, लेकिन 10 करोड़ रुपये से कम
5	2 करोड़ रुपये या अधिक, लेकिन 5 करोड़ रुपये से कम
6	1 करोड़ रुपये या अधिक, लेकिन 2 करोड़ रुपये से कम
7	50 लाख रुपये या अधिक, लेकिन 1 करोड़ रुपये से कम
8	25 लाख रुपये या अधिक, लेकिन 50 लाख रुपये से कम
9	25 लाख से कम।

अंतिम वर्ग में आने वाले स्थापन को छोड़कर अगर किसी स्थापन की सकल आय में विज्ञापन की आमदनी का हिस्सा 45 फीसदी से कम है तो वह एक वर्ग नीचे खिसक जाएगा।

12.7.3 श्रमजीवी पत्रकारों का वर्गीकरण

जिस तरह समाचारपत्र स्थापनों का वर्गीकरण किए बिना उनकी आर्थिक स्थिति और मजदूरी अदायगी क्षमता का अनुमान नहीं किया जा सकता उसी तरह श्रमजीवी पत्रकारों के काम की प्रकृति और जिम्मेदारियों का आकलन और वर्गीकरण किए बिना उनके वेतनमानों का युक्तिसंगत निर्धारण संभव नहीं है। इसलिए श्रमजीवी पत्रकारों को सात समूहों में विभाजित किया गया:

श्रेणी-1 संपादक

1ए- कार्यकारी संपादक, स्थानीय संपादक, संयुक्त संपादक, डिप्टी एडिटर।

1बी- सहायक संपादक, लीडर राइटर, चीफ ऑफ ब्यूरो, समाचार संपादक और विशेष संवाददाता।

श्रेणी-2 सहायक समाचार संपादक, चीफ रिपोर्ट, मुख्य उप-संपादक, मुख्य फोटोग्राफर, मुख्य

पुस्तकालयाध्यक्ष, कार्टूनिस्ट, चीफ आर्टिस्ट आदि के अलावा राजधानियों में राज्य सरकारों द्वारा मान्यता प्राप्त प्रिंसिपल कारेसपोंडेंट, विशेष संवाददाता से इतर संवाददाता जो केन्द्र सरकार द्वारा मान्यता प्राप्त है, वाणिज्य, फिल्म, साहित्य संपादक और उनके समकक्ष पद।

2ए वरिष्ठ संवाददाता और वरिष्ठ रिपोर्टर आदि।

श्रेणी-3 उप-संपादक, रिपोर्टर, कारेसपोंडेंट, न्यूज फोटोग्राफर, आर्टिस्ट, कैलिग्राफिस्ट, लाइब्रेरियन, इंडेक्स असिस्टेंट, चीफ प्रूफ रीडर। (बाद में केंद्र सरकार ने कातिब को भी इस श्रेणी में रख दिया)

3ए- प्रूफ रीडर

श्रेणी-4 उपरोक्त श्रेणियों में शामिल न किए गए वे पत्रकार जिन्हें स्थापन ने किसी ऊंची श्रेणी में नहीं रखा है।

12.7.4 मूल वेतन और भत्ते

विभिन्न वर्गों के समाचारपत्रों के विभिन्न श्रेणियों के श्रमजीवी पत्रकारों के लिए वेतनमान तए किए गए हैं। बड़े स्थापनों के संपादकों के लिए कोई वेतनक्रम नहीं सुझाया गया है, क्योंकि माना गया है कि उनका वेतन बाजार भाव से या आपसी सौदेबाजी से तय होता है। अलबत्ता 8 और 9 वर्ग के स्थापनों के संपादकों के लिए क्रमश: 4,100 और 3,500 रुपये न्यूनतम वेतन तय किया गया। सर्वोच्च वर्ग के स्थापन (1ए) के कार्यकारी संपादक आदि श्रेणी 1 ए के श्रमजीवी पत्रकारों के वास्ते 4400 -8900 रुपये का वेतनमान निर्धारित किया गया। इस वर्ग के प्रूफ रीडर का वेतनमान 2090 -4390 रहा। चौथी श्रेणी का 1775 से 3425 रुपये रखा गया। नौवें वर्ग के स्थापन के चौथी श्रेणी के पत्रकार का वेतनक्रम 1100 रुपये प्रतिमास से शुरू होकर 1850 तक जाता है। इसे श्रमजीवी पत्रकार का न्यूनतम राष्ट्रीय वेतन कहा जाता है।

महंगाई भत्ता- महंगाई भत्ते में तीन महीने बाद उपभोक्ता सूचकांक 752 (1960 = 100) से घटाने या बढ़ने पर निर्धारित सूत्र के अनुसार घटता-बढ़ता रहेगा।

मकान किराया भत्ता- आबादी के आधार पर वर्गीकृत शहरों में 1 ए से 5 वर्ग तक के स्थापन 11% से लेकर 6% तक महंगाई भत्ता देंगे। अधिकतम राशि थी 330 रुपये और न्यूनतम 180 रुपए।

शहरी क्षतिपूर्ति भत्ता- ए और बी वर्गो के शहरों के लिए 30 रुपये से लेकर 80 रुपये तक भत्ता देने की सिफारिश की गई थी।

रात्रिपाली भत्ता- 14 रुपये से लेकर 2 रुपये तक-स्थापनों के वर्ग के अनुसार

12.7.5 केंद्र सरकार के संशोधन

1. बछावत वेज बोर्ड ने अंतरिम मजदूरी की दर मूल वेतन की 7.5% तय की थी, नगर सरकार ने अपने विशेषाधिकार का प्रयोग करते हुए उसे 15% कर दिया।
2. समाचारपत्र कर्मचारियों के तर्क से सहमत होकर सरकार ने मकान किराया और शहरी क्षतिपूर्ति भत्ते को बढ़ाने का निश्चय किया। समाचारपत्र स्थापनों की राय आमंत्रित करने के बाद दोनों भत्तों की दरें 31 अगस्त, 1989 को बढ़ा दी।
   सर्वोच्च वर्ग के स्थापन के लिए 20 लाख से अधिक आबादी वाले शहरों में मकान भत्ते की दर से मूल वेतन की 15% (अधिकतम 1200) रुपये कर दी गई। बोर्ड ने 6,7,8 और 9 वर्ग के स्थापनों के लिए मकान भत्ता तजवीज नहीं किया था लेकिन सरकार ने यह भेदभाव नहीं रखा। इसी प्रकार शहरी क्षतिपूर्ति भत्ता भी बढ़ा दिया गया। बड़े शहरों में 1 ए स्थापन के लिए 100 रुपये और नौवें वर्ग के स्थापन के लिए 40 रुपये तय किया गया।
3. कातिब को भी कैलिग्राफिस्ट की श्रेणी (श्रेणी-3) में और विज्ञापन विभाग के प्रूफ रीडर को श्रमजीवी पत्रकार की श्रेणी (3ए) में शामिल कर दिया।

12.7.6 सुप्रीम कोर्ट में चुनौती

अगर समाचारपत्र प्रबंधक स्टे आर्डर लेने के लिए अदालत के दरवाजे न खटखटाते तो आश्चर्य होता, क्योंकि वे किसी न किसी बहाने लगभग प्रत्येक वेज बोर्ड के खिलाफ अदालत की शरण में जाते रहे हैं। सुप्रीम कोर्ट ने 30 जनवरी को अपने आदेश में कहा कि 1 जनवरी, 1989 से वेज बोर्ड अवार्ड लागू होगा और 31 दिसंबर, 1989 तक जो भी बकाया राशि (एरियर) बनती हो, तीन महीने के अंदर अदा कर दी जाए। शेष बकाया राशि का समायोजन आवश्यतानुसार सुनवाई पूरी होने के बाद किया जाएगा। इसके पूर्व जब बछावत वेज बोर्ड का काम आगे बढ़ रहा था तो पालेकर अधिकरण के खिलाफ दायर याचिकाओं के संदर्भ में सुप्रीम कोर्ट ने यही कहा कि अब नया वेज बोर्ड कार्यरत है अत : आगे सुनवाई की आवश्यकता नहीं रह गई है।

अलबत्ता सुप्रीम कोर्ट ने 1995 में अपने फैसले में बछावत वेज बोर्ड की विभिन्न इकाइयों को एक स्थापन मानने के बारे में छोटे अखबारों को दी गई रियायत का प्रावधान इस आधार पर असंगत ठहराया कि भेदभाव का कोई औचित्य नहीं बताया गया है। आमतौर से सुप्रीम कोर्ट वेज बोर्ड अथवा अधिकरणों की सिफारिशों के संवैधानिक पक्ष पर ही विचार करता है-वेतन और भत्ते के परिणाम पर नहीं।

1989 में केंद्र सरकार ने श्रमजीवी पत्रकार अधिनियम में संशोधन करके समाचारपत्र स्थापन की परिभाषा के संबंध में एक अनुसूची जोड़ दी थी। इसमें साझा नियंत्रण वाली इकाइयों आदि को वेतन निर्धारण के लिए एक स्थापन का दर्जा दिया गया। इस प्रकार एक नियंत्रण सूत्र वाले स्थापनों को वृहत स्थापन का हिस्सा मानने की वैधानिक व्यवस्था भी कर दी। मंशा यह था कि बोर्ड के वर्गीकरण सिद्धांत को अदालत में चुनौती न दी जा सके।

12.8 मनिसाना वेज बोर्ड

गौहाटी उच्च न्यायालय के अवकाश प्राप्त मुख्य न्यायाधीश राजकुमार मनिसाना सिंह की अध्यक्षता में पांचवां वेज बोर्ड नौ वर्ष बाद सितंबर, 1994 में गठित किया गया। इसी वर्ष 27 नवंबर को उसने संबंधित पक्षों से जानकारी प्राप्त करने के लिए लंबी प्रश्नावली जारी कर दी।

मजदूरी की अंतरिम दरों के लिए सुनवाई हुई। अंतत : उसने मूल वेतन के 15 प्रतिशत के हिसाब से राहत की सिफारिश कर दी। लेकिन केंद्र सरकार ने उसे 20 प्रतिशत + 100 रुपये कर दिया और 20 अप्रैल, 1995 से लागू करने का आदेश जारी कर दिया।

इसके बाद वेज बोर्ड को मजदूरी की दरें निर्धारित करने के लिए समाचारपत्र स्थापनों से बैलेंस शीट और अन्य जानकारी भेजने के लिए विशेष आग्रह करना पड़ा। 30 अक्टूबर, 1998 तक समाचारपत्र स्थापनों के प्रमुख संगठन इंडियन न्यूज़पेपर सोसायटी (आई.एन.एस.) ने अपना अभ्यावेदन दाखिल नहीं किया था। असहयोग और विलंब करने की समाचारपत्र स्थापनों की पुरानी आदत है।

मनिसाना वेज बोर्ड सुनवाई और अभ्यावेदन के विश्लेषण और विचार-विमर्श के बाद अस्थायी प्रस्ताव (टेनटिटिव प्रोपोजल्स) प्रकाशित करेगा। उस पर प्रतिक्रियाएं और लिखित अभ्यावेदन आने के बाद ही प्रस्तावों को अंतिम रूप दिया जा सकेगा। उसके बाद ही केंद्र सरकार उन्हें लागू करने के लिए आदेश कर सकेगी।

12.9 वेतनमानों की उपेक्षा

केंद्र सरकार वेज बोर्ड द्वारा प्रस्तावित वेतनमान लागू करने के लिए आदेश जारी करती है। इसके अलावा केंद्रीय श्रम मंत्रालय राज्य सरकारों से अनुरोध करता है कि वे वेतनमान लागू कराने में सहायक बनें। लेकिन वास्तविकता यही है कि सभी समाचारपत्र स्थापन विधि- सम्मत वेतनमान नहीं देते।

केंद्रीय श्रम मंत्रालय की 1997-98 की कार्यान्वयन संबंधी वार्षिक रिपोर्ट में बताया गया है कि राज्य सरकारों द्वारा दी गई जानकारी के अनुसार दिसंबर, 1997 तक 1710 समाचारपत्र स्थापनों में से केवल 622 ने वेज बोर्ड की सिफारिशें पूरी तरह और 28 ने आशिक रूप से लागू की थीं।

अनेक स्थापनों के अनेक समाचारपत्र अथवा उनके संस्करण प्रकाशित होते हैं। फिर भी स्थापनों की वास्तविक संख्या 1710से अधिक होगी, क्योंकि प्रेस रजिस्ट्रार के कार्यालय में 39,000 से अधिक समाचारपत्र (दैनिक, मासिक, पाक्षिक, साप्ताहिक) दर्ज हैं। श्रम मंत्रालय की रिपोर्ट से सिद्ध हो जाता है कि एक-तिहाई से कुछ ही अधिक स्थापनों ने वेज बोर्ड की सिफारिशें लागू की हैं।

कई जाने-माने समाचारपत्र स्थापन केवल कुछ पत्रकारों को यथोचित वेतन देते हैं और शेष को अंशकालिक पत्रकार के रूप में नियुक्त करते हैं। ऐसे समाचारपत्र-पत्रिकाओं की कमी नहीं है जो अपने अंशकालिक संवाददाताओं को केवल परिचय-पत्र देते हैं और उसके अलावा कुछ

भी नहीं। देश में बेरोजगारी इतनी अधिक है तमाम नौजवान किसी भी शर्त पर समाचारपत्र के लिए काम करना स्वीकार कर लेते हैं। इसके अलावा पत्रकार बनने या कहलाने का मोह भी नौजवानों को कम नहीं है।

अनेक राज्यों में सरकार, पत्रकार संगठनों और स्थापनों के प्रतिनिधियों की त्रिपक्षीय समिति बनाई गई हैं। वे निर्धारित वेतनक्रम लागू करने का प्रयास करती रहती हैं।

वेज बोर्ड द्वारा निर्धारित वेतन दिलवाने की व्यवस्था करना राज्य सरकारों की जिम्मेदारी है। लेकिन राज्य सरकारों के श्रम विभाग अपनी जिम्मेदारियां कायदे से नहीं निभाते। वे किसी इंस्पेक्टर को अधिकृत कर सकते हैं जो स्थापनों में जाकर मस्टर रोल और लेखा विभाग के दस्तावेजों का निरीक्षण करके कार्रवाई कर सकता है। न तो पत्रकार मालिकों की नाराजगी मोल लेना चाहते हैं और न राज्य सरकारें विशेष प्रयास करती हैं।

अंशकालिक संवाददाताओं को रिपोर्टर के मूल वेतन और महंगाई भत्ते का एक तिहाई देने का प्रावधान है, किंतु बहुत कम अंशकालिक संवाददाताओं को इतनी राशि मिलती है।

12.10 सारांश

श्रमजीवी पत्रकार कानून के अधीन केंद्र सरकार समय-समय पर पत्रकारों की मजदूरी दरें निर्धारित करने के लिए हाईकोर्ट या सुप्रीम कोर्ट के कार्यरत या अवकाश प्राप्त न्यायमूर्ति की अध्यक्षता में वेज बोर्ड गठित करती है। उसकी सिफारिशों को उसी रूप में या संशोधन के बाद सरकार अपने आदेश द्वारा लागू करती है। अब तक पांच बोर्ड गठित हुए हैं: 1956, 1963, 1975, 985 और 1994 में।

वेज बोर्ड द्वारा वेतन निर्धारण की व्यवस्था के कारण समाचारपत्रों में पत्रकारों को सम्मानजनक वेतन मिलने लगा है, मगर उन्हीं में जो सिफारिशों को लागू करते हैं ऐसे स्थापनों की संख्या एक-तिहाई से कुछ ही अधिक है।

श्रमजीवी पत्रकार अधिनियम के अधीन गठित वेज बोर्ड की सिफारिशों को लागू करने वाले सरकारी आदेश को प्रायः हर बार अदालत में चुनौती दी जाती रही है समाचारपत्र स्थापनों और श्रमजीवी पत्रकारों के बीच मजदूरी की दरों और सेवा की शर्तों को लेकर पत्रकारों में असंतोष है, लेकिन नौकरी या पत्रकार बने रहने के मोह में वे परिस्थितियों से समझौता कर लेते हैं।

12.11 शब्दावली

1.	अधिकरण	Tribunal
2.	अधिनियम	Act
3.	अधिसूचना	Notification
4.	अनुसूची	Schedule
5.	अभ्यावेदन	Representation
6.	कार्यात्मक संघटन	Functional Integrity
7.	प्रकीर्ण	Miscellaneous

8. मजदूरी की अंतरिम दर	Interim Rates of Wages
9. मजदूरी की दरें	Rates of Wages
10. राजपत्र	Gazette
11. स्थापन	Establishment
12. श्रमजीवी पत्रकार	Working Journalists

12.12 कुछ उपयोगी पुस्तकें

1. श्रमजीवी पत्रकार और अन्य समाचारपत्र कर्मचारी (सेवा की शर्तें) और अधिनियम, 1955
2. प्रथम प्रेस आयोग की रिपोर्ट
3. इंडियन एक्सप्रेस न्यूज़पेपर्स बनाम केंद्र सरकार : सुप्रीम कोर्ट का फैसला (1958)
4. बछावत वेज बोर्ड का प्रतिवेदन
5. मणिसाना वेतन आयोग का प्रतिवेदन

12.13 निबंधात्मक प्रश्न

1. समाचारपत्र उद्योग के लिए श्रमजीवी पत्रकार अधिनियम में वेज बोर्ड की व्यवस्था क्यों की गई?
2. वेज बोर्ड वेतनक्रम निर्धारण के अलावा और क्या करता है?
3. वेज बोर्ड की सिफारिशें स्वीकार करने और उन पर अमल करने की जिम्मेदारी किसकी है?
4. वेज बोर्ड की सिफारिशें सभी समाचारपत्रों में क्यों लागू नहीं हो पातीं?

विश्वविद्यालय द्वारा संचालित पाठ्यक्रमों की सूची

	पाठ्यक्रम का नाम	अवधि
1.	स्नातक उपाधि प्रारम्भिक पाठ्यक्रम	6 माह
2.	भोजन एवं पोषण में सर्टिफिकेट	6 माह
3.	कम्प्यूटर ज्ञान एवं प्रशिक्षण का प्रारम्भिक पाठ्यक्रम	6 माह
4.	सर्टिफिकेट इन कम्प्यूटिंग	6 माह
5.	पंचायती राज प्रोजेक्ट में प्रमाण-पत्र	6 माह
6.	संस्कृति एवं पर्यटन में प्रमाण-पत्र	6 माह
7.	महिलाओं में वैधानिक बोध में प्रमाण-पत्र	6 माह
8.	राजस्थानी भाषा एवं संस्कृति में प्रमाण-पत्र	6 माह
9.	बी.ए.एफ./बी.सी.एफ. (त्रिवर्षीय पाठ्यक्रम)	1 वर्ष
10.	एम.ए.(अर्थशास्त्र, राजनीति विज्ञान, इतिहास, हिन्दी)	2 वर्ष
11.	एम.बी.ए.	3 वर्ष
12.	पी.जी.डी.एच.आर.एम.	1 वर्ष
13.	पी.जी.डी.एफ.एम.	1 वर्ष
14.	पी.जी.डी.एम.एम.	1 वर्ष
15.	पी.जी.डी.एल.एल.	1 वर्ष
16.	टी.एच.एम.	1 वर्ष
17.	डी.एन.एच.ई.	1 वर्ष
18.	डी.सी.ओ.	1 वर्ष
19.	डी.एल.एस.	1 वर्ष
20.	डी.सी.सी.टी.	18 माह
21.	बी.जे.(एम.सी.)	1 वर्ष
22.	एम.जे.(एम.सी.)	2 वर्ष
23.	बी.लिब.	1 वर्ष
24.	पर्यावरण विज्ञान में स्नातकोत्तर डिप्लोमा	1 वर्ष
25.	बी.एड.	2 वर्ष
26.	पी.एच.डी.	3 वर्ष
27.	पी.जी.डी.ई.एस.डी.	1 वर्ष